विषय-सूची

सत्र-01 (भाग-3) मंगलवार, 26 मई, 2015/ज्येष्ठ 05, 1937(शक) अंक-05

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	निधन संबंधी उल्लेखः	3–9
	1. श्री विनोद कुमार शर्मा, पूर्व सदस्य, दिल्ली विधान सभा (1993–1998)	
	2. श्री भरत सिंह, पूर्व सदस्य, दिल्ली विधान सभा (2008–2013)	
	3. नेपाल एवं उत्तर भारत में आये भयंकर भूकम्प से हुई क्षति के संबंध में।	
3.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	9–10
4.	नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख	10–17
5.	नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव (गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21 मई, 2015 को जारी अधिसूचना सं.1080 से उत्पन्न स्थिति के संबंध में)	17–137

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-01 (भाग-3), दिल्ली विधान सभा के पहले सत्र का पहला दिन अंक-05

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुएः-

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखबीर सिंह दलाल
9. श्री रितूराज गोविन्द
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. सुश्री राखी बिड़ला
12. श्री विजेन्द्र गुप्ता
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अल्का लाम्बा
17. श्री इमरान हुसैन
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिवचरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
23. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)

24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री नरेश बाल्यान
27. श्री आदर्श शास्त्री
28. श्री गुलाब सिंह
29. श्री कैलाश गहलोत
30. कॅ. देवेन्द्र सहरावत
31. श्रीमती भावना गौड़
32. श्री सुरेन्द्र सिंह
33. श्री विजेन्द्र गर्ग
34. श्री प्रवीण कुमार
35. श्री मदन लाल
36. श्री सोमनाथ भारती
37. सुश्री प्रमिला टोकस
38. श्री नरेश यादव
39. श्री करतार सिंह तंवर
40. श्री प्रकाश
41. श्री अजय दत्त
42. श्री दिनेश मोहनिया
43. श्री सौरभ भारद्वाज
44. श्री अवतार सिंह कालका
45. श्री सही राम
46. श्री नारायण दत्त शर्मा
47. श्री अमानतुल्ला खा
48. श्री राजू धिंगान
49. श्री मनोज कुमार
50. श्री नितिन त्यागी
51. श्री ओम प्रकाश शर्मा
52. श्री एस.के. बग्गा
53. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
54. श्री राजेन्द्रपाल गौतम
55. सुश्री सरिता सिंह
56. मो. इशराक खान
57. श्री श्रीदत्त शर्मा
58. चौ. फतेह सिंह
59. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-01 (भाग-3)मंगलवार, 26 मई, 2015/ज्येष्ठ 05, 1937(शक) अंक-05

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।
माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

(राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, विधान सभा के प्रथम सत्र के तीसरे भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि यह सत्र एक विशेष प्रयोजन के लिए बुलाया गया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक हम सब अपनी बात रखेंगे। सदन की परम्परा के अनुसार सर्वप्रथम जिन पूर्व माननीय सदस्यों का स्वर्गवास हुआ हो, उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट की जाती है। मैं इसकी जानकारी सदन को दे रहा हूं। श्री विनोद कुमार शर्मा जी, दिल्ली विधान सभा के पूर्व सदस्य का निधन हो गया है। वे 1993-98 तक विधान सभा के सदस्य थे। उनके निधन पर शोक संवेदना।

माननीय सदस्यगण आपको जानकर अत्यंत दुख होगा कि पहली विधान सभा 1996-98 के सदस्य श्री विनोद कुमार शर्मा जी का 30 जनवरी, 2015 को निधन हो गया है। श्री विनोद कुमार शर्मा जी नसीर पुर विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व

करते थे एक बहुत ही जुझारू विधायक थे। अपने विधान सभा क्षेत्र एवं दिल्ली के विकास के लिए सदन में पुरजोर ढंग से अपनी बात रखते थे।

मैं अपनी ओर से एवं पूरे सदन की ओर से श्री विनोद कुमार शर्मा जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दे व उनके परिवार वालों को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओउम् शांति।

अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी।

श्री अरविन्द केजरीवाल (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विनोद कुमार शर्मा जी, नसीर पुर विधान सभा के प्रतिनिधि थे और अपने विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने जनता के लिए काफी काम किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, पूरे सदन की तरफ से कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय : नेता प्रतिपक्ष।

श्री वीजेन्द्र गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विनोद कुमार शर्मा जी, जिनको मैं वयक्तिगत रूप से भी जानता था। और 1993 में जब वे चुनकर आये, एक उत्साह था, एक जुझारूपन था और अपने कार्य से उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के मन पर एक छाप भी छोड़ी। जब ये समाचार हमें मिला, मन को बहुत तकलीफ हुई कि एक ऐसा साथी जिसने 5 वर्ष दिल्ली की जनता का विश्वास प्राप्त किया और इस सदन में एक सदस्य के रूप में वे यहां पर बैठते रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, श्री भारत सिंह जी जो विधान सभा के पूर्व सदस्य थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक गोली कांड में उनका निधन हो गया है। माननीय सदस्यगण, आपको जानकर अत्यंत दुख होगा कि चौथी विधान सभा 2008-13 के सदस्य रहे श्री भरत सिंह जी का 29 मार्च, 2015 को निधन हो गया है। श्री भरत सिंह जी नजफगढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधितव करते थे और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और सदनम समय-समय पर अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते थे।

मैं अपनी ओर एवं पूरे सदन की ओर से श्री भरत सिंह जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे व उनके परिवार वालों को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, शांति, शांति।

मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरत सिंह जी चौथी विधान सभा के माननीय सदस्य थे। नजफगढ़ विधान सभा में बेहद लोकप्रिय नेता थे। जनता के बहुत काम आते थे। समाज के लिए काम करते थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं पूरे सदन की ओर से कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस शोक का बरदाश्त करने की शक्ति दे।

अध्यक्ष महोदय : नेता प्रतिपक्ष।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, श्री भरत सिंह युवावस्था में ही इस सदन के सदस्य बन गये। और उनके चुने जाने पर एक सबसे बड़ा विषय ये

था कि एक प्रकार से वे independent बिना किसी, हालांकि उनका संबंध था लोकदल के साथ, लेकिन उनकी जीत का कारण यह था कि वे जनता के बीच में बहुत ही सक्रिय और पॉपुलर थे। दुर्भाग्य से पिछले वर्ष भी उनके साथ एक घटना घटी थी और तब से किसी प्रकार से एक अनहोनी के रूप में उनकी जान बच गई थी। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि थोड़े ही समय के बाद कुछ ही महीनों के बाद फिर से उसी तरह की घटना दोहराई गई और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि युवावस्था में उनके जाने से परिवार को जो क्षति हुई है, परिवार इस दुख से बाहर आये और अपने जीवन को आगे बढ़ाये। ओउम् शांति।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, जैसा कि हम सभी की जानकारी में है कि नेपाल एवं उत्तर भारत में आए विनाशकारी भूकम्प ने भारत ही नहीं, अपितु पूरे विश्व को हिलाकर रखा। जान-माल की क्षति हुई, उसके लिए भी शोक संवेदना मैं प्रकट करता हूं।

जैसा कि आपको विदित है कि अभी हाल ही के दिनों में पड़ोसी देश नेपाल एवं उत्तर भारत में आए विनाशकारी भूकम्प से भारी संख्या में जान-माल का नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक आपदा में हमारे देश की सभी पार्टियों ने एकजुट होकर कार्य किया और नेपाल तथा उत्तर भारत के लोगों की तन-मन-धन से सहायता की।

मैं अपनी ओर से एवं विधान सभा की ओर से इस आपदा में हताहत हुए लोगों के प्रति हार्दिक सवेंदना व्यक्त करता हूं और इस प्राकृतिक आपदा से जल्दी उबरने की प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं। ओम शांति।

माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा हम सब लोगों को पता हैं कि नेपाल के अंदर एक भारी त्रासदी आई है और अपने देश के अंदर भी कई इलाकों के अंदर भूकम्प के झटके महसूस हुए, भारी जान माल का नुकसान हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस पूरी त्रासदी के अंदर जिन लोगों की मृत्यु हुई उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को इसे बर्दाश्त करने की शक्ति मिले और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अलग-अलग किसम की चोटें आई हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ हो और जिनका नुकसान हुआ है हम सब लोगों ने मिलकर सारी पार्टियों ने, सरकारों ने मिलकर, भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने मिलकर उनकी सहायता करने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उनका जीवन सुचारू रूप से फिर से चलने लगे।

अध्यक्ष महोदय : नेता प्रतिपक्ष।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, नेपाल की त्रासदी एक प्राकृतिक आपदा है और जिस तरह से नेपाल एक ऐसा देश है, पर्यटन जिसकी आय का बहुत बड़ा स्रोत है बार-बार लगातार पिछले कुछ समय से वहां पर भूकम्प के झटके आ रहे हैं दूर दराज, सिर्फ काठमांडु में नहीं बल्कि नेपाल के दूर दराज के इलाकों में भी लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जान माल का भारी नुकसान हुआ हैं और हम में से हर किसी ने अपने-अपने प्रकार से वहां के लोगों की मदद करने की कोशिश की है। इस भूकम्प से सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत के भी कई भाग यहां तक की दिल्ली में भी इन भूकम्प के झटकों को देखा गया है मैं यहीं उम्मीद करते हुए कि सरकार ने भूकम्प के झटकों की जो गति है जो दिल्ली भी उसके प्रभाव में आई है उसको ध्यान में रखकर जरूर कदम उठा

रही होगी लेकिन जिन लोगों की भी जान गई हैं और जिनका भारी नुकसान हुआ हैं और जो लोग, परिवार पूरी तरह तबाह हो गए हैं, उनकी मदद और हो सके तो दिल्ली सरकार जरूर करें। एक बार पुनः मैं जो लोग इस पूरी त्रासदी में क्षतिग्रस्त हुए हैं और जिन लोगों की जान चली गई है, संवेदनाएं प्रकट करते हुए ईश्वर से यही कामना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को यह क्षति सहन करने की ताकत दे।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल त्रासदी का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि मुझे खुद जाने का वहां मौका मिला। मेरी पार्टी के सीनियर सदस्य श्री संजय सिंह और कुछ और कार्यकर्त्ताओं के साथ मुझे वहां जाने का मौका मिला। मैं पांच दिन वहां रहा और जो क्षति वहां हुई है वो एक हृदयविदारक सीन था लेकिन साथ-साथ में मैं यह कहना चाहता हूं जो वहां पर क्षति होने का खास कारण यह था जो मुझे दिखा क्योंकि यहां पर सरकार के सीनियर आफीसर्स भी मौजूद हैं कि जो भी पीलर लैस मकान थे उनमें ज्यादा क्षति हुई हैं, वो गांव के गांव खत्म हो गए। जो पीलर वाले मकान थे जो मकान ठीक-ठाक बने हुए थे वो मकान बच गए उनसे जान-माल की हानि नहीं हुई तो इस मौके पे मैं यह भी सदन के माध्यम से सरकार को और अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो भी कंसट्रक्शन दिल्ली के अंदर में हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय उसमें structural analysis और structural safety के ऊपर जोर देने की जरूरत है। ये मुझे भरोसा है कि वहां की त्रासदी से हम सीख लें और अपने यहां दिल्ली के अंदर ऐसी कोई त्रासदी ना आए उसके लिए हम उपयुक्त कदम उठाएं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि नेपाल त्रासदी और दो विधायकों के लिए हम दो मिनट का मौन रखें मैं सदन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ये त्रासदी दिल्ली में अगर कभी इतना बड़ा भूकम्प आया तो क्या स्थिति बनेगी इस पर हम एक बार गंभीरता से विचार करके और उसके निदान की ओर बढ़ेगे तो निश्चित रूप से जो इस त्रासदी में शहीद हुए हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे सदन की ओर से। मैं अभी दो मिनट के लिए हम सब खड़े होकर दिवंगत आत्माओं के लिए मौन रखेंगें।

(दो मिनट का मौन रखा गया)

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदय : ओउम् शांति शांति। श्री मनीष सिसौदिया जी-उप-मुख्यमंत्री, जियोस्पैटियल दिल्ली लि. की वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी-अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

श्री मनीष सिसौदिया उप-मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जियोस्पैटियल दिल्ली लि. के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपाल राय जी- माननीय परिवहन मंत्री, वर्ष 2013-14 के लिए दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी-अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

श्री गोपाल राय-परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी-अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री संदीप कुमार जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री,

वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के सबंध में एक विशेष प्रतिवेदन सदन पटल पर रखेंगे।

श्री संदीप कुमार-महिला एवं बाल विकास मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : नियम 280 के अंतर्गत कुछ विशेष उल्लेख के मामले मुझे प्राप्त हुए थे, सर्वप्रथम श्री नरेश बाल्यान जी।

श्री नरेश बाल्यान : अध्यक्ष जी, आज मैं आपको उत्तम नगर, आज ट्रैफिक जाम की समस्या ने दिल्ली में विकराल रूप ले लिया है। दिल्ली की सड़कों पर बेकाबू ट्रैफिक जाम की समस्या दिल्ली वासियों का सिरदर्द बन गई है। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान पश्चिमी दिल्ली की मुख्य सड़क नजफगढ़ रोड़ से ककरौला मोड़ तक उत्तम नगर टर्मिनल के बीच में ट्रैफिक जाम की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। इस सड़क पर लगभग 5 से 6 घंटे का रोज शाम को जाम लगता है और काफी बार पी.डब्लू.डी से कंपलेंड, दिल्ली पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से हर जगह कंपलेंड कर चुके लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पी.डब्लू.डी के अधिकारियों से और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे और समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने नियम 280 के तहत दिल्ली में वृद्ध पेंशन के संदर्भ में मुद्दा उठाने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले समाज कल्याण मंत्री को बधाई देना चाहता हूं उन्होंने, उनके विभाग

ने एक अच्छा प्रयास किया कि बहुत सारे फर्जी जो पेंशन थे उसकी इतनी जल्दी समय में समीक्षा करवा दी और जो रूके हुए पेंशन थे उसको शीघ्र ही जारी करने के लिए अपनी सहमति दी है उन्होंने ने। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं थोड़ा सा जल्दी हो जाती अगर तो तमाम वृद्ध लोग जो हैं जिनकी पेंशन अभी सोच रहे हैं कि कट गया है वो जल्दी इसको करा दे क्योंकि काफी लोग आते रहते हैं आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा है इसलिए सदन को प्रयासों से अवगत कराना बहुत जरूरी था लेकिन थोड़ा सा जल्दी कराए जिससे बहुत राहत मिले बुर्जुगों को और जो निशक्त लोग हैं, विकलांग और विधवा। कुछ पेंशन अभी भी रुके हुए हैं उनको जल्दी करा दें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिल्ली में जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी आज दिल्ली में वितरण प्रणाली का जो असुंलन बना हुआ है। 700 लीटर प्रतिदिन मुफत पानी देने की जो एक घोषणा दिल्ली सरकार ने की है मीटर रीडर और दूसरे जो लोग हैं उसमें इनसे भ्रष्टाचार काफी मात्रा में फैल रहा है और जो मीटर उनके लगे हुए हैं वो लोग कहते हैं कि भई आपका मीटर ठीक नहीं है अनेकों-अनेक तरीके से, इसी प्रकार जो पानी के टैंकर हैं, पानी के टैंकर पानी की जहां-जहां जरूरत है वहां उचित मात्रा में मांगने पर नहीं मिलते और महोदय मुझे कहना ये है कि दिल्ली में और खास तौर से जो मेरी विधानसभा है उसमें जो शराब के ठेके हैं वो तो प्रचुर मात्रा में दिए जा रहे है और जिसके लिये आपका कौशाम्बी के सामने जो था उसके बारे लोगों ने एतराज भी किया इसी प्रकार हमारे यहां अनेकों अनेक मॉल हैं लेकिन पानी

की जो लाईनें हैं उनको जो बदलवाना था नहीं बदलवाने की वजह से लोगों को जो पीने का पानी है वो साफ पानी प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। निवेदन यह है कि जो पुरानी लाईने हैं उन्हें समयबद्ध तरीके से बदला जाए जिससे कि लोगों को पीने का पानी शुद्ध और उचित मात्रा में मिल सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान वृद्धावस्था पेंशन की ओर दिलाना चाहता हूं। वैरिफिकेशन के नाम पर कांग्रेस तत्कालीन मंत्री ने पेंशन के फार्म लंबित कर दिये थे जिसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी तथा उनकी पार्टी के सदस्यों ने भी किया था। इससे पहले कि वे फार्म लेने की प्रक्रिया शुरू होती चुनाव घोषित हो गये। जिसके कारण यह कार्य रुक गया। तत्पश्चात 49 दिन की आप की सरकार आई और उन्होंने भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की और न ही इस पर कोई कार्य किया। केन्द्र में भाजपा की सरकार आने पर केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 40 हजार फार्म लेने की अनुमति दी। परंतु इस बार जब से दिल्ली में आप की सरकार आई है तब से वृद्धों की पेंशन फार्म जो कि उस समय के एमएलए द्वारा तथा राजपत्रित अधिकारियों द्वारा संस्तुतित है वह नहीं लिये जा रहे हैं। इसके कारण बुजुर्गों को आर्थिक कठिनाई से जूझना पड़ रहा है। सरकारी पेंशन बुजुर्गों के लिये संजीवनी का काम करती है परंतु सरकार की असंवेदनहीनता के कारण बुजुर्गों को इसके लाभ से वंचित रखा जा रहा है। जिन बुजुर्गों को अभी पेंशन दी जा रही है उन्हें अक्सर मिलने में देरी हो रही है जिसके कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए वृद्धावस्था पेंशन फार्म को स्वीकार करने तथा

पेंशन अविलंब जारी करवाने का कष्ट करें ताकि जीवन की संध्या में वृद्धों को एक किरण तो दिखाई दे और मैं इसके साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि कितनी मां बहन ऐसी आती हैं जिनके पास दवाई के लिये पैसे नहीं होते उनको एक हजार रुपए की बहुत बड़ी मदद होती है महीने में मिलने की वो अपना दवाई लाकर ईलाज कराती हैं उसके लिये भी बहुत जरूरी है और सर दो बात मैं और कहना चाहता हूं आप इजाजत दें कि जैसे अभी हमारे बाल्यान जी ने कहा ट्रैफिक जाम की समस्या खास कर जमना पार के उत्तरी नार्थ एरिया जो है चाहे वजीराबाद रोड़ हो अभी मैं सिसौदिया जी हमारे साथ गये थे उन्होंने बड़ी गंभीरता से वहां उसको जाकर देखा जो हमारी खजूरी फ्लाई ओवर बना है इसके ऊपर तीन-तीन किलोमीटर लंबा जाम लगता हे तो मैंने प्रार्थना की थी कि इसका नीचे से अंडरपास बनाने की योजना बनाई जाये, ताकि वहां के लोगों की जाम से समस्या से समाधान मिल सके जैसा ओम प्रकाश जी ने कहा पानी की समस्या। मेरी मुस्तफाबाद विधानसभा करावल नगर विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं रात को 12 बजे पानी आता है और केवल पांच से पंद्रह मिनट तक और वह भी कई जगह नहीं पहुंच पाता इतनी हाहाकार पानी की मच रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पानी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाये। धन्यवाद जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह : इस सदन के सामने मुझे अपनी बात रखने का समय देने के लिये धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी दिल्ली के अंदर डेढ़ करोड़ वोटरस ने प्रचंड बहुमत देकर जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई तो उन्होंने अपना भरपूर समर्थन देते हुये ये विश्वास किया कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार

49 दिनों की तरह दिल्ली के लोगों के हित में काम करेगी। अध्यक्ष जी अगर दिल्ली के लोगों ने केन्द्र में सत्तासीन बीजेपी को बुरी तरह नकारा तो इसका साफ मतलब यही था कि प्रधानमंत्री जी के अच्छे दिनों के झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्रस्त आ चुकी थी। दिल्ली के आम आदमी ने झूठे वादे करके सत्ता हासिल करने वालों को उनकी असलियत दिखा दी थी और चलो चलें मोदी के साथ नारे को पटखनी देकर चलो चले मदारी के साथ का रास्ता अपनाया पर अब कोई विधानसभा में आटो रिकशा में बैठ कर आने...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। उनको अपना विषय रखने तो दीजिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी हमारा यह कहना है 280 में आप किस तरह के विषय उठायेंगें। उसकी रूलिंग जरूर आनी चाहिये। हो सकता है कि उसे जानकारी न हो। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। मुझे उस पर कड़ी आपत्ति है...(व्यवधान)

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : एमसीडी, दिल्ली पुलिस इन सबके माध्यम से जनता के जनादेश के खिलाफ दिल्ली पर तुगलकी शासन करने की कोशिश हो रही है। जो कि अति सम्मानित दिल्ली के मतदाताओं का घोर अपमान है अध्यक्ष जी, एमसीडी के माध्यम से दिल्ली पुलिस के माध्यम से बार बार परेशान किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : पहले सुन तो लीजिये पूरी बात। पूरी बात सुन लीजिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आपका ही आदेश है कि एक मुद्दे पर अपनी बात कहनी है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी ने तीन मुद्दे बोले हैं। उन्होंने तीन मुद्दे बोले हैं लिखित में एक दिया था तो तीन मुद्दे उन्होंने दिये हैं न। उस वक्त ओबजेक्शन उठाना चाहिये था। मैं अगर जगदीश जी को allow कर सकता हूं।...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : किसी मेम्बर ने ओबजेक्शन नहीं किया...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं उनको बोलने दीजिये।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : अध्यक्ष जी एमसीडी और दिल्ली पुलिस की सांठ गांठ का मैं खुद भुक्तभोगी हूं कि किस तरह करप्शन के खिलाफ लड़ने पर दिल्ली पुलिस झूठे मुकदमे दर्ज करती है। मेरे साथी विधायकों के नम्र निवेदन के बावजूद क्षेत्र में होने वाले नाजायज काम जैसे मेरे साथी बता रहे थे कि उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती उल्टा शिकायत करने वाले विधायकों को फंसाने की कोशिश की जाती है। अध्यक्ष जी मैं पिछले दिनों हुये अपनी एक आपबीती घटना आपसे शेयर करना चाहता हूं। दिनांक 28-04-2015 को मेरे क्षेत्र से एक काल आती है कि कुछ एमसीडी वाले मेरे को परेशान कर रहे हैं मेरे को बिल्डिंग तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं मौके पर जाता हूं वहां पर जे.ई से मांगा Demolition Order जाता है तो जे. ई कहता है कि मेरे पास कोई Demolition Order नहीं है Order दिखाने में असमर्थ रहता है। वहां के लोगों की शिकायत पर मैं खुद 100 नं पर फोन कर पुलिस को बुलाता हूं। एसएचओ मौके पर पहुंचता है और क्षेत्रवासियों का गुस्सा देखकर वहां से रिटर्न कम्पलेंट लेने के बाद एसएचओ साहब कहते हैं कि थाने आ जाओ इस जे.ई के ऊपर एफआईआर की जायेगी क्षेत्रवासी कम से डेढ़ सौ दो सौ लोग क्षेत्रवासी और मैं थाने जाते हैं, उसके बाद आठ घंटे मतलब

दो ढाई बजे से लेकर रात के दस साढ़े दस बजे तक थाने में बैठाया जाता है पर जे.ई के ऊपर कोई एफआईआर नहीं की जाती। प्रशासन अध्यक्ष जी एमसीडी के बड़े बड़े अधिकारी आकर बार बार समझौता करने की, जे.ई को माफ करने की बात करते हैं और आठ घंटे के अंदर जो हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं होता तो हम वो जो complaint मकान मालिक ने की थी मकान तोड़ने की उसके ऊपर डीडी मार के सिर्फ रिसीव करके दे दी जाती है और अगले दिन सुबह मेरे को मालूम चलता है कि मेरे ऊपर और जो शिकायतकर्ता मकान मालिक था उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा पूरे क्षेत्र के उन्होंने जो वीडियो बनाई वीडियो बनाई उसमें जो क्षेत्रवासी मौजूद थे एक एक क्षेत्रवासी को थाने में बुलाकर के प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है और हद तो अध्यक्ष जी तब हो गई कि पांच तारिख को मेरे को पूरा अंदेशा था कि दिल्ली पुलिस इसमें मेरे को परेशान करेगी। एफआईआर करने के बाद तो मैंने हाई कोर्ट के अंदर अंतरिम जमानत लगाई। पांच तारिख को दिल्ली पुलिस की कमिश्नर बयान दे देते हैं कि जनरैल सिंह फरार है जब कि मैं वहां पर मौजूद था और अगले दिन ही हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन था और वहां से मेरे को जमानत भी मिली। तो ये फरार बताने के बाद सारे मीडिया चैनल ने दिखाया जो मेरे लिये काफी अपमानजनक था। मैं अध्यक्ष जी आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस मामले का पूरा संज्ञान लेके इनके ऊपर कोई न कोई कार्यवाई जरूर की जाये और बीजेपी और एमसीडी सारे विधायकों को और मेरे और मेरे साथियों को परेशान कर रही है मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूं सदन के माध्यम से...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी it is highly objectionable इस तरह का निराधार आरोप लगाना...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी एक मिनट, आपने आपत्ति दर्ज कर दी आप बैठ जाईये प्लीज बैठ जाईये। आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप बैठ जाईये। एक विधायक को पुलिस फरार घोषित करती है इस माननीय सदन के सदस्य को फरार घोषित करता है दिल्ली का कमिशनर और उसको बेल के लिये जाना पड़ता है छोटी सी घटना के पीछे उसकी पीड़ा को समझिये घटना कभी न कभी आपके साथ भी घटेगी। विजेन्द्र जी, एक सैंकेड बैठ जाइये। ओमप्रकाश जी बैठ जाइये।

श्री विजेन्द्र सिंह : पार्टी का नाम कैसे लिया आपने किस आधार पर लिया आपने...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जरनैल जी बैठिये दो मिनट बैठ जाइये प्लीज। विजेन्द्र जी दो मिनट बैठिये। ओमप्रकाश जी बैठिये। मैं जरनैल सिंह जी की इस पीड़ा पर रूलिंग दे रहा हूं। सदन सहमत होता है तो मैं उनकी इस सारी घटना को विशेषाधिकार समिति को प्रेषित करता हूं। सदन इसकी सहमति देता है। और विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष से प्रार्थना करता हूं कि इस पूरे की जांच करके और तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है मेरे कक्ष में उसको प्रस्तुत करें। बस अब बैठिये। जरनैल जी आप बैठिये प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद।

नियम-107 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उप मुख्यमंत्री नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपना प्रस्ताव रखें।

उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसका संदर्भ भारत सरकार द्वारा 21 मई, 2015 को जारी एक अधिसूचना से है। यह अधिसूचना कहती है, बहुत लंबी अधिसूचना है, मैं इसके लब्बो-लुबाब को पढ़ देता हूं आपके समक्ष की दिल्ली में एक विधान सभा है

यह संविधान के तहत् बनी है और संविधान में इसको स्टेट लिस्ट में एंट्री 1 यानी कि पब्लिक ऑर्डर, एंट्री 2 यानी की पुलिस और एंट्री 18 यानी की लैंड इसको छोड़कर सभी विषयों पर लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है ऐसी यह अधिसूचना भी कहती है। लेकिन इस अधिसूचना में आगे जाकर एक तर्क दिया जा रहा है और वो तर्क कह रहा है कि संविधान में तो 1, 2 और 18 को विधान सभा के लेजिस्लेशन के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र से लेकिन स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 41 which deals with the State Public Services, State Public Service Commissions which do not exist in the National capital Territory of Delhi यानी कि दिल्ली में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, स्टेट पब्लिक सर्विसे नहीं है, इसलिए सर्विसेस जो है, वो भी दिल्ली की विधान सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह दिल्ली की विधान सभा के अधिकार क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा अतिक्रमण है। यह अधिसूचना बहुत स्पष्ट रूप से संविधान को दरकिनार करते हुए, संविधान के तमाम प्रावधानों को दरकिनार करते हुए संविधान की लोकतांत्रिक आत्मा को जो democratic spirit है उसको दरकिनार करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है कि क्योंकि दिल्ली में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, स्टेट सर्विसेस नहीं है, इसलिए सर्विसेस भी दिल्ली की विधान सभा के अधीन नहीं आएगा यह तो ऐसा हे कि कल को केन्द्र सरकार कहे कि दिल्ली में कोयला की खदाने नहीं हैं और दिल्ली में कोयला की खदानों से बिजलीघर नहीं लगाये जा सकते हैं, आप लोगों के पास में जमीन भी नहीं है, तो आप बिजली भी नहीं बना सकते इसलिए बिजली का विषय भी आपके अधीन नहीं आएगा। विधान सभा के अधीन नहीं आएगा। कल को केन्द्र सरकार में बैठे हुए लोग यह भी कह सकते हैं कि भई आप लोगों के पास तो हिमालय

पर्वत नहीं है, वहां के ग्लैशियर्स नहीं हैं, पानी के स्रोत नहीं है, गंगोत्री नहीं है तो फिर आप लोग पानी के सब्जेक्ट को भी डील नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में पानी के उद्‌गम स्थल नहीं है। यह बड़ी अजीब सी बातें हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तर्क को देते हुए सर्विसेस को इस विधान सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए यह अधिसूचना आगे कहती है क्योंकि अंग्रेजी में यहां लिखा है and whereas, it is well established that where there is no Legislative Power, there is no Executive Power since Executive Power is co-existent with the Legislative Power. आगे यह अधिसूचना कहती है कि, मैं फिर से लब्बो-लुबाब बता देता हूं इसका संविधान के Article 239 and sub-clause(a) of clause (3) of 239AA के accordance में "The President, hereby, directs that subject to his control and further order, the Ltd. Governor of the National Capital Territory of Delhi shall, in respect of matters concerned with Public Order, Police, Land and Services यहा सर्विसेज उसमें जोड़ दिया। संविधान के साथ खिलवाड़ कर दिया यहां पर संविधान की आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा कहीं भी किसी भी मंत्रालय को चाहे वो दिल्ली सरकार का मंत्रालय हो, केन्द्र सरकार का हो या किसी और राज्य सरकार का मंत्रालय हो कहीं भी यह इजाजत नहीं देता कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी मंत्री सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिये संविधान को संशोधित कर देगा, यह संविधान को संशोधित करने की भ्रष्टता जैसा अपराध गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है और उसके बाद सर्विसेस को दिल्ली की विधान सभा और दिल्ली की विधान सभा में बहुमत प्राप्त दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उसमें आगे कहा गया है कि "provided that Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi may, in his discretion, obtain the views of the Chief Minister of

National Capital Territory of Delhi owing in regard to the matter of Services. यानी कि एलजी साहब चाहे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से सर्विसेस के मैटर्स पर सलाह ले सकते हैं। संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। संविधान में तो साफ-साफ लिखा हुआ है कि तीन विषयों को छोड़कर जो एंट्री 1, 2 और 18 इनको छोड़कर दिल्ली की जो विधान सभा है दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई विधान सभा है वो अपने हिसाब से निर्णय लेगी, अपने हिसाब से नियम, कायदे, कानून बनायेगी। एक तो यह बहुत गंभीर है। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय इसी अधिसूचना में 21 मई, 2015 को जारी अधिसूचना में एक और दुर्घटना करने की कोशिश की गई है। दिल्ली में सब लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं, यह पूरा सदन जानता है कि दिल्ली के लोग एक समय तक भ्रष्टाचार से बहुत दुखी रहे, सरकारी दफ्तरों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में रिश्वत से लेकर, बड़े-बड़े ठेकों में रिश्वतखोरी तक के लिए बहुत रिश्वत चलती थी और तमाम इसमें मीडिया रिपोर्ट्स भरी पड़ी है, तमाम व्याख्यान भरे पड़े हैं। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं अपने आधर पर, लोग भ्रष्टाचार से आजिज हुए उन्होंने बहुत बहुमत के साथ एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी को इस सदन में बहुत के साथ भेजा और सरकार बनाने का अवसर दिया। पिछले 100 दिन में इस सरकार की उपलब्धियों में जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है भ्रष्टाचार को कम करना, रिश्वतखोरी को रोकना और सरकारी कामकाज में हो रहे, ठेकों में हो रहे भ्रष्टाचार को कम करना, इसमें एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है इस सरकार ने। एक तरफ तो दिल्ली की सरकार इस विधान सभा से बहुत प्राप्त सरकार दिल्ली में भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश कर रही है, उसको रोक रही है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की इन कोशिशों को केन्द्र सरकार एक

अधिसूचना से रोकने की कोशिश कर रही है। मैं यहां विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाला, जो दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच है उसके अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में अभूतपूर्व काम किया है। उनके पास अभी संसाधनों की कमी है, स्टाफ की कमी है, सरकार उनको प्रोवाइड करवा रही है धीरे-धीरे। लेकिन उन सबके कमी के बावजूद एंटी करप्शन ब्रांच ने अभूतपूर्व तरीके से दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उनके अधिकारियों को मैं यहां सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि उनके जरिये दिल्ली के अलग-अलग दफ्तरों में अलग-अलग कामकाज में यह संदेश पहुंचाया कि अब एंटी करप्शन ब्रांच एक्टिव हो गया है यह sleeping cell नहीं है यह एक्टिव सैल है। इसी के तहत् बहुत सारे लोग रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गये हैं। बहुत सारे लोग उनकी शिकायतें आई हैं जब हमारी हेल्पलाइन 1031 पर तो उनको ट्रेप करके भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। यह सब चीजें हुई हैं। एसीबी बहुत पुराने बड़े-बड़े मामलों की भी जांच कर रही है जिसमें तेल घोटाले से लेकर तमाम चीजें हैं गैस घोटाले तक। अध्यक्ष महोदय, शायद भ्रष्टाचार रोकना, दिल्ली में भ्रष्टाचार का रुकना, केन्द्र में बैठी हुई सरकार को रास नहीं आ रहा है। यह सहन नहीं हो रहा है अब क्या इंट्रेस्ट हैं उनके, क्या नहीं है मैं कुछ टिप्पणी करूंगा तो यहां सदन में बैठे हुए कुछ सदस्यों को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि शायद कुछ vested interests जिनका caucus था वो across the party-line काम करते रहे होंगे। आज केन्द्र में वो सरकार नहीं है जो पिछले दिनों में यहां हुआ करती थी आज अगर कहीं भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है तो पिछले वालों का भी पकड़ा जा रहा है और वर्तमान में वो चाहे हमारे अधीन काम कर रहे हैं, इस सरकार के अधीन जो काम कर रहे अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनका पकड़ा जा रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की सफलता से उसकी effectiveness से घबराकर केन्द्र सरकार ने इस आदेश के दूसरे हिस्से में, इस अधिसूचना के दूसरे

हिस्से में लिखा है कि दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्रांच है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच कर पाएगी। यह पहली बार सुना है अध्यक्ष महोदय, कि कोई अपराध करे और अपराध करने वाले की नौकरी कहां है उसके हिसाब से उसके लिए अपराध दर्ज करने का थाना चुना जाएगा। जैसे कोई मर्डर करे तो शायद सबको बचकानी हरकत लगेगी, मर्डर करने वाले से पहले पूछा जाये की साहब आपने मर्डर किया है आप center government के एम्पलोई हैं या state government के employ ह र गअ । आप center government के एम्पलोई होंगे तो हम फिर आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते कहीं और करेंगे, अगर आप state government के employ हैं और आपने मर्डर किया है तो हम करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं इसको और एक्सटैंड किया जा सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो ऐसे करेंगे, हवाई जहाज उड़ाते हैं तो ऐसे करेंगे, रिक्शा चलाते हैं तो ऐसे करेंगे, मर्डर करने वाले का क्लासीफिकेशन अपराध करने वाले का क्लासीफिकेशन, अगर आप रिश्वत लेते हैं, अगर आप केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं तो पीसी एक्ट हम लोग आप पर लागू नहीं करेंगे कोई दूसरा थाना करेगा। अध्यक्ष महोदय, ये थाने, ये जांच एजेंसियां किसी कानून के तहत काम करती हैं, ये किसी की च्वॉइसिज़ के हिसाब से कि किसने कैसे रंग का कपड़ा पहना हुआ था उसके हिसाब से काम नहीं करते हैं। ये वाला थाना लाल रंग के कपड़े पहनने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा, ये पीले रंग के कपड़े पहनने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा, आपको समझ में जाएगा धीरे-धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय ये बड़ा अजीब सा है कि ये नोटिफिकेशन

कहने लगा कि साहब center government के कर्मचारी या ओर कोई दिल्ली में रहकर भ्रष्टाचार करेंगे तो एसीबी का जो थाना है, एसीबी जो पीसी एक्ट के तहत काम करता है उसके तहत एफआईआर दर्ज नहीं होती उसके लिए फिर कहीं ओर जाना पड़ेगा अगर भ्रष्टाचार हो रहा है दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से दुखी है तो उसकी सजा एसीबी के तहत पीसी एक्ट के तहत उसको सजा होनी चाहिए। उसके लिए एफआईआर होनी चाहिए। इसके लिए जो थाना मुक्करर्र है वहां उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो अतिक्रमण करते हुए ये सारे करप्शन एंटी करप्शन ये सब केन्द्र सरकार ने अपने पास, पार्लियामैंट ने दिल्ली की विधानसभा बनाई तो ये अपने पास रिजर्व नहीं रखे या तो सीधे-साधे दिये या साझेदारी के साथ। उसके बावजूद अतिक्रमण करके इस तरह के आदेश पारित करना मुझे लगता है कि दिल्ली की शायद सबसे पापुलर मैंडेट के साथ आई हुई विधान सभा का अपमान है। आज मैं इस सदन के सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि ये जो अधिसूचना है इसके ऊपर यह सदन चर्चा करे और विचार करे कि इस असंवैधानिक तरीके से किए गये अतिक्रमण पर क्या ये सदन चुप बैठा रहेगा। क्योंकि ये सदन यहां बैठे हुए 70 लोगों से नहीं बनता ये सदन।

दिल्ली के उन लाखों-करोड़ों लोगों के वोटर्स की उम्मीदों पर बना है जिनको ये उम्मीद है कि सदन में बैठे हुए लोग उसके लिए बिजली पानी स्कूल, अस्पताल अच्छी सड़के इनकी व्यवस्था करेंगे जिनकी चर्चा माननीय सदस्यों के द्वारा 280 के अंतर्गत की गई उन सब पर कुछ व्यवस्थाएं होंगी, उसमें कुछ अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसको रोकेगा, उसके जो अधिकारी, कर्मचारी जो इन कामों को करेंगे उसमें कोई लापरवाही की जायेगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी

इसलिए ये सदन चुना गया है ये सदन इसलिए थोड़े चुना गया है कि यहां बैठके एम.एल.ए लोग, विधायक लोग या कुछ मंत्री लोग कुछ महीने की तनख्वाह ले लें सरकारी खर्च पर थोड़ा बहुत काम कर लें और उसके बाद घर बैठ जायें और फिर लोगों को कहें की जो ये तो हमारे विधान सभा क्षेत्र से बाहर थी भारत के संविधान में जो-जो अधिकार दिल्ली की विधान सभा को दिये गये हैं उन अधिकारों पर कोई व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी establishment अगर अतिक्रमण करता है तो मेरी राय में सदन की जिम्मेदारी बनती है की ना सिर्फ उसका पुरजोर विरोध किया जाये बल्कि across the पार्टी लाईन किया जाये पार्टी के मुद्दे हो सकते हैं लेकिन अगर इस सदन की गरिमा और इस सदन के अधिकार क्षेत्र में एंक्रोचमैंट करने की कोशिश करे तो तमाम पार्टियों के सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है की इसको एक सुर एक आवाज में कहें की इस विधान सभा क्षेत्राधिकार में हम हनन नहीं होने देंगे भले ही वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। ऐसी मैं अपेक्षा करते हुये मैं ये प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं कि गृह मंत्रालय द्वारा 21 मई, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या 1368 से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : ये प्रस्ताव सदन के सामने है जो इसके पक्ष में हों वे हां कहे जो इसके विरोध में हैं वो ना कहें।

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

अब मैं सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। मेरे

पास कुछ नाम आये हैं, सर्वप्रथम मैं कपिल मिश्रा जी से प्रार्थना करता हूं वे चर्चा में भाग लें।

श्री कपिल मिश्रा : बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सभापति महोदय, और सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले एक पौराणिक कथा है जिसको जरूर यहां पर संक्षिप्त में रखना चाहूंगा- कृष्ण जी का जन्म हुआ था और कंस को मालूम था की उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों ही होगी तो उसने क्या कहा था जो बड़े से बड़ा राक्षस था उसको भेजना शुरू किया की इस कृष्ण को मार दो, जो बड़े से बड़ा राक्षस था उसको भेजना शुरू कर दिया की कृष्ण नहीं बचना चाहिए हर तरह का छल प्रपंच, कपट किया लेकिन हुआ क्या कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथों हुई। मुझे लगता है भाजपा वालों को हिन्दू धर्म की ये पौराणिक कथा याद नहीं है याद दिलाने की जरूरत है। 10 फरवरी को दिल्ली की जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया 67 सीटें दी। अब हमारे वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने एक एक्सपेरिमैंट किया है जिसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, दिल्ली की जनता को, जनता के दिये हुए वोट को एक्सपेरिमैंट नहीं कहते, और जो पंजाब की जनता ने किया था आपको जानते थे आप क्या करने वाले हो वो एक्सपेरिमैंट नहीं था मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 10 फरवरी को एक जनादेश आया और 100 दिन हुए हैं इस सरकार को चुने हुए 100 दिन का कल हमने एक रिपोर्ट दिया था कल जनता को कनाट प्लेस में और 100 दिन में इस सरकार ने क्या काम किये हैं पहली बार आजादी के बाद अपने घोषणा-पत्र को लागू करने वाली सरकार जिस सरकार के मुख्य मंत्री खुद सुबह उठते हैं और अपना घोषणा-पत्र उठाते हैं आज इस देश में दो तरह की सरकारों पर दुनिया की निगाह है पूरे देश की निगाह है एक सरकार जो

दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी चला रहे हैं जिसका मुखिया रोज सुबह उठता है अपना घोषणा-पत्र उठाता है और देखता है कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ और अपने मंत्रियों-विधायकों को कह देता है ये वादा पूरा करने में लग जाओ हर रोज सुबह यही काम होता है और एक सरकार जिसके मुखिया रोज सुबह उठते हैं और अपना पासपोर्ट देखते हैं। अरे भईया कौन सा देश घुमने से रह गया उस देश में घुमने की योजना बनाओ। ये दो तरह की सरकारें इस देश में चल रही हैं और इसी कारण 100 दिन की हमारी सरकार के कारण, हमारी एंटीक्रप्शन ब्यूरों के कारण, हमारी बिजली की जो उपलब्धि है उसके कारण, पानी पर हमारे काम के कारण, हमारे मंत्रियों, विधायकों के 24 घंटे जनता के बीच में रहने के कारण, दिल्ली की और देश की जनता को समझ में आने लगा है उसके कारण किसी की 56 इंच की छाती में शायद सांप लौटने लगा है, डर लगने लगा है किसी को अगर 100 दिन में ये हाल हो गया तो अगर इन्होंने पांच साल सरकार चला ली तो क्या होगा, अगर 100 दिन में जनता को पता चल गया तो पांच साल में क्या होगा ये डर लगने लगा है शायद किसी को। सभापति महोदय, एक जमाना था जब लाल किले में एक तखते ताउस नाम का सिंघासन होता था और उस तखते ताउस पर एक बादशाह सलामत बैठते थे और बादशाह सलामत फैसले सुनाते थे, जो फैसला बादशाह सलामत ने सुना दिया, वो जनता को मानना पड़ेगा उसके बाद आजादी की लड़ाई हुई अंग्रेज आये उनसे आजाद हुए और लोकतंत्र कायम हुआ इस देश में लेकिन भाजपा के लोग दोबारा किसी बादशाह सलामत को लाल किले में किसी तख्त पर बैठाकर और उसी तरह से फरमान जारी कराना चाहते हैं उनको लगता है कि जनता की मर्जी से चुनी हुई सरकार का फैसला करे और कोई बादशाह सलामत बैठ जाये और वो फैसले ले, लेकिन इस बादशाह सलामत की दाढ़ी में जो तिनका है वो बड़ी दूर से चमक रहा है, दिल्ली के बच्चे-बच्चे को पता है कि साहब

की दाढ़ी में तिनका है साहब करना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ ओर रहे हैं, दिल्ली की जनता के इस जनादेश के अनुसार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी 49 दिन की सरकार चली जिस सरकार का आपने विरोध किया जन लोकपाल के कानून का विरोध करने का हश्र ये हुआ की आप 32 से 3 हो गये और अब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई का विरोध कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी नहीं लड़ रहे हैं ये एंटीक्रप्शन ब्यूरो कोई हम लोगों की बपौती नहीं है दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता का जनादेश है, पहले तो उन्होंने वोट दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके बाद उन्होंने हैल्पलाईन में शिकायत कराई, हजारों शिकायतें दर्ज कराई दिल्ली की जनता ने इस भरोसे के साथ की एंटीक्रप्शन ब्यूरो काम करेगा और शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ सबूत दिये उनकी रिकॉर्डिंग दी और इसके कारण एंटीक्रप्शन ब्यूरो के पास ये ताकत आई और अब अगर कोई एंटीक्रप्शन ब्यूरों की ताकत को कम करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वो दिल्ली की जनता की जनता की ताकत को कम करने की कोशिश कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल की ताकत को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा अभी मनीष जी ने बताया कि अधिसूचना के दिल्ली की जनता ने इस भरोसे के साथ के एन्टी करप्शन ब्यूरों काम करेगा और शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ सबूत दिये। फोन की रिकार्डिंग दी और इसके कारण एन्टी करप्शन ब्यूरो के पास ये ताकत आयी। अब अगर कोई एन्टी करप्शन ब्यूरों की तातक को कम करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वो दिल्ली की जनता की ताकत को कम करने की कोशिश कर रहा है। वह अरविन्द केजरीवाल की ताकत की कोशिश को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा। अभी मनीष जी ने बताया कि अधिसूचना के दूसरे हिस्से में एन्टी करप्शन ब्यूरो को एलजी के अंडर में देने की बात रखी गयी है। मई

में आपकी सरकार आयी थी इस देश में। दिल्ली में अन्दर उपराज्यपाल का शासन था। एलजी के माध्यम से लगभग 8 महीनों तक भाजपा ने दिल्ली का शासन चलाया तब एन्टी करप्शन ब्यूरों उन्हीं के अंडर में आता था। कितने अधिकारी सस्पेन्ड हुए। जरा ये बताईये। उपराज्यपाल के शासन के दौरान एन्टी करप्शन ब्यूरों ने भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई की। कितने अधिकारी सस्पेन्ड हुए थे। क्या सक्षम था एन्टी करप्शन ब्यूरों। क्या उसको निर्देश दिये जा रहे थे। अब दूबारा वही माहौल बना देना चाहते हैं। 152 अधिकारी सस्पेन्ड हुए है पिछले 100 दिनों में और 51 अधिकारी जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, एक सेकेंड। ओमप्रकाश जी, हर बात पर टोकाटाकी नहीं। ये स्टेटमेन्ट वो सदन में दे रहे हैं। सड़क पर नहीं दे रहें। आप सूची मांग लीजियेगा, सूची मिलेगी। वो ये स्टेटमेन्ट सदन में दिया जा रहा है। हां तो ये स्टेटमेन्ट सदन में कोई सदस्य देता है ओमप्रकाश जी, मेरी बात या तो नियम पढ़ लीजिये। मुझे लगता है आप नये है आपको नियमों की जानकारी नहीं है। मैं बहुत शालीनता से कह रहा हूं कोई भी विधायक एक बार मेरी बात सुन लीजिये। एक बार मेरी बात सुन लीजिये। पहले आप बैठ जाइए दो मिनट के लिये। एक विधायक जो सदन में स्टेटमेन्ट दे रहा है वो स्टेटमेन्ट कोई आधारहीन नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि वो आधारहीन है सूची नहीं है तो आप लिखित में उसका नोटिस दीजिये ना। देखूंगा। कपिल जी आप जारी करिये। जारी करिये। नहीं आप जारी करिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आप वो नाम यहां पर लायें। मंत्री जी इस पर जवाब दें क्योंकि वो होर्डिंग भी लगाये हुए हैं आपने। वो 35 लोगों की सूची कम से कम दिल्ली की जनता के सामने तो आनी चाहिए। ये कौन लोग जेल

गये हैं। और उनके ऊपर क्या आरोप हैं। क्या उन्होंने किया हमको भी तो सबको मालूम होना चाहिए। हम भी अप्रेसियेट करें आपको। सूची देने में क्या दिक्कत है। आप सूची दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये, आप पढ़िये। व्यवधान। विजेन्द्र जी, आपने अपनी बात कह दी। व्यवधान। विजेन्द्र जी, एक सेकेंड बैठिये, बैठिये। विजेन्द्र जी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिये। विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप सूची दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो क्या डील कर रहे हैं शब्द उन्होंने बोला वो निकाल दिया जाये। क्या डील कर रहे हैं आपने ये शब्द बोला है। ये शब्द निकाल दिया जाये। असंसदीय भाषा है। विजेन्द्र जी, आप बैठ जाइए नीचे, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए नीचे। हाईकोर्ट निर्णय दे चुकी है। हाईकोर्ट अपना एसीबी में निर्णय दे चुकी है। और बहुत बड़ा तमाचा है। इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता। आप बैठ जाइए। मैंने कहा। व्यवधान। ओमप्रकाश जी, मैं खड़ा हूं। सदन की मर्यादा का ध्यान रखिये। मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं, बैठिये आप। आप बैठिये, मैं खड़ा हूं। मर्यादा का उल्लंघन मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने जब ये कहा है बात समझ लीजिये एक बार। सदन के नियमों के तहत एक सदस्य कोई स्टेटमेन्ट दे रहा है उस स्टेटमेन्ट पर कोई तथ्यों के आधार पर दे रहा है। उस पर टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती। सदन में। उन्होंने दी है अगर आपको लगता है कि वो गलत है। मेरी बात सुन लीजिये पूरी, मेरी पूरी बात सुन लीजिये। व्यवधान। नहीं-नहीं आप सुन लीजिये, पूरी बात। मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं। मै। खड़ा होकर बोल रहा हूं।

कोई पाबन्दी नहीं है मुझ पर। मैं दो मिनट बाद आप। व्यवधान। अरे, मैं कह तो रहा हूं। आप बैठ जाइए थोड़ी देर। आप बैठ जाइए नीचे। व्यवधान। विजेन्द्र जी, आप सदन की अवमानना कर रहे हैं। बैठिये। मैं, एक सेकेन्ड-एक सेकेन्ड। विजेन्द्र जी पर ध्यान नहीं दीजिये आप। आप डाईरेक्ट बात मत करियें प्लीज। मैं बहुत संयम से, फिर आप खड़े हो रहे हैं। व्यवधान। आप तो कोई मर्यादा नहीं समझते सदन की। नहीं आती तो आप सीख लीजिये। एक दिन आ जाइए मेरे चेम्बर में। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। मैं खड़ा हूं। मैंने ये कहा है कि एक माननीय सदस्य ने जो बात कही हैं वो तथ्यों के आधार पर कहीं हैं। अगर आपको लगता हैं कि तथ्य नहीं है उसका संज्ञान लिया जा सकता है। सदन की गरिमा को ताक पर नहीं रखा जाना चाहिए। आप मुझे लिखके दीजिये। मैं उसका उत्तर मंगवाकर आपको दूंगा। व्यवधान। अभी सुन लीजिये। आप ठीक हैं। आप लगे हुए हैं। आप लिखकर। व्यवधान। बोर्डों की बात इस समय नहीं हो रही। इस वक्त वो खुद मुख से बोल रहे हैं। बोर्डों का विषय अभी नहीं है। आपको, आपको कुछ लगता है आप लिख के। आपने समय मांगा हैं न। ओम प्रकाश जी, मेरी बात सुन लीजिये। आपने समय मांगा है मैं जब दूंगा जब आप बोलियेगा। मैंने रोका थोड़ी हैं। आपने मांगा है समय लिखा है मेरे पास। जो मेरे। ये लिखा है नहीं मांगा समय। केन्सिल कर दूं मैं इसको। सदन को ठीक से चलने दीजिये। मर्यादित होकर चलने दीजिये। कपिल जी, बोलिये। व्यवधान। मैं आपको कोई इजाजत नहीं दे रहा। विजेन्द्र जी, आप बैठिये। व्यवधान। कपिल जी, आप जारी रखिये अपना बयान। व्यवधान। कपिल जी आप बोलिये, जारी रखिये। विजेन्द्र गुप्ता जी जो बोल रहे हैं वो सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाये। व्यवधान। मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, हमारा कहना है। आप कन्ट्राडिक्टरी कर

रहे है आप समझ लीजिये। हम कह रहे है कि उन्होंने माननीय सदस्य ने एक बात कहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वो मैंने सुन लिया। आप बैठ जाइए। मैंने सुन लिया। व्यवधान।

श्री कपिल मिश्रा : जहां पर भ्रष्टाचार की बात होती है। 11- अशोका रोड पर बैठे। व्यवधान।

अध्यक्ष महोदय : आप सदन का समय खराब कर रहे हैं और ये जितना समय आपको बोलने के लिये दिया जायेगा। आपने मुझसे समय मांगा उसमें से कटेगा। मैं आग्रह कर रहा हूं। व्यवधान। जारी करिये।

श्री कपिल मिश्रा : मैं एक बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय अपनी बात को जारी रखते हुए। यहां एन्टी करप्शन ब्यूरों भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी एक हवलदार के ऊपर एक्शन लेता है और वहां गृह मंत्रालय में आपातकालीन मीटिंग बुला ली जाती है। कभी किसी महिला के साथ बलात्कार होने पर तो आपातकालीन मीटिंग नहीं बुलायी गृह मंत्रालय ने। कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गृह मंत्रालय ने। ये जो नोटिफिकेशन आया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक चपरासी भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकता। दिल्ली का मुख्यमंत्री एक स्टेनोग्राफर भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकता। लक्ष्य क्या है इस नोटिफिकेशन का। इसकी वैलिडिटी क्या है। चार संवैधानिक विशेषज्ञों से राय ली गयी थी। गोपाल सुब्रमण्यम जी से, के.के. वेणुगोपाल जी से, इन्दिरा जयसिंह जी से और राजीव धवन जी से। अब चारों की राय क्या है एक बात मैं सदन के सामने रख देता हूं। सुब्रमण्यम जी कहते है "such an exercise may be assailed

in a court of law as a fraud on Constitution." वेणुगोपाल जी कहते हैं- "if Government is given a Chief Secretary who obeys the orders of the administrator and not of the Council of Ministers of the Chief Minister, this would..... the said operative direction is patently unconstitutional." गैर संवैधानिक है। गैर कानूनी है। ये राय कौन दे रहा है इनको।

श्री कपिल मिश्रा : तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है

सचिव बेद गुरु तीनों जोग प्रिय बोले बयास।
राज धर्म तन दीनिकर, होइ है बेगिहि नाश।

ये विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं जी। एक ही लक्ष्य पूरी की पूरी सरकार का लगता है कि अरविन्द केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को काम मत करने दो। इनके हाथ-पांव बांध दो। 49 दिन की आधी अधूरी सरकार जब उसने इतना काम कर दिया अब तो 67 सीटों वाली सरकार है। अगर इसने काम कर दिया तो क्या होगा। अरविन्द केजरीवाल को रोको, ऐसा लगता है कि केन्द्र की सरकार का केवल एक ही लक्ष्य है कि अरविन्द केजरीवाल को काम करने से रोको। बांध दो।

अध्यक्ष महोदय : कपिल जो, थोड़ा शार्ट करिये प्लीज।

श्री कपिल मिश्रा : सर मैं पांच मिनट और लूंगा, बहुत ही गंभीर समस्या है ये जो इन्होंने रखी है इसके बारे में कहना जरूरी है। ये जो नोटिफिकेशन सर्विसेज को लेकर दिया है कि सर्विसेज शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और केन्द्र में भाजपा की सरकार थी। भाजपा वाले कहते हैं सब कहते हैं सब मानते है कि उस समय भ्रष्टाचार हो रहा था पूरी दिल्ली में तब तो सर्विसेज नहीं छीनीं आपने। तब तो पूरे अधिकार देकर रखे थे आपने। सरकार तो आप

ही की थी। अब भ्रष्टाचार से लड़ाई हो रही है तो अधिकार छीन रहे हो। आज कोई पूर्ण राज्य की मांग करने के लिए नहीं बैठे। बड़ी लड़ाईयां लड़ेगें। लेकिन सर्विसेज पोस्टिंग, ट्रांसफर अगर मुख्यमंत्री से छीनने की कोशिश होती है तो ये तो वही बात हो गयी कि पांच गांव मांग रहे थे पांडव और दुर्योधन कहता था कि सूई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका। आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, तो पहले विवेक मर जाता है। दिल्ली की जनता के ऊपर रिमोट कन्ट्रोल से शासन करने की कोशिश की जा रही है आज ये लड़ाई कोई दिल्ली की सरकार और केन्द्र की सरकार के बीच नहीं है ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता के बीच की लड़ाई है। दिल्ली की जनता के जनादेश को झुठलाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहता हूं साहब आपके भी कुछ मुख्यमंत्री रहे होंगे। मदनलाल खुराना जी है, कभी उनके घर चले जाइए, आपके नेता आजकल जाते नहीं हैं उनके दरवाजे पर। मदनलाल खुराना जी से जाकर पूछिये कि दिल्ली को क्या अधिकार मिलने चाहिये। उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी थी। स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी ने अपनी राय रखी थी। सुषमा स्वराज भी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उन्होंने भी झेला था कितना कष्ट होता है जब पूरे अधिकार नहीं मिलते हैं। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जब गृह मंत्री थे वो तो बिल ही लेकर आ गये थे दिल्ली को अधिकार देने के लिए। मैं एक बात कहता हूं साहब। भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है दिल्ली की फाईल हमारे एलजी के पास भेजने से पहले अपने मार्गदर्शक मंडल के पास भेज दिया करे। इनके मार्गदर्शक मंडल से मार्गदर्शन लें लें। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपको मार्गदर्शक मंडल अगर काम करेंगा तो कुछ सही मार्गदर्शन देगा।

अपने मार्गदर्शक मंडल के पास ही ले जाइए इस फाईल को। वो भी बता देंगे कि दिल्ली के साथ ऐसी तानाशाही नहीं होनी चाहिए। ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। रिमोट कन्ट्रोल से, कोई आज से ठीक एक साल पहले 25 मई, 2014 को डॉ. हर्षवर्धन ने एक बयान दिया था उन्होंने कहा था केन्द्र में मोदी जी की सरकार आ गयी है प्रधानमंत्री है, पहला काम यही करेंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलायेंगे। ये बयान है उनका आन दि रिकार्ड। और क्या किया, पहला काम। एन्टी करप्शन ब्यूरो की ताकत को कम करने का काम किया आपने। दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया आपने। दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया आपने। इतने बड़े यू-टर्न इतना बड़ा झूठ। मुझे लगता है शायद आज तक इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं आयी होगी जिसने इतने झूठ बोले होंगे साहब। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो अधिसूचना है ये गैर कानूनी है। कल हाईकोर्ट ने आपको आईना दिखाया है जिस ओर एक और ऐसी अधिसूचना आपने जारी की थी जिसको इलिगल साबित किया गया है और एक दूसरी लेकर आप आ गये। कितनी बार वही-वही गलतियां की जायेंगी। दिल्ली की जनता के साथ कितनी बार ठग करने की कोशिश की जायेगी। दो तीन बातें और कहना चाहता हूं जरूर समय ज्यादा ले रहा हूं लेकिन अनुमति चाहता हूं आपकी। दो मिनट और लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : और सदस्यों के नाम हैं।

श्री कपिल मिश्रा : बिल्कुल जल्दी से खत्म करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग दिल्ली की सरकार के हांथ-पांव बांधने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं एक साल में। मंगोलिया को पैसे देकर और मंगोलपुरी की जनता के अधिकार छीन रहे हैं। मंगोलिया में जाकर ड्रम बजाने से देश नहीं

चलता है साहब और सदन के सामने एक बात और कहना चाहता हूं मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी बहुत पीड़ा हुई थी। मैं कहना चाहता हूं इस बात को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विदेश में जाकर ये कहा कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले लोगों को हिन्दूस्तानी होने में शर्म आती थी। भगवान राम का देश है ये। व्यवधान। भगवान कृष्ण का देश है ये।

अध्यक्ष महोदय : बाईन्डअप करिये। बाईन्डअप करिये प्लीज।...(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : खत्म कर रहा हूं साहब।...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, ये डिस्कशन में बार-बार प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी कर रहे है।...(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : महात्मा गांधी के देश के नागरिक होने में शर्म आती थी शर्म तो तब आती है साहब शर्म तो तब आती है जब एक ईमानदार आई. ए.एस. अफसर खड़ा होता है और उसे नोटिस भेज देते हैं कि बन्द गले का कोट क्यों पहनकर खड़े हो गये। और एक अम्बानी पीठ पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है तो आप गदगद होकर वहां खड़े हो जाते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणापत्र को देखे, अपने दिये हुए नेताओं के बयान को देखे। ये संविधान है कभी इसको देख लिया करिये। इसको देख लीजिये और अगर संविधान देखने का टाईम न हो तो अपने द्वारा की हुई ट्वीट को पढ़ लिया करिये। कुछ ट्वीट करी है आपने भी केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों पर। वाजपेयी जी ने भी कुछ बातें कही हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है आर्टिकल 283 इसमें विधान सभा को शक्ति देता है सारे फण्ड को मैंनेज करने की, जो दिल्ली में हैं। जिसमें अधिकारियों की सेलरी भी आती है।

यानी कि तनखाह देंगी दिल्ली की जनता और उनकी नियुक्ति पोस्टिंग, ट्रांसफर करेगा कोई बन्द कमरे में बैठा हुआ अधिकारी। ये नहीं चलने दिया जायेगा साहब। अगर तन्खाह देने की ताकत हमारे पास है इस विधान सभा के पास है। फण्ड को मैनेज करने की ताकत हमारे पास है तो नियुक्ति और पोस्टिंग, ट्रांसफर भी हमारे पास रहने वाला है किसी और के पास नहीं जाने वाला है। अपनी बात के अन्त में केवल चार लाईन कहना चाहता हूं एक सूनापन रहा काफी समय आकाश में, लोग कहते हैं परिन्दे परकटे पैदा हुए, कोई सूरज से कहा, हमसे ठिठोली ना करें, क्या डरेंगे धूप से जो आग में पैदा हुए, क्या डरेंगे धूप से जो आग में पैदा हुए। ये गैर कानूनी, असंवैधानिक नोटिफिकेशन है। इसको ये विधान सभा मानने से इन्कार करे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। मुझे उम्मीद है कि ये सदन इस नोटिफिकेशन को रद्द कर देगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक् यू, जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी, राजौरी गार्डन। श्री जरनैल सिंह, राजौरी गार्डन। आदर्श शास्त्री जी। श्री आदर्श शास्त्री जी। है जरनैल सिंह कहां हैं। ठीक है मैं देख रहा हूं खड़े नहीं हुए।

श्री जरनैल सिंह : मैं खड़ा हूं सर। बैठने के लिए नहीं आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस काली अधिसूचना के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से कभी-कभी देश में काले कानून बने। इसे देश के इतिहास में काली अधिसूचना के तहत जोड़ा जायेगा। हमारे मित्र भाजपा से विजेन्द्र गुप्ता जी अभी लिस्ट मांग रहे थे कि किन-किन अधिकारियों को अभी सस्पेण्ड किया गया किन-किन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार कर रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लिस्ट उनको मिल

जायेगी। लेकिन इस देश को उनकी लिस्ट कब मिलेगी जिनके बारे में कहा गया था कि काला धन उन्होंने विदेशों में जमा करा रखा है। वो सूची, वो सूची आज तक नहीं मिल पायी है। कभी कोई कारण बता दिया जाता है तो कभी कोई कारण बता दिया जाता है और मुझे खुशी है कि इस अधिसूचना के सम्बन्ध में मैं कोट कर देता हूं एक सम्माननीय समाचार पत्र ने जो लिखा है जो कल आदेश आया है मैं कोट करता हूं in an embarrassment for the Centre, the Delhi High Court on Monday restored the powers of Delhi Government's Anti Corruption Bureau to probe and prosecute all Government corrupt employees including IAS and IPS Officers in the jurisdiction of Delhi." ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है। "L.G. must respect mandate of people" ये आपको देश की जूडिसियरी कह रही है। "L.G. must respect mandate of people in matters which fall within the domain of Delhi provided there is no other legal fetter. L.G. can't act in his discretion, bound to act upon the aid and advice of State Cabinet." आपको मानना पड़ेगा। आप देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। आप देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र के मानदंड है "to the people, for the people, by the people." लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। सरकार ये लोकतंत्र है और आप चाहते हैं धन्नासेठों के लिये लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के द्वारा केन्द्र सरकार। ये नहीं चलेगा। ये ठीक नहीं है। ये जो अधिसूचना है हमें इसके राजनीतिक पहलू पर जाना पड़ेगा। इसके कारणों में जाना पड़ेगा। ये सिर्फ एक टेक्निकल मैटर नहीं है। ये ऐसे कुंठित शाहंशाह की कुंठा है जो चाहती है कि इस दिल्ली के लाखों लोगों की भावनाओं को अपने घमंड के घोड़े से रौंद दिया जाये। लेकिन

ये रौंदी नहीं जा सकती। ये कुंठा है। देश के इतिहास में कई बादशाह हुए। कई सम्राट हुए। कई जंग हुई। लेकिन तब तक अधूरी रही जब तक उन्होंने दिल्ली पर कब्जा नहीं कर लिया। और ये कुंठा है। एक तानाशाह में कि दिल्ली उसके हाथ नहीं आयी। और वो अधूरापन रह गया और उस कुंठा के तहत ही अधिसूचना जारी होती है। कभी हमारे विधायक के खिलाफ परचे दर्ज किये जाते हैं और कभी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री का कोई भी अपनी फाईल शेयर करने से इन्कार कर देते हैं। ये कुंठा है। आपने खुद रामजेठमलानी जी ने आपको अगर याद होगा। आडवानी जी के वक्त जब वो लॉ मिनिस्टर थे और ये कहा जा रहा था कि एलजी को डिसक्रिशन दे देनी चाहिए कि वे मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करेंगे या नहीं करेंगे तब उन्होंने मैन्डेट्री बनाया था एक आर्डर दिया था कि एलजी को मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करना आवश्यक होगा और जिस फाईल पर वह विचार विमर्श नहीं कर सकता उसके बारे में उसको रीजन उस पर लिखना पड़ेगा। आज आप उसी से पलट गये हैं। आज आप उसी से पीछे हो गये है। इसका क्या कारण है कि जब 1998 में लालकृष्ण आडवाणी जी ने उस समय साहब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली के लिए एक एक्ट लेके आये थे उसको पूर्ण स्वराज्य का दर्जा देने के लिए हालांकि वो अधूरा था उसमें भी कमियां थीं। लेकिन वो लेकर आ रहे थे। लेकिन आपकी सरकार नहीं बन सकी। आप फिर 2003 के अन्दर इसी पास में आपके इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अन्दर लालकृष्ण आडवानी जी ने कहा कि मैं प्रस्ताव लेकर आऊंगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए आप प्रस्ताव लेकर आये कुछ कमियां उसमें थीं लेकिन उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया और आज के राष्ट्रपति उस समय उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे लेकिन उसके अंदर भी एक कमी थी राष्ट्रपति को बहुत अधिक अधिकार दे दिये गये थे उस एक क्लॉज

की वजह से वह रुक गया और आज तक वो वापिस नहीं आ पाया हमारे मित्र ने पहले भी कहा कि मदनलाल खुराना जी से पूछ लीजिए मदनलाल खुराना जी, विजय कुमार मलहोत्रा जी, विजय गोयल जी, हर्षवर्धन जी, साहिब सिंह वर्मा सब ये कहते रहे कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए फेक यौद्धाओं ने कुछ नहीं किया और आज चुप करके बैठे हुए हैं, जब दिल्ली की जनता के अधिकारों को छिना जा रहा है मैं हाथ जोड़कर विनय करता हूं हमारे अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि यदि एक राय हो तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है यदि आप सहमत हैं यदि 67 विधायक हमें दिये हैं और आपके पास पूर्ण बहुमत है तो आइये हमारे साथ चलिये और संसद में जाकर उसका बिल पास करवाईये ये एक ऐतिहासिक बहस है, ये एक 'ऐतिहासिक क्षण है जो आने वाले समय में दिल्ली की दिशा और दशा क्या होगी उसे तय करेगा लेकिन कारण से हमें कुंठा नहीं है, कारण एक भय भी है ये कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे किसी ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा हो लेकिन कुछ बालकों ने दिल्ली में पकड़कर उसका घोड़ा बांध लिया तो वो तिलमिलाया हुआ है मैं फिर बता देता हूं कि उस सम्राट को ये तिलमिलाहट क्यों है उस तानाशाह को ये तिलमिलाहट क्यों है कारण यह है कि वो भयाक्रांत है वो जान रहा है, वो डर रहा है उस कारण से कि दिल्ली के अन्दर, इस देश के अन्दर कांग्रेस की सरकार को उखाड़कर फेंकने का जो जनआंदोलन शुरू किया था उसका नेतृत्व अन्ना हजारे और केजरीवाल कर रहे थे एक समय था जब विपक्ष विपक्ष नहीं था आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे विपक्ष बन चुके थे और वो जो मशाल उन्होंने जलाई थी वो जो आंदोलन की मशाल जलाई थी उसने कांग्रेस के साम्राज्य को राख करके रख दिया और आज इस विधानसभा में उस कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं है इनको मालूम

है कि ये उस समय सड़कों पर नहीं उतरे कोई मोदी जी सड़कों पर नहीं उतरे थे कोई उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख नहीं जलाई थी उन्होंने कोई दंडे नहीं खाये थे उन्होंने बेईमानों के खिलाफ कोई केस नहीं खोले थे ये लड़ाई हम लड़ रहे थे हां एक सांगठनिक ढांचा उनको मालूम है कि हमारी पार्टी के पास पूरे देश में नहीं था इसलिए उनको एक मौका मिल गया वो जानते हैं कि मौके पे चौका पड़ गया लेकिन अगर दिल्ली के अन्दर ये सरकार कामयाब हो गई तो लोग देखेंगे कि दिल्ली की सरकार ने क्या किया और मोदी की सरकार ने क्या किया और आने वाले समय में ये चुनौती उनको दिल्ली की इस सरकार से और अरविंद केजरीवाल से मिलने वाली है और इस डर से इस भय की वजह से वो चाहते हैं एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि ये सरकार चला नहीं पा रहे हैं इन्हें सरकार चलानी नहीं आती है ये तो संविधान को समझते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी प्लीज शॉर्ट कीजिए।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) : अध्यक्ष जी, स्थिति ये हैं कि हमारे हक छीने जा रहे हैं। हम पहली बार इस विधानसभा में आये हैं चाहे वैसे एमए पॉलीटिकल सांईस में की तो Contemporary Politics and Governments को पढ़ने का मौका मिला लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है ये संविधान को न मानने वाले लोग हैं उसमें से सेक्यूलर शब्द हटा देना चाहते हैं इन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था कि संविधान की समीक्षा करके उसको बदल दिया जाए लेकिन जस्टिस वैंकट चलैया ने होने नहीं दिया था लेकिन इनकी नजरें टिकी हुई हैं यह तानाशाही प्रवृती है अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है ये लोकतत्र और संविधान के खिलाफ एक साजिस हो रही है मेरे मित्र ने पहले ही बताया...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी प्लीज शॉर्ट कीजिए। बहुत सदस्यों को बोलना है।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) : अध्यक्ष जी, मुझे लगा कि मैंने अभी शुरू किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपने बहुत अच्छा बोला है।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) : अध्यक्ष जी, मैं इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूं। मैं उन बातों को छोड़ देता हूं जिन्होंने ये किया मैं एक भय की बात क्यों कर रहा हूं। चीफ विजिलेंस कमीशनर अभी तक नहीं लगाया गया है। चीफ इन्फार्मेशन कमीशन अभी तक नहीं लगाया गया है। इन्टीकरपशन ब्यूरो के हाथ पॉव बांधके अपने पास ले आओ। इनको डर है कि दिल्ली के अन्दर बैठी हुई सरकार हमारे भ्रष्टाचार के परद उखेड़ देगी। और इस डर की वजह से ये सरकार कहीं चल न जाए कहीं ये हमारे भेद खोल न दे ये एक डर इनको बना हुआ है इस डर की वजह से ये अधिसूचना लेकर आये हैं। मैं फिर कहता हूं कि सूट बूट की ही नहीं लूट और खसूट की भी सरकार है। और ये लूट खसूट की ही नहीं ये एक बहुत बड़े झूठ की भी सरकार है। ये झूठ लूट और खसूट की भी सरकार है जो किसानों के हक लूट रही है। गरीबों के हक लूट रही है। ये प्रधानमंत्री जी को इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि यह अधिसूचना जो है केन्द्र सरकार से आई है कोई किसी और ने जारी नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी प्लीज वाइंडअप कीजिए। अब समय नहीं है लगभग 22-23 सदस्यों ने बोलना है।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) : अध्यक्ष जी, मैं इसको वाइंडअप कर

रहा हूं सिर्फ कुछ एक बातें याद दिलाके। विजय गोयल जी ने कहा था दिल्ली को विकासपूर्ण राज्य का दर्जा न होने की वजह से यह रुका पड़ा है। National Executive बीजेपी में कहा गया without control on Police and Land, Delhi cannot be called a state. अब क्या हो गया। अब दिल्ली राज्य है। आपके मदनलाल खुराना जी ने कहा था अगर कोई वीवीआईपी की बात है तो आप अगर मिजोरम है, नागालैंड है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब था अगर वहां पर कंट्रोल किया जा सकता है वहां पर insurgency की स्थिति है तब भी केन्द्र वहां पर उसको संभालती है और पुलिस जो है वो राज्य के अन्तर्गत रहती है। आपको अगर तुगलक रोड थाना चाहिए तो वो ले लीजिए। चाणक्यपुरी थाना चाहिए ले लीजिए, पालिर्यामेंट स्ट्रीट थाना चाहिए तो ले लीजिए भाई आपको तिलक नगर थाना क्या करना है आपको ख्याला के थाने का क्या करना है। आपको क्या करना है उसका वो लोग हमसे पूछते हैं। हम विधायक हैं लोग हमारे पास आते हैं कोई दिक्कत हो जाती है तो एसएचओ से बात कीजिए। कोई दिक्कत हो जाए हमारे यहां एक बच्ची अगवा हो गई है अब दस दिन हो गये हैं वो लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं कि आप मना नहीं कर सकते। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें जवाब देना पड़ता है। लेफिटीनेन्ट गवर्नर जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री उसको जवाब नहीं देता। हमें जवाब देना पड़ता है। अगर हमारे पास नहीं होगा। एक तरफ आपके हर्षवर्धन जी कहते हैं कि लैंड नही होगा तो स्कूल नहीं बनेंगे, हॉस्पिटल नहीं बनेंगे विकास रुक जाएगा ये बात उन्होंने की थी। आपने एनडीए के घोषणापत्र में कहा था उत्तरांचल बनाएंगे, वनांचल बनाएंगे छत्तीसगढ़ बनाएंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। उत्तरांचल तो बन गया, उत्तराखंड हो गया। वनांचल बन गया झारखंड हो गया आपने बना दिया छत्तीसगढ़ लेकिन आज तक 1999 में जो वादा बीजेपी की सरकार ने किया था

आज पूर्ण बहुमत के साथ आई है मैं उनसे विनय करता हूं कि आप संसद में सदन में लेकर आईये और इस प्रस्ताव को पारित कीजिए। इसके साथ समय की पाबंदी लगा दी गई है मैं इतना कहता हूं कि इस अधिसूचना काली अधिसूचना का मैं विरोध करता हूं और इसको निरस्त किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : Honourable Speaker, Sir, it is a great distress that has been brought to the notice of this August House what can only be termed 'a murder of democracy' and the blatant disregard of the federal structure enshrined in the Constitution itself. सर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 2015 के ऐतिहासिक चुनाव में आम आदमी पार्टी की अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जीत हुई जहां पर लगभग 95 प्रतिशत विधान सभा की सीटों पर लोगों की, दिल्ली की जनता की will देखी गई। ये भी बात बिल्कुल साफ है सर कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में 68 लंबे वर्षों में कोई भी प्रदेश का चुनाव, शहर का चुनाव, किसी भी राज्य का चुनाव, यहां तक कि किसी भी जनरल इलेक्शन में इस तरह की ऐतिहासिक जीत कभी किसी पार्टी को नहीं मिली। Sir, the people of Delhi, through this election, brought forward a Government which represents the best interests in the form of the Aam Aadmi Party Government led by Mr. Arvind Kejriwal. सर, पिछले कुछ दिन से भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की सरकार के माध्यम से दिल्ली सरकार की जो राइटस हैं दिल्ली सरकार की जो ताकत है, उस पर बाधा बांधने की कोशिश की गई है। और ये एक ऐसी चोट है दिल्ली के लोगों की उम्मीद

पर, दिल्ली के लोगों के विश्वास पर, जो लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार से जताई। जिसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग आज यहां इकट्ठा हुए हैं। ये जो Constitutional crisis खड़ी करने की कोशिश केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, न केवल ये दिल्ली को अपने माध्यम से और अपने तीन चुने हुए विधायकों के बल पर चलाना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : ये मीडिया के किसी बंधु का मोबाइल बोला है। इसको तुरन्त बाहर भेजें। किसी के मोबाइल पर अभी रिंग आई है। उसे बाहर भेजें। तुरन्त बाहर भेजें। आप जारी रखिए।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार के माध्यम से न केवल तीन विधायकों के माध्यम से दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश है, मगर उससे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो लोग नियुक्त हुए हैं, वे दिल्ली को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो इलेक्ट हुए हैं, उनको यहां पर पीछे छोड़ा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 15-20 साल की राजनीति के बारे में मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता ने राजनीति पर विश्वास खो दिया था। इस चुनाव से और इस ऐतिहासिक जीत के माध्यम से ये साबित कर दिया है कि अरविन्द केजरीवाल के तहत ये आम आदमी पार्टी की सरकार उस खोये हुए विश्वास को दुबारा कायम करने की कोशिश कर रही है। और ये उस पर चोट है। ये जो नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने जारी किया है। वो blatant disregard उन तीन statutes का जो हम लोग संघीय स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। भारत का संविधान, 1991 का National Capital Territory Act और Transaction of Business Rules. Sir, it is, indeed, a travesty to the spirit of the Statute that through this, the elected Chief Minister of Delhi does not even

have the power to choose transfer and posting of anyone of his choice right from Secretary to a clerk, to a stenographer and to a peon. Sir, in line of the above facts, I believe that the notification issued by the Ministry of Home Affairs, both of 1998 and of 2015 should be quashed and a resolution to this effect be table in this House clearly expressing the will of the people of Delhi. Sir, I would like to bring to the notice of this House also Section 163 of the Constitution और उसकी कमेन्टरी ये बात साफ कहती है and I quote, "the responsibility of the people is of the Chief Minister and not of the Governor. Sir, legal luminaries and experts का जो interpretation है संविधान का। इसमें श्री इन्दिरा जय सिंह को मैं कोट करना चाहूंगा। "in my opinion that is lack of competence on the part of the Central Government to issue such a notification in as much as this amounts to removal of power to legislate on services from the State List. It is axiomatic that no provision of the Constitution can be deleted except by an amendment to the Constitution itself. The fact that there is no cadre does not mean that there is no power to Legislature. The existence of power is one thing while the exercise of power is another thing. सर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की बेंच की रूलिंग थी 1974 में जो केस E.P. Royappa Vs State of Tamil Nadu का था। उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही गयी। पैरा 87 में कहा कि चीफ सैक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के बीच में रिलेशनशिप की बात की गयी और उसमें पैरा

87 में ये बोला और मैं कोट करता हूं, "The post of the Chief Secretary is a highly sensitive post. It is a post of great confidence a linchpin in the administration. A smooth functioning in the administration requires there should be complete rapport and understanding between the Chief Secretary and the Chief Minister. The Chief Minister, as the Head of the Government, is in the ultimate charge of the administration और सर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं सदन को बताना चाहता हूं It is he who is politically answerable to the people of the State for the achievements and failures of the Government. If, therefore, for any reason, the Chief Secretary forfeits the confidence of the Chief Minister, the Chief Minister must, legitimately in the larger interest of administration, shift the Chief Secretary to another post." सर, इसी बात पर कल दिल्ली के ऑनरेबल हाईकोर्ट की जजमैन्ट एसीबी को लेकर जो जारी की गई, उसमें भी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि Ministry of Home Affairs की नोटिफिकेशन गलत है। सर, भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार और उनके प्रधानमंत्री Co-operation of constructive federalism की बात करते हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। और साथ ही साथ मजाक उड़ाते हैं लोकतंत्र का। जो दिल्ली और दिल्ली की जनता ने इस सदन में रखा है। सर, संघीय स्ट्रक्चर पर मैं बात करना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण मामला एस.आर. बोम्मई और यूनियन ऑफ इंडिया का था। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1974 की अपनी रूलिंग को ओवर रूल किया और ये कहा। उन्होंने that in the face of changes, to meritly pirate in

originalist Constituional view of a strong Centre while interpreting legal provisions is to take a dim view. ये छोटी सोच है। Centralizing tendency in the federal structure was adopted at a time and it was necessary. सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जब इस तरह का संघीटय स्ट्रक्चर में केन्द्रीय सरकार को ताकत ज्यादा दी गई थी। उस समय आजादी के पहले 15 साल थे। और उस समय जरूरत थी कि केन्द्र को ज्यादा मजबूत किया जाये। संघीय ढांचे में आज ये जरूरी है कि राज्यों को भी ताकत दी जाये और राज्यों को इंडिपेन्डेन्स दी जाये कि इस देश और राज्य के लोग उस सरकार को अपनी भलाई और अपनी जिन्दगी को बेहत्तर बनाने के लिए चुनते है। Sir, I would also like to talk about one or two provisions of the Sarkaria Commission with regard to administrative relations. Sir, federalism is no more a functional concept for cooperative action than a static Institutional concept. Sir, Article 256 provides a tool by the liberal use of which cooperative fedralism can be substantially realized in the working of the system. A more generous use of the tool should be made for progressive decentralization of pass to the Govt. of the States, सर अंत में सरकार कमीशन ने बहुत महत्वपूर्ण बातें गवर्नर और लेफिटेन्ट के रूल को लेकर कही, वह मैं सदन में आप लोगों के बीच में यहां पर रखना चाहता हूं। सर पैरा 77 में सरकारिया कमीशन साफ कहता है in matters in which the Governor acts in his discretion, though not obliged to seek the advice of the Council of Ministers, yet would act in harmony with his Council of Ministers. The Constitution does not aim बहुत महत्वपूर्ण बात सरकारिया कमीशन ने यहां कही है। The Constitution does

not aim at providing the parallel administration within the State by allowing the Governor to go against the advice of the Council of Ministers, Sir, I would also like to mention another key recommendations of the Sarkaria Commission और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं यह समझता हूं कि आज की इस चर्चा में आगे जब ये बात रखी जाये तो इस माध्यम से इस सदन के माध्यम से ये बात लोकतंत्र में दिल्ली के और अन्य राज्यों की बातों में आनी चाहिए। सरकारिया कमीशन ने ये साफ कहा कि कांस्ट्रियूशन का आर्टिकल 155 और 156 को अमेंड किया जाये। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं ये समझता हूं आज की इस चर्चा में आगे जब ये बात रखी जाए तो इस माध्यम से, इस सदन के माध्यम से यह बात लोकतंत्र में दिल्ली के और अन्य राज्यों की बातों में आनी चाहिए सरकारिया कमीशन ने यह साफ कहा कि कांसटीट्यूशन का आर्टिकल 155 और 156 को एमेंड किया जाए। जिस तरह पार्लियामेंट में ताकत है राष्ट्रपति को impeach करने की उसी तरह State legislature को ताकत देनी चाहिए Governor को impeach करने की। Sir, I would like to place on record my request to this House should pass a historical resolution articulating the need of a new age federalism for moving to amend article 155 and 156 of the Constitution through the Parliament to provide for the impeachment of the Lt. Governor of Delhi. Also, this resolution should state that as per recommendations of Sarkaria Commission the duly elected state Government राज्य की सरकार को प्रोमिनेंस होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए गर्वनर की नियुक्ति

में। साथ में ये नियुक्ति गर्वनर की ऐसे व्यक्ति की होनी चाहिए जिसका पैनल, जिसकी सूची राज्य सरकार मिलकर बनाए। इसी के साथ Speaker, Sir, I once again thank you for giving me an opportunity to lay my views before this temple of democracy and would ask the House to place on record that through this Assembly, the will of the people is paramount. Thank you.

अध्यक्ष महोदय : भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ : बहुत-बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय आपका। अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर केन्द्र सरकारों तथा राज्यपालों की जो मनमानी चलती रही है उससे हम सब अवगत है। कहीं न कहीं उन्होंने अपनी ताकतों का जहां-जहां दुरूपयोग किया है उस बात को लेकर के मुझे लगता है कि भारतवर्ष में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने समय-समय पर इस मांग को उठाया है। संविधान के अनुच्छेद संख्या 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी और अनुच्छेद संख्या 154 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। अध्यक्ष महोदय, 4 मई 1978 को डा. रघुकुल तिलक के प्रकरण के अंदर उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया उनके अनुसार भारत सरकार और राज्यपाल के बीच जो संबंध है वह नियोजक और नियोजित नहीं है। राज्यपाल और राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीनस्थ नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर यह सच्ची और संवैधानिक स्थिति है वहीं दूसरी ओर राज्यपाल के पद सहित विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं बड़े सुनियोजित तरीके से उनके स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र है हिन्दुस्तान में। हम सभी यहां पर 67 जो विधायक चुनकर के बैठे हैं, सभी ने बड़ी जागरूकता का परिचय

दिया है। व्यवस्था परिवर्तन की एक विचारधारा के अंदर कहीं न कहीं उन्होंने अपना विश्वास जताया है लेकिन मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कहती हूं कि हम सारे विधायक इस सभा में, इस सदन में अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप स्वयं उस समय विधायक होते थे जब आदरणीय मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री होते थे। उन्होंने स्वयं इस पीड़ा का, आप लोगों को अपनी पीड़ा जब उन्होंने बताई तो उन्होंने यह कहा था कि सदन में मुख्यमंत्री बनकर बैठने से बेहतर यह होगा कि मुझे खुरपी हाथ में दे दो और मैं यहां सदन में आकर घास काटने का काम किया करूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, व्यवहार में एक प्रकार से राज्यपाल की स्थिति ब्रिटिश सरकार के दिनों में देसी राज्य के निवासी जो एजेंट हुआ करते थे, सेम वही स्थिति हमारे यहां पर दिल्ली के अंदर राज्यपाल अपने व्यवहार से हमें दर्शा रहे है कि मैं स्वयं में क्या हूं। ऐसा लगता है कि दिल्ली के राज्यपाल महोदय ने अपनी सेवाएं केन्द्र सरकार में सत्तारूढ़ राजनैतिक दल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनको अर्पित कर दी हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कई प्रदेशों में राज्यपालों ने समय-समय पर अपनी मनमानी और केन्द्र सरकार की मनमानी को इतिहास के अंदर कहीं न कहीं दर्ज कराया है। अगर आप मुझे दो मिनट का समय और देंगे तो मैं 2-4 उदाहरण आपके बीच में रखूंगी। श्री बूटा सिंह जी, बिहार सरकार के राज्यपाल रहे। हंगस एसेंबली का गठन हुआ। केन्द्र सरकार का राज्यपाल के माध्यम से, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल रखा, बिहार की सरकार के ऊपर। बीजेपी को स्वाभाविक तौर पर गुस्सा आना था उन्होंने वहां जाकर इस बात को रखा, वो कोर्ट में गए इस बात को लेकर कि उन्हें बहुमत साबित करने का समय

नहीं दिया गया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि बूटा सिंह जी ने जल्दबाजी के अंदर इस निर्णय को लिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं बूटा सिंह जी ये नहीं चाहते होंगे कि बिहार के अंदर बीजेपी की या जेडीयू की सरकार बने और स्वयं उन्होंने 26 जनवरी 2006 को बूटा सिंह जी ने राष्ट्रपति कलाम जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही एक प्रकरण आन्ध्र प्रदेश में हमारे गर्वनर होते थे रामपाल जी, उन्होंने भी ऐसा ही किया। 1984 में आन्ध्र प्रदेश में रामपाल जी राज्यपाल हुआ करते थे और उस समय वहां पर एन.टी. रामाराव जी मुख्यमंत्री होते थे। एन.टी. रामाराव मुख्यमंत्री जी को हार्ट की कोई प्राब्लम हुई वो यू. एस.ए. अपने इलाज के लिए गए और उनके वहां जाने के बाद में, आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल ने अपनी ताकतों का दुरूप्रयोग करते हुए एन.टी. भास्कर राव को मुख्यमंत्री पद पर आसीन कर दिया। माना कि वो सरकार केवल 31 दिन की रही। जब एन.टी. रामाराव वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहां तो सब कुछ ही बदल गया है। उनके जो साथी एम.एल.ए थे उनको लेकर वो राज भवन में गए और राज भवन में जाकर उन्होंने इस बहुमत को साबित किया कि आज भी एम.एल.ए. मेरे साथ में है और स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं और जो दूसरी विरोधी पार्टियां थी उनको साथ में लिया और एक अलग प्रकार का कैंपेन उन्होंने चलाया और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इस सदन के अंदर जनता के मतों से चुनकर के आते हैं उनका सही तरीके से अधिकार क्या होता है लेकिन जो हमारे राज्यपाल है चाहे वो किसी भी सरकार में बैठे हुए हैं, अपनी ताकतों का दुरुप्रयोग करेंगे तो हम ये चुने हुए प्रतिनिधि अपनी आवाज लगातार उठाते रहेंगे।

ठीक इसी प्रकार का एक प्रकरण अध्यक्ष महोदय, कमला बेनीवाल जी के

साथ में हुआ। गुजरात के अंदर जब मोदी जी मुख्यमंत्री होते थे, कमला बेनीवाल जी वहां राज्यपाल होती थी। उन्होंने अपनी स्वयं की पावर से, उनका नाम है जिस्टस आर.ए. मेहता, जस्टिस आर.ए. मेहता को...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं कोई बात नहीं क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। विधानसभा तो है।

सुश्री भावना गौड़ : ओम प्रकाश जी आपको मालुम नहीं है इसलिए उदाहरण देकर बताना पड़ रहा है। अगर इसके बारे में जानकारी भी होती तो इस तरह के निर्णय नहीं होते...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी ना करे, आप अपनी बात रखिए भावना जी। प्लीज गो अहेड।

सुश्री भावना गौड़ : ठीक है। 2011 में गुजरात में मोदी जी की सरकार हुआ करती थी वो स्वयं मुख्यमंत्री थे। कमला बेनीवाल जी गुजरात की राज्यवाल थी। 2 अगस्त, 2011 में उन्होंने स्वयं निर्णय लिया और जस्टिस आर.ए. मेहता को लोकायुक्त के पद की जिम्मेवारी दी। गुजरात के मुख्यमंत्री जो अब देश के प्रधानमंत्री हैं उनको ये बात कहीं रास नहीं आई। वो इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने कहा कि ये कमला बेनीवाल जी का निर्णय बिल्कुल सही है। इस बात से भी उनको तकलीफ हुई क्योंकि वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, अपनी ताकतों के अंदर अपनी गतिविधियों के अंदर अगर उस समय राज्यपाल कोई हस्तक्षेप करता है तो मोदी जी को उस समय तकलीफ हुआ करती थी। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि आज वो स्वयं केंद्र में हैं। यहां पर हम हैं। हमारी ताकतों का हनन हो रहा है कहीं न कहीं। उसके बाद में नरेन्द्र मोदी जी के

मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई। वहां पर भी उन्होंने यही फैसला लिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार है और उन्होंने कमला बेनीवाल जी को हटा दिया और जानते हैं क्या कहकर के कि उन्होंने स्टेट एयर क्राफ्ट का 63 टाइम्स इस्तेमाल किया जिसमें से 53 टाइम वो अपने होम टाउन जयपुर उस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करके गई है। केवल इस छोटे से मामले के ऊपर उन्होंने कमला बेनीवाल जी का त्यागपत्र दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक दो बिंदु और है रोमेश भंडारी जी ने उत्तराखंड में यही सब अपनी मनमानी की...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शॉर्ट करिए भावना जी, Please.

सुश्री भावना गौड़ : जी सर, लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है। राज्यों की शक्तियों को लगभग समाप्त कर दिया गया है। जन सेवा की भावना से हम सब विधायक यहां बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रवैयों से हम सब बहुत पीड़ा में हैं, बहुत क्षुब्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अपनी एक बात कहूंगी मुझे ऐसा लगता है कि वह दिन जल्दी आएगा और अवश्य आएगा जब दिल्ली सरकार की तरह भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य की सरकार केंद्र सरकार की अनुचित पराधीनता को अस्वीकार कर देंगे और संविधान के अधीन अपनी वैद्य प्रतिष्ठा की मांग करेंगे और उस दिन मुझे लगता है कि हम सब मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस फोबियाटिक नोटिफिकेशन जो केंद्र सरकार ने जारी की है, उस पर बोलने का मौका दिया।

यह एक डरी हुई प्रतिक्रिया थी क्योंकि 100 दिन की जो सरकार दिल्ली में चली है और दिल्ली के निवासियों को जिस तरह से बिजली, पानी और भ्रष्टाचार से जो आराम मिला है उससे कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से घबरा गए हैं बल्कि मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि दो लाइनें मैं इसमें कहना चाहता हूं कि-

सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यूं है,
विपक्ष में हर शख्स परेशान सा क्यूं है,

जो सरकार, सर विपक्ष में तो आप ही हैं, यहां पर तो विपक्ष में आप ही हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, आप अपनी बात को रखिए।

श्री राजेश गुप्ता : सर, ये जो केंद्र सरकार जिसने डर से इस नोटिफिकेशन को जारी किया इसमें दरअसल बहुत ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि अरूण जेटली जी वो दरअसल डैमोक्रेसी में यकीन करें कैसे क्योंकि अपने आपको कुछ लोग जो राजा मानते थे वो कहीं जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और इतनी जबरदस्त आंधी के अंदर भी अगर हार जाते हैं तो बर्दाश्त कैसे करें। विदेश मंत्री जी गुस्सा है क्योंकि उन्हें कोई विदेश मंत्री मानने को तैयार ही नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री उनका रोल बखूबी निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री इसलिए गुस्सा हैं कि उन्हें किसी ने वीजा नहीं दिया था तो वो पूरी दुनिया घूम-घूम कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। गृहमंत्री इसलिए गुस्सा हैं कि उन्हीं के पूर्व मंत्री ने यह कह दिया कि तीन लोग मिलकर केंद्र की सरकार को चला रहे हैं। तो ये जो गुस्सा है उसने डर का रूप ले लिया और इस तरीके की नोटिफिकेशन आई। कभी एसीबी पे लेकर आते हैं उसमें डर किस बात का है। मेरे बड़े भाई साहब

बार-बार पूछ रहे थे गुप्ता जी कि उनके नाम बता दो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कुछ नाम ऐसे हैं कि इनके कोई जानकार के हैं जिन्हें बचाना चाहते हैं। तो साहब बता देंगे। देखिए एसीबी के ऊपर इन्होंने कहा कि भाई इसके जो पर हैं उनको कतरने की पूरी कोशिश की। हालांकि कानून से अपना काम किया और कहा गया कि पूरी तरह illegal उन्होंने notification दी थी ये बात बहुत सोचने की है कि जब काम हम चाहते हैं कि नियुक्ति और ट्रांसफर के ऑर्डर हमारे पास में रहें कम से कम वो किसलिये हम कहते किस लिये हैं मैं यह नहीं कह रहा कि सब लोग बेईमान होंगे हम उनको हटायेंगे या कुछ करेंगें लेकिन उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। मैं example अपनी विधानसभा का देता हूं एक एचएचओ ने मेरी बड़ी मदद की वहां पर कुछ लोग दारू पीया करते थे पार्क में बैठकर हमने उसे रोका। उस एसएचओ ने पूरी मदद करके। उस काम में मेरी मदद करी इसको पूरी तरह लगभग रोक दिया। अगर मैं अपने मुख्यमंत्री से इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि उसका प्रमोशन करें या किसी अच्छी जगह पर लगायें कया हम वो कर सकते हैं नहीं। वो भी एलजी करेंगे क्या एलजी जानते हैं कि पर्टीकूलर एरिया में एक एसएचओ क्या अच्छा काम कर रहा है नहीं जानता। जैसे कि मेरे भाई कपिल ने बताया कि हमने कुछ बड़े वरिष्ठ वकीलों से इस बारे में पूछने की कोशिश की कि इस बारे में क्या कहना है इंदिरा जय सिंह जी के बारे में बहुत लोग बात कर चुके हैं मैं उनकी एक छोटी सी लाईन कह देता हूं "allocation of works to the public servants is an administrative and excutive function of the Government of the NCT of Delhi." मुझे नहीं मालूम कि शायद भाई साहब को पता ही होगा कितनी बड़ी वकील इंदिरा जय सिंह जी हैं जिन्होंने इस बारे में अपना वकतव्य दिया है। गोपाल सुब्रमण्यम जी कहते हैं कि "it is illegal and unconstitutional." श्री के.के वेणुगोपाल जी कहते हैं''।

I am of the opinion that the very foundation of the notification dated 21st May, 2015 relying upon Article 239 and Article 239AA(3)(a) is flawed and the notification itself is unconstitutional, illegal and void." इसी बात की लगातार हम डिमांड कर रहे हैं क्योंकि ये बेइज्जती सिर्फ एक सत्ता पदों के लोगों की नहीं है सरकार की नहीं है ये बेइज्जती इस विधानसभा की है उसके विपक्ष के जो नेता हैं हमारी विपक्षीय पार्टी के जो सदस्य है वह इसके सदस्य हैं ये हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं है बल्कि विधानसभा पर है पावर जो curtail करने की कोशिश की गई है वह दिल्ली सरकार की तरफ नहीं है वह पूरी विधानसभा की करने की कोशिश की गई है। मैं आपसे एक बात कहता हूं आप एसीबी में मुझे पता नहीं किस बात का सेंटर को डर है कि किस किस को पकड़ लेगें, किस किस को क्या हो जायेगा। मैं अपनी तरफ से एक बात कहता हूं मैं भी चुना हुआ विधायक हूं आप एक काम कीजिये सुबह साढ़े छह बजे से हम लोग काम करना शुरू करते हैं मुझे उम्मीद है आप भी करते होंगे उसके बाद में कुछ जिम्मेदारी हमारे पास और है पार्लियामेंट सेक्रेटी की होने के नाते हम सचिवालय पहुंच जाते हैं उसके बाद शाम को हम अपने संगठन के लिये काम करते हैं रात को शादियों में....

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी शार्ट कीजिये प्लीज।

श्री राजेश गुप्ता : सर खत्म कर रहा हूं। मैं यह कह देता हूं कि हमें किसी बात का डर नहीं हैं जैसे हम कहते हैं कि आप अपने दो लोग हमारे पीछे लगा दीजिये हमारी गाड़ी में बैठा दीजिये देखते रहिये पूरे दिन क्या कर रहे है तो आप को एसीबी से किस बात का डर है किसको पकड़ लेगी। अरे भई बेईमान आदमी को पकड़ेगी तो क्यों उसकी पावर को curtail करते हैं।

उसको चलने दीजिये और जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो नोटिफिकेशन केन्द्र ने जारी की है इसको पूरी तरीके से Null & void माना जाये। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : इमरान हुसैन जी।

श्री इमरान हुसैन : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने आम आदमी पार्टी की सरकार को सौ दिन के कार्यकाल पर हमारे मुख्यमंत्री जी और उपमुख्य मंत्री जी और सभी मंत्री और सभी विधायकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। जो अब से पहले भारतवर्ष में न ही किसी और पार्टी को मिली है और शायद किसी और पार्टी को नसीब भी नहीं होगी। इसके लिये मैं आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूर्ण राज्य का दर्जा एक ऐसा मुद्दा है अध्यक्ष महोदय जी जो पिछली सरकारें चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में सबसे ऊपर रखती हैं परंतु दिल्ली में बहुमत प्राप्त करने वाली सरकार अगर उसी पार्टी की हो जो केन्द्र में भी है तो वह पार्टी केन्द्र सरकार ये सोचकर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देती कि क्या फरक पड़ता है जब दोनों सरकारें एक ही पार्टी की हैं तो मिल बांट कर काम चला लेंगे। जैसा कि कुछ वर्षों से केन्द्र की सरकार में कांग्रेस थी इसलिये जो भी करना था बेहिचक किया दिल्ली की जनता को बेवजह बेवकूफ बनाया गया अगर केन्द्र और दिल्ली की सरकारें चाहती तो कोइ शक नहीं, गुंजाईश नहीं थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा ना दिया जाता। और आज के समय में जो वातावरण बन रहा है शायद ऐसा सौतेला व्यवहार केन्द्र की ओर से देखने को ना मिलता। 2015 के दिल्ली विधानसभा

चुनाव के वक्त सभी पार्टियों ने घड़ियाली आंसू बहाते हुये अपने अपने घोषणा पत्रों में सबसे ऊपर यही मुद्दा रखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा। परंतु जैसा कि मैंने कहा ये एक चुनावी जुमला ही बन कर रह गया और दिल्ली में स्वतंत्र सरकार, दिल्ली में बनकर रह गया। आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीती दिल्ली में और स्वतंत्र सरकार बनाई ऐसा अनोखा बहुमत ना कभी किसी को मिला है और शायद ना कभी किसी को मिलेगा, प्राप्त होगा। परंतु ये जीत शायद केन्द्र सरकार वाली पार्टी को हजम नहीं हो रही है और वो कोई न कोई कानून की दुहाई देते हैं। दिल्ली सरकार की राह में कांटे बिछाने की कोशिश की जा रही है अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को एक चपरासी, एक क्लर्क, एक स्टेनोग्राफर को भी तबादला करने की या अपनी मर्जी से लगाने का अधिकार नहीं है तो इन्होंने इलेक्शन कराये ही क्यों, इलेक्शन नहीं कराते, एलजी के माध्यम से ही सरकार चलाते रहते। दिल्ली विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में यही वायदा बीजेपी ने भी किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा। परंतु पार्टी को जनता ने एक सिरे से नकार दियां जिसका बदला केन्द्र सरकार वाली पार्टी दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा ना देकर कर रही है। केन्द्र सरकार वाली पार्टी बीजेपी दिल्ली की जनता को सजा देना चाहती है और पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं देना चाहती। केन्द्र सरकार के मंत्री ये दुहाई दे रहे हैं कि सभी दलों के सहयोग से ही ये हो सकता है। परंतु शायद उन्हें ये नहीं पता, यह आभास नहीं है कि केन्द्र बनाने में इस पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है जैसा कि सभी को जानकारी है पूर्ण राज्य का दर्जा देने में कहीं भी कोई समस्या आती नहीं दिखती। पूर्ण राज्य का दर्जा एक ऐसा सवाल है जो नया नहीं हे पिछले काफी वर्षों से यह मांग उठ रही हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये। जैसा कि मैंने कहा कि ये मांग भी वर्षों से उठाई जा रही है सन् 2003 की Parliamentary Standing Committee

की रिपोर्ट के अनुसार 1998 में बीजेपी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसका नाम था। Delhi Recognization Bill जिसमें एनडीएमसी को छोड़कर दिल्ली के सभी हिस्सों के लिये पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा गया था। इस बिल के अनुसार केन्द्र सरकार पूरी दिल्ली के पब्लिक आर्डर और पुलिस को कंट्रोल करेगी परंतु लैंड और लोकल गवर्नमेंट सिर्फ नई दिल्ली क्षेत्र में ही केन्द्र के अधीन होती। ये ड्राफ्ट जून 1998 में उस समय के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में बनाया गया था इससे एक महीने पहले ही मई 1998 में एनडीए को बहुमत मिला था और केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे ये बिल अगर 2003 में पार्लियामेंट में पेश किया गया था दिल्ली राज्य बिल के नाम से। इस बिल को तत्कालीन Deputy Prime Minister श्री लाल कृष्ण अडवानी जी ने Standing Committee को भेजा था यह ड्राफ्ट 1998 में और 2003 में इसलिये पेश किया गया था क्योंकि दिल्ली सरकार यह महसूस करती थी कि केन्द्र सरकार स्वतंत्रता से दिल्ली सरकार को कार्य नहीं करने देती। जिसकी वजह से दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार की गरिमा को ठेस पहुंचती है। इसके बाद दिसंबर 2004 को बीजेपी को हराकर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की सरकार बनाई और अगले ही दिन एक रिपोर्ट दिल्ली राज्य बिल पर राज्यसभा को भेज दी। मेन बात यह है कि उस वक्त कमेटी की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रणव मुखर्जी साहब कर रहे थे आज जो हमारे देश के महामहिम है।

अध्यक्ष महोदय : इमरान जी, शॉर्ट करिये प्लीज। कनक्लूड करिये।

श्री इमरान हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, विधान सभा के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए कुछ एरिया छोड़कर जो एनडीएमसी का एरिया है उसे छोड़कर

और दिल्ली के अधीन लैंड, पुलिस और पब्लिक इंट्रेस्ट सब कुछ दिया जाये कुछ एरिया छोड़कर क्योंकि कई देशों में जो उनकी कैपिटल है उनके अंदर पुलिस उनके अंडर में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है तो क्या हमारी केन्द्र सरकार को अगर अपने विदेशी मेहमानों का इतना ही ख्याल है, उनकी सुरक्षा का ख्याल है, अपने एमपीज का ख्याल है, वीआईपी एरिया का ख्याल है तो वो इसके लिए कोई नई एजेंसी बना सकते हैं, इसको सिक्योरिटी देने के लिए, इनकी हिफाजत के लिए। यह जो नोटिफिकेशन आया है 2015 में हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। राजेन्द्र गौतम जी। राजेन्द्र जी, शॉर्ट करियेगा संख्या बहुत है बोलने वालों की।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में कानून का शासन है, उसी प्रकार दिल्ली में भी कानून का शासन है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से यह इल्लीगल, अन-लॉफुल नोटिफिकेशन जारी किया ऐसा लगता है कि भारत सरकार दिल्ली के इस प्रचंड बहुमत से बौखला गई है और वो दिल्ली को स्वतंत्रतापूर्वक, दिल्ली की जनभावना के अनुसार काम करने देना नहीं चाहती और यह भारत के संविधान के ऊपर हमला है, यह भारत के प्रजातंत्र के ऊपर हमला है, अगर हम भारत के संविधान को देखें तो भारत का संविधान एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात भी करता है। फेडरल स्ट्रक्चर के तहत् सभी राज्यों को अलग से अधिकार प्राप्त है और केन्द्र सरकार को अलग से अधिकार प्राप्त है और तीसरा जो विषय है समवर्ती सूची जिसमें केन्द्र को भी और राज्यों को भी कानून बनाने का अधिकार है। अगर हम आर्टिकल

239AA Sub-clause (3)(a) उसको देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि कहीं भी कोई डाउट करने वाली जगह ही नहीं है। मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार को किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन को लाने की जरूरत ही नहीं थी। वो केवल और केवल दिल्ली के ऊपर इनडायरेक्टली गवर्नर के द्वारा शासन करने की एक सोची-समझी चाल मालूम होती है। ऐसा लगता है कि यह नोटिफिकेशन एक malafide intention के तहत लाया गया है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर हम आज दिल्ली के थानों के अंदर जाते हैं तो पब्लिक को अंदर मोबाइल फोन अलाउ नहीं किया जाता ले जाने के लिए। आज हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो वहां पर मोबाइल फोन बाहर ही रखवा लिया जाता है। ऐसा क्यों वो सिर्फ इसलिए चूंकि हमारी दिल्ली के इस प्रचंड बहुमत से जीती सरकार ने जो निर्णय लिया था, जो जनता से वायदे किऐ थे कि हम दिल्ली से भ्रष्टाचार को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे लेकिन केन्द्र सरकार नहीं चाहती कि इस दिल्ली से करप्शन खत्म हो। तभी इस अनलॉफुल तरीके से यह नोटिफिकेशन लाया गया है। अगर हम दिल्ली को डेवलप करना चाहते हैं तो डीडीए का रोल आता है। डीडीए हमारे अंडर में नहीं है। दिल्ली के बाजारों में कनवर्जन चार्ज लिया जा रहा है अपने मनमाने तरीके से एमसीडी लॉ बनाती है कनवर्जन चार्ज के नाम पर व्यापारियों को परेशान करती है उसी प्रकार दिल्ली पुलिस भी अपनी मर्जी से काम करती है आखिर एकाउंटबिलिटी कैसे फिक्स करें। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ वायदे किए हैं इलैक्शन से पहले हमने दिल्ली की जनता के साथ वायदे किए थे आप अगर हम जितायेंगे तो हम दिल्ली को एक स्वच्छ प्रशासन दे देंगे, दिल्ली को हम विश्व का सुंदर शहर बनायेंगे, दिल्ली में हम एक साफ-सुथरा

वातावरण पैदा करेंगे। दिल्ली को हम प्रदूषण मुक्त, करप्शन मुक्त एक राज्य बनायेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज के इस वातावरण में जहां एमसीडी के कुछ अधिकारी, कर्मचारी और काउंसलर्स मिलकर जिस तरह का उनहोंने करप्शन का एक माहौल बनाया है, कहीं भी कोई लैंटर बनता है, डलता है तो वहां पर अपने लोगों को भेज दिया जाता है और उनसे सैटिंग करके उसके बाद लैंटर डालते हैं। पैसा ले लिया जाता है, इसी प्रकार दिल्ली पुलिस आज मैं देख रहा हूं जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली के कोने-कोने में विशेष रूप से मेरे विधान सभा सीमापुरी क्षेत्र में आप जायेंगे देखेंगे शाम को खुलेआम शराब बिकती मिल जायेगी। चरस, गांजा बिकता मिल जाएगा और वहां पुलिस वाले जो बीट ऑफिसर है वो केवल उन्हीं के घर जाते हैं जहां पर यह बिकता है और वहां खा-पीकर चले जाते हैं ऐसी कौन सी बात है क्यों केवल उनके घर जाते हैं क्यों पुलिस इस तरह के अवैध कारोबार को जारी रखना चाहती है क्यों पुलिस गांजा, चरस इस तरह की चीजों को रोकना नहीं चाहती। अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा काम है जिससे हमारी आने वाली भावी पीढ़ी खतरे में हैं। उसका भविष्य खतरे में हैं। नशा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है अगर दिल्ली को अधिकार न मिला, अगर दिल्ली की सरकार को अधिकार न मिला तो इस गलत काम को दिल्ली सरकार रोकने में विफल रहेगी। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में आज यह विषय बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। हम दिल्ली का विकास करना चाहते हैं तो भी डीडीए की जरूरत है, एमसीडी की जरूरत है, दिल्ली पुलिस की जरूरत है लेकिन यह तीनों ही विभाग हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन यह मुद्दा आज बहस का बन गया है हमने दोबारा से दिल्ली में इस मुद्दे को लाकर खड़ा कर दिया हे कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिले, इस पर बहस होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई भी

पार्टी नहीं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे हम हैं सभी लोग समय-समय पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते आये हैं। अभी पीछे संसद का सत्र चला उस सत्र के अंदर विजय गोयल जी ने राज्य सभा में एक सवाल उठाया था कि क्या इस बार सदन के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का इशु रखा गया है तो उसका जवाब गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है जबकि आप किसी भी पोलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र देख लीजिए सभी पोलिटिकल पार्टीज ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही थी। लेकिन आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह की आम राय बनाने की बात कर रहे हैं आम राय बनाने का सवाल कहां है जब सारी पर्टियां सहमत हैं, जब सारी पार्टियां सहमत हैं, सभी बड़ी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की थी तो आम राय तो बनी हुई है। यहां सिर्फ एक नीयत का सवाल है where there is a will, there is a way आपकी नीयत नहीं हे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, आपकी नीयत नहीं है कि दिल्ली पूरी तरह से विकास करें, आपकी नीयत नहीं है कि दिल्ली पूरे विश्व के अंदर चमकता हुआ एक शहर बने। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि आज इसको एक बहस का मुद्दा बनाया जाये और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी भविष्य में इस विधान सभा के अंदर लाया जाये और जिस तरह की नीति केन्द्र सरकार की है, चाहे केन्द्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो हमारे देश में कानून का शासन है सभी लोग भारत के संविधान के तहत बंधे हैं और जब हम भारत के संविधान की शपथ लेते हैं उसके तहत् हम सारी कार्रवाइयां करेंगे लेकन क्या भारत के संविधान के तहत् हमारी केन्द्र सरकार ने यह नोटिफिकेशन निकाला है यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि Article 368 of Indian constitution,

amendment of Constitution की बात करता हे लेकिन अगर हम भारत के संविधान की उस भावना को देखें, भारत के संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी और उनकी टीम जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की, आज उनकी आत्मा रो रही होगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि केन्द्र सरकार इस प्रकार दिल्ली के या दूसरे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में एनक्रोचमेंट करेगी। यह क्लियर कट एनक्रोचमेंट है। दिल्ली की जनता के अधिकारों के खिलाफ दिल्ली सरकार के अधिकारों के खिलाफ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इस तरह के नोटिफिकेशन को पूरे तरीके से रद्द कर दिया जाना चाहिए और भविष्य में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि दिल्ली के संपूर्ण विकास के लिए, अगर हम देखें क्योंकि स्कूल का प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एमसीडी के हाथ में है और एमसीडी के अंदर जो स्कूल हैं।

एमसीडी के अंदर जो हॉस्पीटल हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हैं अध्यक्ष जी। हमें अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है तो उनका बेसिक एजूकेशन को सुधारना होगा और वो सुधारना तभी सम्भव होगा जब दिल्ली की प्राइमरी एजूकेशन को सुधारा जाए जो आज एमसीडी के हाथ में है एमसीडी का जो शासन है वो उसको सुधारने की तरफ काम नहीं कर रहा है दिल्ली को सुंदर बनाने की तरफ काम नहीं कर रहा है। दिल्ली के पार्क को देखिए दिल्ली के जितने भी पार्क हैं बड़े पार्क डीडीए के अंडर में आते हैं छोटे पार्क एमसीडी के अंडर में आते हैं आप जरा देखिये पार्कों की दशा दिल्ली के अंदर आज जो हालत है, चूंकि ये डीडीए भी दिल्ली सरकार के अंडर में आना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डीडीए दिल्ली सरकार के अंडर में आना चाहिए चूंकि दिल्ली को

कैसा राज्य बनाना है, कैसी कालोनी बनाई जाए उसका प्लान बनाने का जो अधिकार है वो डीडीए के अंडर में है इसलिए मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मैं चाहता हूं डीडीए भी, पुलिस भी दिल्ली सरकार के अंडर में आना चाहिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा जैसे की सभी दलों की भावनाएं हैं वो लागू होनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक ब्रेक लेंगे चाय के लिए। ठीक 4:30 बजे पुनः एकत्रित होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही 4.30 बजे तक चाय काल के लिए स्थगित की गई।)

सदन पुनः अपराह्न 4.30 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन शर्मा जी, श्री पवन शर्मा जी। अलका लाम्बा।

सुश्री अलका लाम्बा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे एक बार फिर महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात रखने का अवसर दिया है। मैं दिल्ली की सरकार की मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट को भी 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली की कैबिनेट जनता के बीच जो एक नया कदम एक नई पहल की। मैं उसका भी स्वागत और उनके लिये शुभकामनायें देती हूं। ये एक ऐतिहासिक सरकार है और एक ऐतिहासिक कदम कल उठाया गया। आम जनता में उसे लेकर बहुत ही उत्साह का अवसर दिखा। अब्राहम लिंकन जी ने जेसे कहा था कि सरकार वो होनी चाहिए जो जनता

द्वारा जनता की और जनता के लिये बने। तो ये सरकार ने उसे अपने आप में साबित किया। मैं दिल्ली सरकार का इसलिये भी धन्यवाद करती हूं क्योंकि इस तरीके का दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली में एक संवैधानिक जो है वो एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले बार भी जब 49 दिन की सरकार आयी थी तो ये कहा गया कि इस सरकार को इनके चुने हुए प्रतिनिधियों को राजनीतिक अनुभव नहीं है। संविधान की जानकारी नहीं है। लेकिन जिन्हें संविधान की जानकारी थी जिन्हें राजनीति का अनुभव था उन्हें 03 पर लाकर खड़ा कर दिया दिल्ली का आम जनता ने। और जिन्हें अनुभव की कमी बताते थे उनमें ईमानदारी दिखी और आज हकीकत है कि हम लोग 67 के आम आदमी के चुने हुए प्रतिनिधि आज इस सदन पर हैं। मैं आपका ध्यान सिर्फ ये जो नोटिफिकेशन केन्द्र के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है मैं उसके खिलाफ यहां पर खड़ी हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब ये कहा था अपने किसी भाषण में। विपक्ष तुरन्त खड़ा हो गया। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा जब हमारा मैनिफेस्टों भी चुनाव का बन रहा था बहुत से वायदे ऐसे-ऐसे हम लोगों ने किये थे जो यह एहसास हमें बिल्कुल करवा रहे थे कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिल्ली में दिल्ली और केन्द्र के आपसी तालमेल से होती है। फिर भी हमने ये वायदे लोगों से किये क्योंकि हमें एहसास था कि केन्द्र में बैठीं पूर्ण बहुमत की नरेन्द्र मोदी सरकार हमारा साथ देगी जनता की भलाई को। जनता की हर चीज को सबसे आगे रखते हुए। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 प्रतिशत काम तो हमें यकीनन है कि हम पूरे कर लेंगें और बाकी 50 प्रतिशत जो ये राजनीति शुरू कर दी विपक्ष ने वो 50 प्रतिशत वो थे जो केन्द्रशासित राज्य होने के साथ केन्द्र से मिलकर करने का हमारा ये प्रयास था जिस पर राजनीति की गयी। जिसमें ये नहीं कहा गया

कि हम दिल्ली सरकार को मजबूत करेंगे। जमीन, लॉ एंड आर्डर, पुलिसिंग हमें यह एहसास था कि हमारे पास नहीं हे लेकिन उम्मीद थी कि हमारा साथ दिया जायेगा। दिल्ली के एल.जी के लिये बहुत से आर्टिकल लिखे जा रहे हैं मैं कानून की संविधान की एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मैंने राजीव धवन जी हों, इन्दिरा जय सिंह जी हों, विश्वजीत भट्टाचार्य जी इन सबने जो अपनी दिल्ली के कहने पर दिल्ली सरकार के कहने पर जो अपनी राय दी, साफ तरीके से ये दिखाती है कि ये जो नोटिफिकेशन केन्द्र द्वारा जारी किया गया है वो बिल्कुल असंवैधानिक है और उसी के खिलाफ में वयक्तिगत कहूं चुने हुए विधायकों ने यहां सब कोई आम आदमी से चुनकर आया है। ये सभी अपने आपको हम बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं जब इस तरह का नोटिफिकेशन जो है वो हमारे सामने जब आता है। दिल्ली की जनता अपने आपको ठगा हुआ महसूस करने लग गयी जब इस तरह का नोटिफिकेशन आता है जो इस तरह दिखाता है कि चुनी हुई सरकार का माफी चाहूंगी शब्द का इस्तेमाल दिल्ली की चुनी हुई पूर्ण बहुमत की ऐतिहासिक मैन्डेड लेकर आयी हुई सरकार की कोई औकात नहीं है केन्द्र सरकार के सामने। ये एहसास कराया गया दिल्ली के एलजी के माध्यम से एक बार नहीं अनेकों बार दिल्ली सरकार के फैसलों को पलटने का प्रयास हुआ। भ्रष्टाचार की बात करते हैं दिल्ली का लॉ एंड आर्डर पुलिस जो है हमारे अधीन नहीं है लेकिन अगर आपके अधीन है तो क्या आप उस भ्रष्टाचार से लड़ने में दिल्ली सरकार की मदद कर रहे हैं या नहीं मैं उदाहरण देकर बता सकती हूं सीएनजी फिटनेस स्कैम 2002 इसकी प्रारम्भिक जांच में खुद सीबीआई ने इसका जिक्र किया कि एलजी ने जिन अधिकारियों बहुत अधिकारी जो हमारे उच्च अधिकारी रहे। मुझे मालूम नहीं मैं उनका नाम ले सकती हूं नहीं ले सकती क्योंकि बहुत से आर्टिकल आये उनमें खुलासा भी हुआ कि चीफ सेक्रेटरी रैंक के वो अधिकारी थे जो इसमें

लिप्त पाये गये सीएनजी फिटनेस स्कैम जो 100 करोड़ का था। सीबीआई ने इसमें पाया कि एलजी ने इस केस को प्रभावित करने का प्रयास किया दिल्ली के और एन्टी करप्शन ब्रान्च को इस केस को बंद करने को कहा गया बिना किसी आधार के जिसका जवाब आज भी ये सदन ढूंढ रहा है कि क्यों इस तरीके से कुछ अधिकारियों को बचाने का प्रयास हुआ। इतना ही नहीं एक महिला हूं मैं और अभी जो है हाल ही में ईस्ट दिल्ली में एक अफ्रीकन महिला के साथ गैंगरेप होता है। चुनी हुई सरकार ऐसी उम्मीद दिल्ली के मुख्यमंत्री से होती है आपकी तरफ देखा गया और आपने बिना समय गंवाये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच बैठा दी। उसमें भी एलजी द्वारा हस्तक्षेप किया गया और ये कहा गया कि इस जांच को करने का कोई मतलब नहीं है। चार एक्यूज पकड़े गये और कार्रवाई चल रही है वही खानापूर्ति की लेकिन उस जांच को भी रद्द कर दिया। महोदय, इतना ही नहीं दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर जब किसानों के लिए आन्दोलन हो रहा था जमीन अधिग्रहण को लेकर राजस्थान के एक फार्मर गजेन्द्र सिंह जी ने वहां पर जो है सुसाईड किया उसको भी लेकर बिना समय गंवाये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब आदेश दिये कि न्यायिक जांच होगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उसमें एलजी ने हस्तक्षेप करते हुए उस जांच को भी जो है रद्द करने की बात कही और डीएम जिसे जांच का काम सौंपा गया था उन्हें दिल्ली पुलिस ने एलजी के कहने पर बिल्कुल भी सहयोग करने से मना कर दिया। ये बहुत अपने आप में दुख की बात है कि आप सहयोग नहीं कर रहे आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो कदम उठाये जाते हैं आप उनकी बात करते हैं। अभी हमारे विपक्ष में बैठे साथी चाहते थे कि उन अधिकारियों को जिन्हें हमने जेल में भेजा है उनकी आप लिस्ट उन्हें दे दें। बिल्कुल मुझे लगता है मैं सरकार से भी कहूंगी कि सूचना का अधिकार कानून है। मुझे नहीं मालूम आप दिल्ली के मुख्यमंत्रीया एसीबी को कितनी बार

इस लिस्ट को लेने का प्रयास किया या फिर सिर्फ इस सदन में खड़े होकर जो है चिल्ला चिल्लाकर एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया अगर कोई लेटर आपने लिखा हो तो इन नामों की सूची हासिल करने के लिए तो जरूर यहां पटल पर रख दीजियेगा। लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ हकीकत ये हैं। मैं आपको कहूंगी हकीकत में मोदी सरकार जब चुनकर आयी तो बिल्कुल इन्हें यह यकीन था कि दिल्ली में इन्हें ऐतिहासिक मैन्डेड मिलेगा। दिल्ली के आम आदमी के तरकश से जब तीर निकले तो उन तीरों में से कुल तीन छोड़के 67 तीर बिल्कुल निशाने पर लगे जिसने केन्द्र की सरकार को घायल करके छोड़ दिया है आज वो छटपटा रहे हैं। जो एलजी के माध्यम से असंवैधानिक तौर-तरीकों से इस चुनी हुई सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मैं आपसे कहूंगी कतई चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि गेम जब खेल शुरू होता है नियम, कानून, कायदे उस गेम को शुरू होने से पहले बनते हैं न कि ये गेम शुरू होने के बाद। आप सिर्फ एक किसी दूसरी पार्टी को एक दूसरे दल को फायदा पहुंचाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए। गेम के रूल बदलते हैं। ये नोटिफिकेशन वहीं दिखाता है कि खेल शुरू होने के बाद आपने खेल के नियमों को बदलने का प्रयास किया किसी को फायदा पहुंचाने के लिए।

मैं मनीष जी का भी धन्यवाद करती हूं एन्टी करप्शन ब्यूरों को आपने बहुत ताकत दे दी। बहुत आजादी दी और अभी कल ही का फैसला जो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है जिसको इस नोटिफिकेशन में भी ऊंगली उठाते हुए दिल्ली पुलिस के कान्स्टेबल के ऊपर कहा गया कि आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें एसीबी को वो ताकत देते हुए कहा कि नहीं एन्टी करप्शन ब्रान्च को बिल्कुल ये अधिकार क्षेत्र में है कि वो उन्हें गिरफ्तार करे और उसमें कार्रवाईयां करें। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगी फिर वही दिल्ली पुलिस लॉ एंड

आर्डर केन्द्र के अधीन है। मनीष जी ने जैसे जिक्र किया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और ये हकीकत भी है कि दिल्ली का एक-एक शख्स जानता है चाहे वो आम आदमी है, मजदूर है दिल्ली में हकीकत है पोस्टिंग हो, परमोशन हो, ट्रांसफर हो, नियुक्तियों का एक रैकेट चल रहा था। उसका जिक्र कल भी कैबिनेट जनता के बीच में जब थी उसमें भी मनीष जी ने बताया कि किस तरह से साकेत और कहां का डीएम की नियुक्तियों के लिए किस तरह से जो है वो एक लॉबी काम करती है। एलजी की भी नियुक्ति में कहूंगी कि पूरे देश के गवर्नर पिछले एक साल में बदल दिये गये पर दिल्ली के एलजी को कोई हाथ नहीं लगा पाया क्योंकि दिल्ली के एल.जी का जहां से वो आते हैं या जिनकी अप्रोच से वो पहले बने और अभी भी निरन्तर जारी हैं एसीबी का हाथ उनकी गर्दन पर है। ये सब जानते हैं कि एल.जी खुद रिलायन्स के कंपनियों में काम कर चुके हैं और उन्हीं के मोटे माल से केन्द्र में बैठी सरकार चुनकर आयी है और एन्टी करप्शन ब्यूरों का जब खुलासा किया एक इंटरव्यू में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कि अम्बानीज के खिलाफ जो एन्टी करप्शन...**(व्यवधान)**...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके बारे में हमारी कड़ी आपत्ति है

श्रीमती अलका लाम्बा : इनकी जमीन हिलनी शुरू हो गयी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, ये इन शब्दों को निकलवाईये।

अध्यक्ष महोदय : बैठिये। नहीं आने दीजिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम इसकी सदन में चर्चा को आगे नहीं जाने देंगे। अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते...**(व्यवधान)**...

श्रीमती अलका लाम्बा : मैं जो भी अध्यक्ष जी जब आम आदमी की बात करते है तो खड़े नहीं होते। अम्बानीज.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आगे नहीं जाने देंगे अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। और ये भाषा असंवैधानिक है इसको आप.....

श्रीमती अलका लाम्बा : ये वाक आउट करने का बहाना ढूंढ रहें हैं

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, आप जारी रखिये.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इस तरह की भाषा का प्रयोग सदन में अनुचित है। जब हमने बोला था.....

श्रीमती अलका लाम्बा : मैं सबूत के साथ रख रही हूं। ये मैं नहीं कह रही हूं। ये संविधान के एक्सपर्ट कह रहे हैं। ये एसीबी की जांच कर रही है ये सीबीआई की.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इस तरह के शब्दों का प्रयोग सदन की कार्रवाई से निकलवायें या फिर मुख्यमंत्री जी बयान दें कि ये अधिकृत रूप से कहा जा रहा है.....

श्रीमती अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं इसके सारे सबूत देने को तैयार हूं.....

अध्यक्ष महोदय : अलका जी.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इस पर अभी शास्त्री जी ने कहा था कि महाभियोग चलाया जाये। इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं उपराज्यपाल के ऊपर.....

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, एक सेकेंड रूकिये। बिजेन्द्र जी.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इन शब्दों को निकलवाईये.....

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, एक सेकेंड सुन लीजिये। एक सेकेंड बैठ जाइए प्लीज.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं बैठेगें नहीं। हमारा विरोध है इस बात पर।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप बैठिये.....

श्रीमती अलका लाम्बा : अम्बानीज के खिलाफ.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अध्यक्ष जी यह नहीं चलेगा.....

श्रीमती अलका लाम्बा : गुप्ता जी आप बाहर जा रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य नहीं बोलेंगे.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : चर्चा को आगे नहीं बढ़ने दिया जायेगा। व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : अभी बैठिये आप बैठिये प्लीज.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये चर्चा नहीं चलेगी.....

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी आप बैठिये आप दो मिनट के लिये बैठिये। आप बैठिये। मैं इस पर व्यवस्था दे रहा हूं.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : व्यवस्था का प्रश्न है ये.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे तभी तो दूंगा न। खड़े होकर व्यवस्था नहीं दी जाती। नहीं खड़े होकर नहीं। बैठिये आप जब मैं कह रहा हूं बैठिये आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हमारे खड़े-खड़े जब हमने बोला था डील शब्द को निकलवाया था। यहां तो सीधा आरोप लग रहा है। व्यक्ति विशेष पर.....

सुश्री अलका लाम्बा : पूरी जिम्मेदारी के साथ.....

अध्यक्ष महोदय : क्या विशेष आप पर आरोप लगा। क्या आरोप लगा। मैं बता रहा हूं। आप बैठिये दो मिनट। आप बैठिये जरा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार करके केन्द्र सरकार को पैसा दिया है। ये बोला गया है। अगर हमारे सुनने में फर्क है तो बता दीजिये। कह दीजिये गलत है ये। इस तरह की भाषा असंवैधानिक.....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने, आप बैठिये जरा.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं हमारा, अध्यक्ष जी, चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी...

अध्यक्ष महोदय : ये एसेम्बली हाईजैक नहीं हो सकती। आप बैठ जाइए नहीं तो मुझे लाम्बा जी बोलिये आप.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बिल्कुल ये चर्चा आगे नहीं चलेगी। व्यवधान। नहीं चलेगी ये चर्चा आगे। कैसे चलेगी आगे। इस पर फैसला दीजिये आप। फैसला दीजिये आप। व्यवस्था दीजिये आप कैसे आप.....

अध्यक्ष महोदय : बैठिये तभी तो व्यवस्था दूंगा। जब आप बैठने को तैयार नहीं है। पहले आप बैठिये तभी व्यवस्था दूंगा। आप जब तक बैठेंगे नहीं मैं कोई व्यवस्था नहीं दूंगा.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ठीक है.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, पहले आप बैठिये। आप ने अपनी बात रख दी। आप बैठिये।

श्रीमती अलका लाम्बा : गुप्ता जी, अम्बानीज के लिये इतनी सहानुभूति अच्छी नहीं है.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं एक सेकेंड-एक सेकेंड। बिजेन्द्र जी, आप मै रोक रहा हूं उनको। फिर आप खड़े हो रहे हैं। फिर आप खड़े हो रहे हैं। आपको पता नहीं स्प्रिंग लगा हुआ है कोई। लाम्बा जी एक सेकेंड भईया एक सेकेंड। आपने जो शब्द बोले हैं उनमें कहीं प्रधानमंत्री को एल.जी ने कोई रिश्वत दी है.....

श्रीमती अलका लाम्बा : नहीं, बिल्कुल नहीं कहा.....

अध्यक्ष महोदय : दैटस ऑल। बस आप छोड़ दीजिये इस बात को छोड़ दीजिये। नहीं बिजेन्द्र जी, अब छोड़ दीजिये। उन्होंने कहा नहीं कहा। आप बैठ जाइए नहीं आप बैठ जाईये.....

श्रीमती अलका लाम्बा : गुप्ता जी, समझना चाह रहे हैं सुनना चाह रहे हैं

श्री विजेन्द्र गुप्ता : लिखा क्या है ये बतायेंगे.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने खुद नहीं सुना.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सेक्रेटरी साहब से कहिये पढ़कर बताये.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे पूछ लिया है.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उनके पूछने से नहीं चलता अध्यक्ष जी। आप बताईये इनसे पूछके.....

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए अगर मैं एक और व्यवस्था दे रहा हूं। पहले ही बोलने लगते हैं। बैठ जाइए पहले.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पूरे देश को...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप सदन का अपमान किये जा रहे हें। बार-बार

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जिस मर्जी को गाली देगें आप। जो मर्जी आप असंवैधानिक भाषा बोलेंगे। **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी, जब उस महिला ने बोल दिया कि एल. जी ने प्रधानमंत्री को रिश्वत नहीं दी मैंने बोला नहीं। **...(व्यवधान)...**

आप आगे की व्यवस्था तो सुन लीजिये। आप बैठ ही नहीं रहे हैं उसी बात पर। बिजेन्द्र जी, आप पूरी बात होने नहीं देते। और ये बहुत बड़ा सदन का अपमान है। मुझे मजबूर मत कीजिये। मैं बार-बार आपको वार्निंग दे रहा हूं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। आप बैठिये नीचे। व्यवधान। अलका जी, व्यवस्था दूं तब ने पूरी बात होने दें। पूरी बात होने दें।

श्रीमती अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैंने...

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेण्ड, अलका जी, अलका जी से जो मैंने पूछा उन्होंने मना किया। एक सेकेण्ड रुक जाइए। ओम प्रकाश जी, एक सेकेण्ड रुक जाइये। मैं व्यवस्था मेरी पूरी सुन लीजिये। अलका जी ने कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री और एलजी के विषय में। अगर तीनों भाजपा के सदस्यों को कुछ सुनाई दिया है उसको अगर कुछ कार्रवाई में है कि एल जी ने प्रधानमंत्री को रिश्वत दी तो वो निकाल दिया जाये। **...(व्यवधान)...** आपने प्रधानमंत्री शब्द इस्तेमाल किया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आप हटवा दीजिये न ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : [illegible]

श्री विजेन्द्र [illegible] नुसं [illegible]

श्री ओमप्रकाश शर्मा : [illegible] । [illegible] ...

श्रीमती अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, [illegible] में भाजपा को मोटा माल दिया...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तो पढाईये। रूलिंग दीजिये अध्यक्ष जी कि पढ़ा जाये। [illegible] ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती अलका लाम्बा : मोटा माल मिला कि नहीं....

अध्यक्ष महोदय : [illegible]

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बताईये आप....

अध्यक्ष महोदय : [illegible]

श्री विजेन्द्र गुप्ता : [illegible]

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट रूकेंगे आप...

विजेन्द्र गुप्ता : सदन की इस गरिमापूर्ण सदन के अन्दर किस तरह की भाषा का प्रयोग...

अध्यक्ष महोदय : [illegible] मैं [illegible] दे रहा हूं...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सदन का अपमान तो। हम तो सदन के अपमान की [illegible] ।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : [illegible] और ये सदन की गरिमा इतनी गम्भीर विषय को लेकर चर्चा हो रही है [illegible] जिसका [illegible] मैं [illegible] को सही इस्तेमाल....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : [illegible] कि [illegible] उसको डिलीट कर दीजिये....

अध्यक्ष महोदय : चलिये, अगर केन्द्र सरकार शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो उसको भी डिलीट कर दीजिये। शान्त हो गये। अब मैं [illegible] एक बात कहना। [illegible] । मैं [illegible] दिल्ली का नागरिक हूं। विधायक हूं। और [illegible] र अध्यक्ष भी हूं लेकिन अध्यक्ष की सीमाओं [illegible] । [illegible] ाव ।

एक अलग विषय हो सकता है [illegible] लेकिन एन्टी करप्शन ब्यूरो किसी कांस्टेबल [illegible] उसी एन्टी करप्शन ब्यूरो के विरुद्ध एफआईआर करवाने का प्रण कर लिया [illegible]

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप अध्यक्ष होकर ऐसी बात...

अध्यक्ष महोदय : [illegible] की चेयर से बोल रहा हूं। मै [illegible] ने कहा न कि अध्यक्ष की चेयर से बोल रहा हूं...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : [illegible]

अध्यक्ष महोदय : [illegible]

श्री ओम प्रकाश शर्मा : [illegible]

अध्यक्ष महोदय : ये सदन निर्णय करेगा...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आपके ऊपर। व्यवधान। फालतू **बकवास कर** [illegible]...

अध्यक्ष महोदय : एलजी को चाहिये था...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : जो मर्जी बोलेंगे आप। व्यवधान। जो मर्जी बोलेंगे [illegible]...

अध्यक्ष महोदय : आप जिस ढंग से बोल रहे हैं [illegible] आप जिस ढंग से बोल

रहे है [illegible] मै मार्शल से प्रार्थना कर रहा हूं ओमप्रकाश जी को बाहर निकालें। ओमप्रकाश जी को मार्शल से प्रार्थना कर रहा हूं बाहर निकाले। सदन से बाहर निकाले। मार्शल तुरंत आये और ओमप्रकाश को बाहर निकालें सदन से बाहर निकाले ओमप्रकाश को। तमाशा बना रखा है ।

सुश्री अलका लांवा : अध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद का एक सम्मान और एक गरिमा है उसका ख्याल रखते हुए आपने हमारे बीजेपी के लिए साथी को बाहर किया मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूं। क्योंकि संदेश जाना बहुत जरूरी है इस सभा की मर्यादा है...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : फिर आपकी रूलिंग पर इस तरह की भाषा बोलना. ..**(व्यवधान)**

सुश्री अलका लांबा : अध्यक्ष जी, उस मर्यादा के खिलाफ कोई नहीं जा सकता...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप बैठ जाइये...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी उनको भी रोकिये...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : इस ढंग से सदन चलेगा मैं नहीं अलाउ करूंगा...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, इस तरह की भाषा यहां पर प्रयोग नहीं होनी चाहिए...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मैंने दिल्ली की पीड़ा बोली है। मैंने दिल्ली की जनता की पीड़ा बोली है लांबा जी बोलिये। अलका लांबा जी बालिये।

सुश्री अलका लांबा : अध्यक्ष जी, मैं वही कह रही हूं कि एन्टीकरपशन ब्रांच की बात हो, दिल्ली के ला एंड आर्डर की बात हो, जमीन की बात हो हमेशा यही झगड़ा रहता हैं कि दिल्ली के लोग भी कन्फयूज हैं और हम भी हैं कि कौन सी एजेन्सी किसके अन्दर आती है मल्टीपल एजेन्सीज हैं जिसमें डीडए, एमसीडी, एनडीएमसी, सीपीडब्लूडी लोग झूल रहे हैं मैं आपसे गुजारिश करूंगी और इस नोटिफिकेशन ने और जो है तो गुमराह करने का काम किया है कि असली जो है वो ताकत किसके हाथ में है दिल्ली के फैसले लेने की चुने हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में है या एक नियुक्त किये हुए एलजी के पास है। overlapping of responsibilities है। अब मैं आपसे बात करती हूं कि water and sanitation को ही लेकर समस्या कभी आ जाती है इतना परेशान हो जाते हैं हम खुद चुने हुए प्रतिनिधि कि यह दिल्ली जल बोर्ड है एमसीडी देख रहा है कि डीडीए का सेनीटेशन और जमीन है या एनडीएमसी के इलाके हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगी कि इस तरह के नोटिफिकेशन और इस तरह का जो overlapping of responsibilities हैं dual jurisdiction की बात है मल्टीपल एजेन्सीज की बात है इसमें भी जो दिल्ली झूल रही है इससे मुक्त किया जाना चाहिए और सदन अपनी ताकत को पहचानता है कि ये सर्वोच्च इकाई है जहां पर बैठकर इनपर फैसले करकर दिल्ली की जनता को राहत दी जानी चाहिए। मैं दिल्ली की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री की इस बात के लिए भी सराहती हूं कि एक सपना देखा कि दिल्ली को भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का। अब इसमें मैं फिर एक बात कहूंगी कि केन्द्र ने कहा है कि ये आपके अधिकारी

मेरे अधिकारी हैं। डीडीए आपका है, एमसीडी हमारा है और ये अपका है ये बहुत ही कन्फयूजन पैदा करता है जब हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली को भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना है अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूं मान लीजिए मेरे घर में आग लग जाती है भ्रष्टाचार की आग से झुलस रहा है ये हिन्दुस्तान आज हमारा जिसमें आज हमें इतना बड़ा मैनडेट मिला है आज मैं आपसे पूछती हूं कि हमारे घर में आग लग जाए और हमें ये कहा जाए कि आपको इस कमरे की आग बुझाने का हक है उस कमरे की आग आप नहीं बुझा सकते, उसे जलते हुए देखते रहिए। ये कतई भी नहीं हो सकता है ये पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का हक Corruption Branch को ताकत देने की बात, दिल्ली की पुलिस, ला एंड आर्डर की अगर मैं बात कहूं तो बिल्कुल मैं आपसे कहूंगी। इस तरह के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए आपको देनी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत समय उन्होंने दे दिया।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी कन्क्ल्यूड कीजिए।

सुश्री अलका लांबा : अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल खत्म कर रही हूं। मैं हमारे हाकी के खिलाड़ी स्वर्गीय श्री ध्यानचंद जी को श्रद्धांजली देते हुए इनका वाक्य याद दिलाना चाहूंगी जब गुलाम भारत में थे हम लोग और वो भारत के एक जांबाज खिलाड़ी थे मैं कहूंगी और जर्मनी में अब वे खेल रहे थे जर्मनी बहुत ताकतवर था और भारत गुलाम था। गुलाम भारत के खिलाड़ी के तौर पर वे वहां पर गये। वहां उन्होंने खेल खेला और जब वे खेल खेल रहे थे तो जर्मन का तानाशाह हिटलर उसी मैदान में खड़े थे और उन्हीं की उपस्थिति में उन्हीं की वहां पर सरजमी पर उनपर एक के बाद एक गोल दागकर उनको ध्वस्त किया वहां पर उन्होंने जर्मनी को हराया ऐसे थे ध्यानचंद जी। आज वही

हाल मैं तुलना दिल्ली से करना चाहती हूं। दिल्ली गुलाम नहीं है पर दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। और तानाशाही जिस तरह से की जा रहा है एलजी के माध्यम से जबरदस्ती इस तरह के नोटिफिकेशन का मैं सख्त विरोध करती हूं और मैं फिर कहूंगी कि हकीकत एक इतिहास बताता है कि हिटलर है कि हिटलर जो तानाशाह जर्मन के थे उन्होंने ध्यानचंद जी को बुलाया अपने पास जब वो हार गये जर्मनी और बुलाके बहुत से लालच देने चाहे बहुत से समझौते, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की, तो मैं वही कहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैं आज उस खिलाड़ी ध्यानचंद की तरह देखती हूं कि आप किसी तरह की किसी भी तानाशाही किसी के दबाव में आये बिना जो मैंडेट आपको ऐतिहासिक मिला है मैं कहूंगी कि आप डटे रहियेगा दिल्ली की जनता आपके साथ में है लेकिन आपसे गुजारिश करूंगी कि और एक जोरदार आवाज से चुने हुए प्रतिनिधि और दिल्ली की आवाम की तरफ से कहना चाहूंगी कि इस तरह के असंवैधानिक नोटिफिकेशन को कताई भी इस सदन को स्वीकर नहीं करना चाहिए और पूर्ण बहुमत के साथ इस नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए केन्द्र सरकार को एक बार चेता देना चाहिए कि यहां पर चुनी हुई पूर्ण बहुमत की ऐतिहासिक सरकार दिल्ली चलाएगी न कि कोई नियुक्त किया हुआ किसी का पद।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल वाजपेयी जी।

श्री अनिल वाजपेयी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आदरणीय मनीष सिसेदिया जी द्वारा जो.. कानून के बारे में जो प्रस्ताव किया गया है, रखा गया

है, हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और मैं चन्द बातों में अपनी बात कहना चाहता हूं कि सौ जगह एक कहावत है कि खुल्ला खेल फर्रूखाबादी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये प्रस्ताव लाया गया है, ये लाया क्यों गया है। आज जन्तर मन्तर की दिल्ली की जनता से शुरू हुआ एक आन्दोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस कांग्रेस की जंग के खिलाफ, देश के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ और जिसकी लड़ाई आदरणीय अरविन्द केजरीवाल साहब ने शुरू की और आज 28 सीटें पिछली बार दिल्ली के अंदर हम लोगों ने जीतीं और 28 सीट जीतकर हम लोग जब आये, तो इस भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए नेता और वे कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि ये अरविन्द केजरीवाल जी क्या हैं? ये मनीष सिसोदिया जी क्या हैं? ये गोपाल राय जी क्या हैं? ये सत्येन्द्र जैन जी क्या है? लेकिन दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि माननीय केजरीवाल आज हिन्दुस्तान के एक मात्र नेता हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दिल्ली में 70 में से 67 सीट लाकर देश में ही नही विश्व के इतिहास में अपना परचम लहरा दिया। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करते हैं। मैं एक बात कह देना चाहता हूं आप लोगों से कि आज ये कानून लाया कौन है। ये कानून किसके द्वारा लाया गया है। मुझे इस सदन में कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कि एक विश्व के अंदर हिटलर जर्मन में हुआ है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी XXX[1] है जिसका नाम नरेन्द्र मोदी है और उसके द्वारा ये अध्यादेश लाया गया है। मैं आज खुलेआम इस सदन से कहता हूं...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, क्या ये ठीक है XXX बोलना?

[1]चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।

श्री अनिल वाजपेयी : मैं विजेंन्द्र गुप्ता जी से बोलना चाहता हूं कि मेरी बात तो सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : वे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है सदन की कार्यवाही में इस तरह के शब्द बोलना।

...(व्यवधान)...

श्री अनिल वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्लीज सुनिये मेरी बात को। क्यों नहीं सुनना चाहते हैं आप?

...(व्यवधान)...

श्री अनिल वाजपेयी : क्यों नहीं सुनना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप भी मिले हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, मेरी बात सुनिये आप। आप अपने विषय पर बोलते रहिए। और जो आपने दिया है उस पर बोलिये प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये XXX शब्द निकलवाइये। अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से ये शब्द निकलवाया जाये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, क्या ये ठीक है XXX बोलना?

श्री अनिल वाजपेयी : मैं विजेन्द्र गुप्ता जी से बोलना चाहता हूं कि मेरी बात तो सुनिये।

...(व्यवधान)...

XXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

श्री अनिल वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्लीज सुनिये मेरी बात को। क्यों नहीं सुनना चाहते हैं आप?

...(व्यवधान)...

श्री अनिल वाजपेयी : क्यों नहीं सुनना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप भी मिले हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, मेरी बात सुनिये आप। आप अपने विषय पर बोलते रहिए। और जो आपने दिया है उस बोलिये प्लीज।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये XXX शब्द निकलवाइये। अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से ये शब्द निकलवाया जाये।

श्री अनिल वाजपेयी : मैं फिर कहंगा कि नरेन्द्र मोदी XXX है।.. **.(व्यवधान)...**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहूंगा कि ये शब्द गलत बोला गया है। ये नहीं ये नहीं चलेंगा, बिल्कुल नहीं चलेगा।

श्री अनिल वाजपेयी : और ये अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना से की XXX है।..

श्री अनिल वाजपेयी : और मैं उस XXX का विरोध करता हूं। आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए। मैं कहूंगा कि वो XXX है। नरेन्द्र मोदी XXX हैं, ये अध्यादेश आपके द्वारा लाया गया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप पूछिए न उनसे।

XXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।

श्री अनिल वाजपेयी : गलत कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं आपसे who is Rajnath Singh ठीक कर रहे हैं ये लोग।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, आप अपनी बात रखिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पहले इस बात का स्पष्टीकरण हो जाये उन्होंने अपशब्द इस्तेमाल किया है।

श्री अनिल वाजपेयी : नरेन्द्र मोदी नहीं तो क्या राजनाथ सिंह है? **...(व्यवधान)...**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से निकलवाइये ये शब्द।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शब्द हटवाइये कार्यवाही से। ये कौन सी भाषा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं विजेन्द्र जी।

श्री अनिल वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आज उस नरेन्द्र मोदी ने XXX ने गुजरात राज्य.. आज वे दिल्ली की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। आज दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, एक सैकेंड रुकिए।

श्री अनिल वाजपेयी : क्या मनीष जी ने गलत किया?

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, एक सैकेंड रुकिए। देखिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। पीएम के विरूद्ध संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। अगर अनिल वाजपेयी जी ने कोई XXX शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये। ..आप दो मिनट रुक जाइये। कार्यवाही से बहुत गंभीर विषय है उसकी गंभीरता को हमको और बढ़ाना है।

XXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।

श्री अनिल वाजपेयी : ठीक है सर। मैं एक बात सदन में कहना चाहता हूं कि क्या मनीष सिसोदिया जी द्वारा स्कूल का निरीक्षण ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था। क्या जो उस स्कूल के अंदर मनीष जी ने निरीक्षण किया उसके अंदर जो भ्रष्टाचारी टीचर को सस्पेंड किया गया, क्या विजेन्द्र गुप्ता जी, ये अच्छी बात नहीं थी? क्या पूर्वी दिल्ली के जिन सब-रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया, क्या ये सही कदम नहीं था। आज इसका समर्थन आपको भी करना चाहिए। अगर जरा सी भी नैतिकता आपके अंदर है। मैं तो खुले मन से ये आपसे कहना चाहता हूं। साथियो आज जो ये बिल है, ये क्या है? ये भ्रष्टाचार हम, आप और अरविन्द केजरीवाल साहब पूरी बाम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। लेकिन ये बिल हम पर थोपा जा रहा है। इसको हम कत्तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने वाले इस मंच के माध्यम से मीडिया के लोग हैं, सुन लें, उनके इस कदम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आन्दोलन के लोग हैं। हम लोग सड़क पर आन्दोलन करने वाले लोग हैं। हम यहां भी लड़ाई लड़ेंगे मोदी के खिलाफ और हम सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे, अगर ये बिल हम पर थोपा गया। हम जान दे देंगे अपनी लेकिन ये बिल, हम इस बिल को दिल्ली के अंदर लागू नहीं करने देंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है, इसे बिल्कुल नहीं लागू होने देंगे। चाहे हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़ जाये इसके लिए। और आज पूरा सदन..

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी कन्क्लूड करें। अभी बहुत लोगों ने बोलना है।

श्री अनिल वाजपेयी : ठीक है सर मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहा हूं जो इसी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उनके आज बने हुए प्रधानमंत्री ने कहा

था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। कहां चला गया वायदा? आप कहिए अपने नेताओं से कि जो उन्होंने वायदा किया था आज कहां चला गया? आज पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए नहीं देना चाहते कि वे चाहते कि हमारे बस की कुछ नहीं है। आज उनको डर लग गया है अरविन्द केजरीवाल साहब से। XXX[2]। फिर भी कहीं न कहीं मीडिया ये कहता कि सेकेंड नम्बर के कोई लीडर अगर कोई हमारे देश में है तो अरविन्द केजरीवाल जी है।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी कन्क्लूड करें। अभी बहुत लोगों ने बोलना है।

श्री अनिल वाजपेयी : ठीक है सर में कन्क्लूड कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये उसके हिटलर कुछ भी कर लें। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है और हम लोग. .

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया।

श्री अनिल वाजपेयी : और दिल्ली की जनता उनके साथ है, और उनके साथ रहेगी। धन्यवाद जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदय : मनीष सिसोदिया जी कुछ कहना चाहते हैं।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के तमाम साथियों से जिनमें सत्ता पक्ष के साथी भी है और विपक्ष के साथी भी हैं, एक बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो सदन बैठा है यहां, ये कोई रुटीन में नहीं बैठा। मतलब कोई सामान्य सदन में चर्चा चल रही हो, और रूटीन में जो हमारी बैठकें होती हैं, यह पहली बैठक का एक हिस्सा है, जो विशेष रूप से बुलाया गया है और बहुत विशिष्ट परिस्थितियां दिल्ली में पैदा हो गयी हैं, उन पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। दिल्ली के लोग वैसे तो देश और दुनिया के लोग भी देख रहे हैं। कि दिल्ली विधान

---

[2]चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

सभा में आज क्या चर्चा हो रही है। पर दिल्ली के लोग तो अपनी जिन्दगी की बहुत सारी उम्मीदों से इस चर्चा को छोड़कर देख रहे हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वे जिसके भी हों, जिस भी पार्टी से हों, जिस भी विधान सभा से हों, सदन में बैठकर इस बहुत गंभीर मसले पर क्या चर्चा कर रहे हैं कि उनकी चुनी हुई विधान सभा को क्या ताकतें हैं और क्या नहीं हैं। एक तरफ दिल्ली में ये हालत पैदा हो रहे हैं कि दिल्ली में केन्द्र सरकार के द्वारा असंवैधानिक अधिसूचनाएं जारी करके एक तरफ से अघोषित राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ दिल्ली में चुनी हुई सरकार है जो चुने हुए लोगों की जिन्दगी को खुशहाल बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। वैसे में जो दिल्ली विधान सभा की मदर आर्गनाइजेशन है, दिल्ली विधान सभा वह कैसे फंक्शन करें, उसके अधिकारों में और बढ़ोत्तरी कैसे हो कमी होने की जगह, हम इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और कहीं से कमी होने की कोशिश हो रही है तो उसको कैसे रोका जाये, ये पूरी विधान सभा मिलकर क्या करे, इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको सामान्य चर्चा के रूप में न लें। ये राजनैतिक चर्चा नहीं है। ये दिल्ली के लोगों की जिन्दगी से जुड़ी हुई चर्चा है। ये आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कोई और एक्स या वाई पार्टी के बीच की चर्चा नहीं है। सत्ता पक्ष के साथियों से भी अनुरोध करूंगा और विपक्ष के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि आपसी ये सब चलता रहेगा, दो राजनैतिक पार्टियां हैं तो ये उनके बीच में चलता रहेगा। लेकिन सदन यहां आज विशेष रूप से एक विशेष बैठक बुलाकर बैठा हुआ है तो उस चर्चा की गरिमा को, उसकी गंभीरता को, यहां मीडिया के साथी भी बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से दिल्ली और देश तक और उन लोगों तक, जिन लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उन तक ये संदेश जाना चाहिए कि हम बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। हम उन तमाम शब्दों का, उन तमाम भावनाओं का जिस गुस्से से वो निकल कर आ रही हैं, यह बहुत गंभीर विषय है। इसको सामान्य चर्चा के रूप में न ले। यह राजनैतिक चर्चा

नहीं हैं। ये दिल्ली के लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई चर्चा है। यह आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी या कोई और एक्स और वाई पार्टियों के बीच की चर्चा नहीं है। मैं सत्ता पक्ष के साथियों से भी अनुरोध करूंगा और विपक्ष के साथियों से भी कि आपसी, ये सब चलता रहेगा। दो राजनैतिक पार्टियां हैं एक्स और वाई तो उनके बीच में चलता रहेगा। लेकिन यहां सदन आज विशेष रूप से एक विशेष बैठक बुलाकर बैठा हुआ है तो उस चर्चा की गरिमा को, उसकी गंभीरता को, यहां मीडिया के साथी बैठे हुए हैं उनके माध्यम से दिल्ली और देश तक और उन लोगों तक जिनके बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं उन तक यह संदेश जाना चाहिए कि हम बहुत गंभीरता से दावा कर रहे हैं। हम उन तमाम शब्दों का तमाम भावनाओं का जिस गुस्से से वो निकल कर आ रही हैं उनकी कद्र करते हैं लेकिन उन शब्दों का चयन हम ऐसे करें ताकि वो चाहे विपक्ष के अभी एक साथी ने आदरणीय अध्यक्ष जी के बारे में टिप्पणी की। वो चाहे हमारे कोई साथी यहां से सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ बोले, मूल मुद्दा क्या है। मूल मुद्दा हमारे कुछ शब्दों का प्रयोग या उनका हटाना नहीं है। हम अपने शब्दों पर अड़े रहे और वहां से हटाने के लिए अड़े रहे, वो नहीं है उसमें सदन का समय जाया करेंगे। इससे अच्छा हम 6 मंत्री वहां सचिवालय में बैठकर काम कर रहे होते, ये भी साथी सारे के सारे अपनी-अपनी विधानसभा में या जहां-जहां जिसको जो काम हैं वो कर रहे होते। यहां अगर हम बैठे हैं इतने तमाम अधिकारियों के साथ तमाम लोग देख रहे हैं तो इस उम्मीद से देख रहे हैं कि मूल मुद्दे पर ये विधायक लोग क्या चर्चा करते हैं, क्या निष्कर्ष निकालकर लाते हैं तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर दिल्ली की जनता की तरफ से कि इसको गंभीर चर्चा के रूप में चलाए। सिर्फ एक दूसरे को चुप कराने, एक दूसरे की बात को बीच में रोकने के लिए, वाह-वाही लूटने के लिए कि हमने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, इस सब से कुछ नहीं होना।

आज से दो साल बाद, पांच साल बाद, दस साल बाद देश अगर इस चर्चा को याद रखेगा तो इसलिए याद रखेगा कि किस सदस्य ने कितनी गंभीर बातें दिल्ली की जनता के हित में कही थी और दिल्ली की विधानसभा को मजबूत बनाने के लिए कही थी। इसलिए नहीं रखेंगा कि किसने क्या शब्द का इस्तेमाल किया था और किसने विधानसभा की कार्यवाही आधा घंटा नहीं चलने दी थी या कौन व्यक्ति अपने शब्दों पर अड़ गया था, इसको बिल्कुल याद नहीं रखा जाएगा और अगर ये याद रखा जाएगा तो ये काला इतिहास होगा इसके लिए। आज का दिन बहुत सुनहरा दिन है कि विधानसभा अपने अधिकारों पर चर्चा करने के लिए बैठी है तो मैं सबसे फिर से अपनी बात को समराइज करते हुए रिकवस्ट करता हूं अपने प्रिय साथियों से कि इस चर्चा की गंभीरता को, इस विषय की गंभीरता को समझते हुए अपनी भाषा का और पूरे सदन में अपने एक्शन का बहुत ध्यान रखते हुए प्रस्तुति दे कि यहां गंभीर चर्चा के लिए बैठे हुए हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अभी वाजपेयी जी ने मीडिया के संबंध में कुछ विषय कहा था, उसको कार्यवाही से निकाल दे। विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं मनीष सिसोदिया जी की बात का समर्थन करता हूं। क्योंकि अच्छा हुआ जब मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया तो उससे पूर्व उप-मुख्यमंत्री जी ने सदन के सभी सदस्यों को इस बात से आग्रह किया क्योंकि अभी तक कि चर्चा में गंभीरता की कहीं न कहीं कमी थी और विषय की गंभीरता पर ध्यान दिए बगैर आरोप-प्रत्यारोप, राजनैतिक भाषा और सिर्फ विरोध के लिए विरोध, ऐसा एक संकेत साफ रूप से नजर आ रहा था। जब आपने, जब उप-मुख्यमंत्री जी ने ये प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा धारा 107

के अंतर्गत तो उस चर्चा पर हमने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की और एक मुक सहमति क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी विषय पर बातचीत करना, चर्चा करना और सदन के पटल पर गंभीरता से चर्चा करना, यही लोकतंत्र का श्वास है। यही लोकतंत्र का एक सही स्वरूप है। यहां बहुत प्रकार की बाते आई हैं और प्रस्ताव पेश करते वक्त भी इस विधानसभा की गरिमा को ध्यान में रखकर ये चर्चा यहां प्रारंभ की जा रही है। दिल्ली के अधिकारों को लेकर के बात की जा रही हैं। दिल्ली के अधिकारों में कोई नहीं होनी चाहिए, इस पर बात की जा रही है। ये सब प्रस्ताव में यहां पर कहा गया है और ये सराहनीय है। विषय ये है कि यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने आदरणीय मदन लाल खुराना जी का जिक्र किया, आदरणीय साहिब सिंह जी का जिक्र किया और भी भाजपा के कई बड़े नेताओं का जिक्र यहां पर आया। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ये बात हम भी कहते रहे हैं और आज भी इस बात से किसी ने इंकार नहीं किया। मुझे याद है अगर मेरी बात सही नहीं है तो मुख्यमंत्री जी उस पर अपना कौंट्राडीक्शन दे सकते हैं। जब चुनाव जीतने के बाद और प्रचंड़ बहुमत के साथ आप प्रधानमंत्री जी को मिलने गए तो आपके विचारों पर पूर्ण सहमति जैसी स्थिति प्रधानमंत्री जी की तरफ से आई और साथ में ये भी आया कि आपको दिल्ली की सेवा के लिए जो भी केंद्र की तरफ से मदद चाहिए, हम देंगे। उसमें पूर्ण राज्य भी एक विषय हो सकता है। लेकिन क्या कारण है कि आज एक बहुत बड़ा वैक्यूम और गैप खड़ा होता जा रहा है क्या कारण है कि एक ऐसी बात जिस पर सब लोग मिलकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सहमति बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक गैप बन रहा है। उसका कारण है सरकार का रवैया। जब 26 जनवरी थी मुझे याद है 49 दिन की सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा उस समय जब पहली बार सरकार बनी थी कि हम 26 जनवरी की परेड पर अगर दो कांसटेबलस के ऊपर

या दो पुलिस वालों के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई तो हम 26 जनवरी की परेड़ को होने नहीं देंगे या रोक देंगे। एक मिनट-एक मिनट, बात तो पूरी होन दीजिए **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : जी आप बैठिए प्लीज। कपिल जी आप दो मिनट बैठिए प्लीज, बोल लेने दीजिए उनको।

श्री कपिल मिश्रा : मुख्यमंत्री महोदय के बारे में या 26 जनवरी के बारे में झूठ को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और पहली बात ये अभी नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा हो रही है उसके बारे में बताइये। दिल्ली से सर्विसिस क्यों छीनी जा रही है, नियुक्ति, ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार क्यों छीना जा रहा है उसके बारे में जवाब देने की हिम्मत है तो जवाब दीजिए। बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है यहां पर। आप ये जवाब दीजिए कि दिल्ली के अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं इसके बारे में कोई जवाब है क्या आपके पास **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, देखिए मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं वो जो बोलना चाहते है उनको बोल लेने दीजिए। पूरा कैमरा देख रहा है, दिल्ली की जनता देख रही है लाइव टेलिकास्ट हो रहा है। उनको जो भी वो बोलना चाहे बोलने दे झूठ सच जो बोलना है बोलने दीजिए प्लीज। मेरी रिक्वस्ट है, बोलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : और साथ में पूरे देश में एक संदेश गया कि उसमें से ये भाव निकला कि हम anarchist हैं। एक अजीब सी स्थिति देश के अंदर, दिल्ली के अंदर पैदा हुई। जिसका भाव ये दिया गया कि ये unconventional Government है। हम unconventional पार्टी है। हम ट्रडिशनल नहीं है। लेकिन आज भी कहीं न कहीं आप इस सदन में चर्चा करते समय पूर्ण राज्य का दर्जा

मिलने कि मांग को मजबूत नहीं कर रहे हैं उसको कमजोर कर रहे हैं। उसमें जिम्मेदारी का भाव दिखाई नहीं दे रहा। उसमें चर्चा एक सार्थक दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ रही है। उसमें एक सामंजस्य नजर नहीं आ रहा है। उसमें कोई सार्थकता नजर नहीं आ रही है। उसमें ऐसा लगता है कि सिर्फ एक राजनैतिक दृष्टिकोण के सदन से अंदर विषयों को रखा जा रहा हैं। हम दो करोड़ लोगों को लगभग दिल्ली के दो करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग हमसे उम्मीद करते हैं। अगर अच्छा होता सिर्फ केंद्र को कोसने की बजाय, अपशब्द इस्तेमाल करने की बजाय हम साथ-साथ दिल्ली की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही हैं उन पर भी जरूर थोड़ा समय निकालकर अपनी बात कहते। 280 में आपने यहां सदस्यों को मौका दिया। 10 सदस्य अपनी बात कह सकते थे लेकिन सूची में मात्र 6 या 7, 6...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको एक बीच में रोक रहा हूं एक सैकेंड मेरे पास जितने सदस्यों की 280 में आए नहीं 280 में जितने सदस्यों के आए, आपका स्वयं भी नहीं आया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं वही तो कह रहा हूं। हमारी तरफ से दो सदस्यों का आ गया था। मुझे लगा कि 10 में से 2 भी दे देंगे तो बहुत होगा लेकिन खैर। दिल्ली में आज पानी की दिक्कत है। इस पर कोई बात नहीं हो रही है। दिल्ली के अंदर अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने की बात बार-बार होती रही है। आप अगर अच्छा होता कि हम दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना चाहते हैं, हम यहां तक पहुंच गए हैं और यहां से आगे जाने में हमें दिक्कत हो रही है और उसका कारण आप आरोप लगा सकते थे। आप उस

दुविधा को सामने ला सकते थे जिसमें कहा जा सकता था कि पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो निश्चित रूप से हम इस समस्या का समाधान कर लेते। यानि की कहीं न कहीं ये पूर्ण राज्य के दर्जे की कमी हमें अपूर्ण कर रही है। उस तरह की स्थिति इस सदन में चर्चा में आई ही नहीं है।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप दो मिनट रुक जाइए। देखिए सदन का समय, बैठिए जरा बैठिए प्लीज। जरनैल जी ये बात ठीक नहीं है प्लीज बैठिए। जरनैल जी बैठ जाइए प्लीज। देखिए दो मिनट बैठ जाइए। विजेन्द्र जी थोड़ा विषय को ले लीजिए प्लीज शार्ट में करके।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : लेकिन प्रधानमंत्री को हिटलर कहा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : भई वो शब्द हमने निकलवा दिए आप दोहरा रहे हैं दोबारा। आप उन शब्दों को दोहरा रहे हैं जो उचित नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अयक्ष जी आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया है ना

अध्यक्ष महोदय : फिर आप दोहरा रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया है, ये तो हम आपका धन्यवाद करने जा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : देखिए विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना करूंगा उपमुख्यमंत्री जी ने बहुत शालीनता से अपने सदस्यों को कहा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी मैं बिल्कुल उनका आभारी हूं। उन्होंने बहुत शालीनता दिखाई और संयम से इस बात को माना। एक सेकेंड, इस सदन के अंदर जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है या हुआ है...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : उस पर मनीष जी टीका टिप्पणी कर चुके हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मुझे कम टोकेंगे तो मैं ज्यादा जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उपराज्यपाल महोदय के खिलाफ महाभियोग लाया जाए इसी सदन में कार्यवाही का हिस्सा भी है इसी सदन में उपराज्यपाल माल इक्टठा कर रहे हैं और केन्द्र को दे रहे हैं ये भी है क्या यह पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने वाली भाषा है? दूसरा जिस...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : करवा रहे हैं भई वाजपेयी जी ये ठीक बात नहीं है आपकी। वाजपेयी जी मुझे पसन्द नहीं आ रही है ये चीज प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये मामला शुरू कहां से हुआ? ये मामला अगर. ..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप एक गंभीर सदस्य हैं विषय को समझिये जरा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये मामला अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से शुरू होता हो सकता है इसको लेकर के अभी हम काफी आगे बड़ चुके होते। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी जिनकी नियुक्ति मात्र आठ या दस दिन के लिए होनी थी कोई विषय नहीं था। और आठ दस दिन के लिए जब नियुक्ति होनी थी तो परिस्थितियों के अनुसार जो भी निर्णय हुआ वो ऐसा निर्णय नहीं था कि जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया जाए। लेकिन उसके पीछे की साजिश, उसके पीछे की राजनीति, उसके पीछे की बदनियती वो आज वो आज दिल्ली की जनता देख

भी रही है और समझ भी रही है, अगर...**(व्यवधान)** क्यों घबराते हो मेरे बोलने पर।

अध्यक्ष महोदय : बोलिए-बोलिए आप, उधर मत ध्यान दीजिए बोलिए आप आप विषय को कन्क्लूड कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर उस पर बैठकर अपनी बात कही जाती समझने और समझाने की कोशिश होती तो दिल्ली में इतना बड़ा बवाल न खड़ा होता। लेकिन सार्वजनिक सभा में राजनीतिक मंच से मुख्य मंत्री जी के द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को भ्रष्टाचारी कहना मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। एक वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय पर सिर्फ इस लिए ताला लगा देना सिर्फ इस लिए ताला लगा देना क्योंकि उन्होंने मैं उस आर्डर का भी आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ इस लिए ताला लगा देना कि उसने कानून का पालन किया, और उस नियम और कानून को आपने माना आपने जिस श्रीमती शकुन्तला डी गैमलीन को बाद में कहा कि ये मुख्य सचिव हैं उन्हें मुख्य सचिव के आदेश निकालने वाले अधिकारी को प्रताडित करते रहे लगातार और आज तक किया जा रहा है। ये बदले की भावना से काम हो रहा है या एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार चलाई जा रही है। ये एक सरकार जो जनता की चुनी हुई सरकार जनता की उम्मदों पर काम करने के लिए आई हो और इस प्रकार अगर बदले की भावना से अपने ही अधिकारियों के प्रति दुस्साहस करे तो उसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है...**(व्यवधान)** अभी आगे बढ़ने दो।

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी वो जबाव आएगा सब आ जाएगा। कपिल जी वो जबाव आयेगा सब आ जाएगा।

अलका लाम्बा : हस्तक्षेप के जो हैं वो खिलाफ है इस हस्तक्षेप के खिलाफ हैं। कि किसी कर्लक कमर्चारी, पियुन तक की नियुक्ति का हक का अधिकार दिल्ली के चुने हुए मुख्य मंत्री को नहीं है। आप नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थितियां बनें तो हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि इस नोटिफिकेशन के खिलाफ आवाज उठाएं और एल.जी. को इस तरह के संवैधानिक कदम उठाने के लिए कहें... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, अलका जी प्लीज बैठ जाइए। विजेन्द्र जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि विजेन्द्र जी एक बात सुन लीजिए प्लीज विषय को कन्क्लूड करिए और विषय पर रहेंगे उधर से भी टोका-टाकी इतनी नहीं होगी ज्यादा...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी मुझसे ज्यादा समय अपने सदस्यों को दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ना बिल्कुल नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैंने एक-एक सदस्य के समय नोट किये हैं अभी तक जितनी चर्चा हुई है और जितने लोग बोले हैं उसका अनुपात आप निकाल लीजिये और मेरा समय...**(व्यवधान)** कम से कम न हो आप कहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये, अच्छा बोलिये वो सत्तर है सत्तर में से कितने बोलेंगें तीन में से कितने बोलेंगें उसका भी तो निर्णय लेना है मुझे।

श्री सुरेन्द्र सिंह : जो आफिस की बात जो ये कह रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्लीज

श्री सुरेन्द्र सिंह : एनडीएमसी के अंदार एक इसके विधायक साथी का आफिस था वहां पर गृह मंत्रालय ने एक नोटिस निकाला के जब के वो हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था क्योंकि वहां जनता की समस्यायें सुन रहे थे...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपकी बारी आयेगी जब से विषय रखिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह : तो इन्होंने सील लगवा दी उस आफिस में...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपकी बारी आयेगी आपकी बारी आयेगी इस विषय में प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ता : फिर आप कहोगे कि सीट पर स्प्रिंगलगा हुआ है क्या करूं मैं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा कोई बात नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं खड़ा रहूंगा, मैं उनसे बात करूंगा तो आप कहोगे मैं जब उनसे बात कर रहा हूं तो कि आप क्यों खड़े हो इसलिये बार-बार उठना बैठना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो विजेन्द्र जी ये कह रहा हूं माननीय सदस्य खड़े रहते हैं उनका सम्मान करते हो आप। तुरंत बैठ जाते हो, मैं खड़ा होता हूं तब भी खड़े रहते हो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यह आपके मन में...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तो बोलिये, अच्छा ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हमारे मन में आप के प्रति पूरा सम्मान है।

अध्यक्ष महोदय : हंसी खुशी से बोलिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पूरा आदर भाव है पूरा जिसको कहा जा सकता है आपकी बात हम मानेंगे ये हमारा दिल करता है।

अध्यक्ष महोदय : चलिये करिये अब कनकलूड कीजिए प्लीज। अब विषय पर रखकर कनकलूड करिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अभी तो विषय पर आधा भी नहीं बोले ना। अभी तो नाटिफिकेशन...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जिस पर आपने बात की है सदन हो रहा है उस पर तो आया ही नहीं अभी तक...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अभी जिन सदस्यों को बोलना है बड़ी लंबी लिस्ट है। आप एक काम कर लीजिये।...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अब आप देखिये 239, सारा विवाद कहां पर है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड। एक समय तय कर लीजिये। घड़ी देख लीजिये। आप 15 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 15 मिनट में मैं 10 बार बैठ चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई सदस्य नहीं बोलेगा। पांच मिनट में आप कनकलूड कर दीजिये। फाइव मिनट। घड़ी सामने है। कनकलूड करिये उसको कनकलूड करिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरे हाथ में ये नोटिफिकेशन की कापी है हालांकि सदन जब बुलाया गया था सदन के बुलेटिन में इनफोरमेशन में कहीं विषय की चर्चा नहीं की इस नोटिफिकेशन की कापी तक हमको नहीं दी गई, हमें सिर्फ ओपिनियन दी गई। यानि की गवाह थे मुद्दा नहीं। अगर मुद्दा भी होता साथ में तो शायद और सार्थक तक चर्चा होती लेकिन ये नोटिफिकेशन हमको नहीं दिया गया। आज ही दिया है। यही बात है। दूसरा...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मदन जी, प्लीज आप उनको कहने दीजिये क्या कहते हैं। आप कनकलूड कीजिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सारा विषय आ जाता है कि ये नोटिफिकेशन क्यों आया। ये नोटिफिकेशन इसलिये आया दिल्ली के अंदर एक कनकलूजन है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, विवाद हो रहे थे। अधिकारियों के कमरों पर ताले लग रहे थे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में आदेश निकाले जा रहे थे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आरोप-प्रत्यारोप हो रहे थे, विवाद हो रहे थे, अधिकारियों के कमरों पर ताले लग रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश के आदेश निकाले जा रहे थे तो भारत के गृह मंत्रालय ने सारी परिस्थिति को समझते हुए एक क्लेरिफकेशन निकाला है। यह क्लेरिफिकेशन है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : भई वो ये तो मान रहे हैं क्लेरिफिकेशन है नोटिफिकेशन नहीं है। दो मिनट शांति रखिये जरा, प्लीज।

श्री विजेन्द्र : मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं क्योंकि इसमें कोई बात नई नहीं है। सभी बातें पुरानी हैं। इसकी भाषा से भी यह प्रतीत होता है कि इसमें

जो लिखा गया है जिस बात पर यहां चर्चा पर जोर दिया जा रहा है। यह 239 AA का sub-clause (3) उसके (a) पर यहां बात आई इसमें कहा गया कि "National Capital Territory with respect to any of the Union Territory except matter with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64,65 and 66 of that List in so far as they relate to the said entries. जब यह बात यहां पर आई तो इसके बलावा 41 एंट्री की बात हो रही है और 41 एंट्री की बात क्यों आई वो इसलिए आई क्योंकि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है और जब दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो उसमें लिखा है so far any such matter is applicable to Union Territory except matter with respect to entiries 1, 2 and 18. यानी कि 1, 2 और 18 के बाद यह कांस्टिट्यूशन का एंगल है मेरा नहीं है। यह इस किताब के अंदर है, कांस्टिट्यूशन के अंदर कि 1, 2 और 18 के अलावा जो स्टेट लिस्ट है उसमें अगर कोई ऐसा मैटर भी है जो यूनियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ है वो मैटर भी उसको भी include करके बाकी सारी ताकतें दिल्ली की सरकार के पास हैं यह इसमें कहा गया। उसके बाद इस नोटिफिकेशन में यह क्लेरिफिकेशन भी दिया गया क्योंकि जो कैडर है Union Terrtiories Cadre consisting of IAS and IPS Personnel is common to Union Territories of Delhi, Chandigarh, Andamana & Nicobar Island Lakshadweep. Damam and dieu वगैरह-वगैरह जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उनका एक कामन पैनल है, कामन कैडर है, यूटी कैडर है और क्योंकि वो एक यूटी कैडर है और दिल्ली के पास अपना कोई स्टेट सर्विसेस नहीं है कोई स्टेट सेलेक्शन प्रोसेस नहीं है उस प्रकार का इस पूरे उसमें इसलिए कामन फोरम पर हम है पार्ट है उसका तो किसी एक स्टेट को उसका अधिकार किस प्रकार दिया जा सकता है उनके अधिकारियों पर जब वो अधिकार पांच से अधिक यूनियन टेरिटरीज के साथ जुड़े हुए हैं...**(व्यवधान)**

श्री कपिल मिश्रा : आपकी जब सरकार भी तब क्या होता था, ऐसा नहीं है आप गैर असंवैधानिक चीफ को संवैधानिक नहीं कह सकते हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, आप बैठ जाइये। उनको बोलने दीजिए। वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, आप बैठिये।

श्री कपिल मिश्रा : आप एक नोटिफिकेशन को कलेरिफिकेशन बताते हैं उसके बाद आप गैर संवैधानिक को संवैधानिक बताते हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, आप बैठ जाइये। सदन का समय खराब हो रहा है और आप बहुत अच्छा बोले हैं। आप बैठिये। आपने विषय को बहुत गंम्भीरता से रखा, बहुत अच्छे ढंग से रखा। जरनैल जी (राजौरी गार्डन) मुझे यह पसंद नहीं आ रहा। जरनेल जी, मैं कह रहा हूं बैठ जाइये। प्लीज बैठ जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : यूटी कैडर में कोई एक यूनियन टेरिटरी उन अधिकारियों पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकती इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका इसमें आ जाती है और इसलिए यह क्लेरिफिकेशन के तौर पर सामने आया जिस तरह से 1, 2 और 18, अभी आगे इसी नोटिफिकेशन पर मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं, इसके साथ-साथ...**(व्यवधान)** और दूसरा जो हमारी असेम्बली है इसमें हमें लेजिस्लेचर की पावर नहीं है। आईएएस और आईपीएस के बारे में सर्विसेस का हमारा अपना कोई कमीशन नहीं है इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया "There is no executive power since executive power is co-existent with legislative power." तो जब यह इस अधिकार क्षेत्र

में नहीं है तो इसलिए इस पूरे मामले में जो होता रहा है वही होगा। ऐसा नहीं है कि इस आदेश के बाद कुछ नया होगा। होगा वही क्योंकि मैं आको एक आर्डर और बता देता हूं 1994 का, यह 1994 में जो भी अभी तक लागू है, ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप वाइंड अप कीजिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, जिस डिस्कशन पर आप 70 आदमी बोल रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अभी तो 10 बोले हैं। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कुल 10 लोग बोले हैं। 11वें आप बोल रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आप तो पूरी करने दीजिए। वो ठीक है पर आप proporionately हमारी बात तो सामने आने दीजिए ना।

अध्यक्ष महोदय : वो बालेंगे जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इसके साथ 1994 का एक सर्कुलर है और वो सर्कुलर आज भी स्टेंड करता है जिसके आधार पर दिल्ली में ये तमाम चीजें होती हैं और वो सर्कुलर यह कहता है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेट्री लेवल की जो पोस्टिंग हैं या ट्रांसफर हैं या उनकी अपाइंटमेंट है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे in consultation with the chief minister. यह आज भी चल रहा है लेकिन अभी जो आदेश निकाले गए हैं यह जो आदेश निकाले गये हैं यह एक प्रकार से इन आदेशों की भी सीधी अवहेलना है क्योंकि इसके अंदर यह साफ रूप से कहा गया है आज भी सेकेट्री से नीचे के जितने भी ट्रांसफर, पोस्टिंग है

उसका अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही है उसके लिए उपराज्यपाल की आवश्यकता नहीं है इस आर्डर के according फिर किस चीज का बवाल हो रहा है। अगर यह आर्डर आज स्टेंड कर रहा है जो आज का नहीं है 21 साल पुराना है तो फिर यह आर्डर इसके contradiction में क्यों आये हैं। इस सर्कुलर को आप एक तरफ रख लीजिए, यह तो स्टेंड कर रहा है आर्डर, फिर यह कैसे आ गया लेकिन किया जा रहा है और जबरन अधिकारियों से इसका पालन कराया जा रहा है जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक हैं...**(व्यवधान)**

श्री कपिल मिश्रा : 1994 का जो नोटिफिकेशन है वो तो stand ही नहीं करता अब, नहीं, नहीं 1994 का नोटिफिकेशन स्टेंड नहीं करता उसको यहां पर मेन्शन करने की बात की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : वो खुद ही कंफ्यूज्ड है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कौन सा आर्डर ?

श्री कपिल मिश्रा : सर, आप किन शब्दों की बात कर रहे हैं और कौन से कानून को समझाना चाह रहे हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आपने सर्विसेज को एड किया और संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश की, गृह मंत्री ने जिनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। जब पब्लिक आर्डर, पुलिस और लैंड केवल तीन चीजों की अनुमति दी गई है चौथा सर्विसेस उसमें जोड़ा कैसे जा सकता है। भारतीय संसद के अलावा और किसी को अधिकार ही नहीं हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, आप बैठिये। विजेन्द्र जी, आप कनक्लूड कीजिए।

श्री कपिल मिश्रा : आप देश के संविधान को बदल देंगे और कहेंगे कि कुछ बदला ही नहीं है,...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं आपको हिन्दी में भी पढ़कर बता देता हूं 239AA का...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, आप बैठ जाइये। कपिल जी, जवाब देंगे ना उनका।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 239AA का...**(व्यवधान)**

श्री कपिल मिश्रा : नहीं, नहीं एक तो आप संविधान को नहीं समझ पा रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, आप बैठ जाइये। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं आप बैठ जाइये।

श्री कपिल मिश्रा : आप संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं। संसद के अंदर लेकर आइये ना, अमेंडमेंट लेकर आना है तो, संविधान में अमेंडमेंट केवल देश की संसद कर सकती है और दिल्ली के बारे में निर्णय केवल यह विधान सभा कर सकती है। इसके अलावा कोई कानून समझाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई कानून मत समझाइयेगा हमको...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, आप बैठ जाइये जरा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 239AA का 3(a) मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं...**(व्यवधान)**

श्री कपिल मिश्रा : उसमें केवल तीन चीजें जुड़ी हुई थी सर्विसेस उसमें जुड़ी हुई नहीं थी सर्विसेस को जोड़ने की गैर संवैधानिक चेष्टा की गई है, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, आप बैठ जाइये। विजेन्द्र जी, आप वांइड अप कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, डेढ़ मिनट में वाइंड अप करूंगा। हमारा यह कहना है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, दस मिनट हो गये है पूरे उसके बाद से। मैं आग्रह कर रहा हूं आप वाइंड पर कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, हमारा यह कहना है आपको कोई भी आपत्ति है, आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है, यह क्लेरिफिकेशन आपको सूट नहीं करता है, आप उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं अपनी बात कहने के, कोर्ट के दरवाजे आपके पास खुले हैं, एक मिनट, एक मिनट...**(व्यवधान)**

श्री कपिल मिश्रा : अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता की ताकत को छीना जायेगा तो विधान सभा यह रास्ता है विधान सभा अपनी बात रख तो रही है. ..**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, एक लाइन बोली है उसके बाद ये लोग खड़े हो गये हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते रहिये। आप बोलते रहिए।

श्री कपिल मिश्रा : दिल्ली की जनता के पास क्या शक्ति होनी चाहिए यह दिल्ली की विधान सभा बतायेगी...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : किसी भी क्लेरिफिकेशन का...**(व्यवधान)** एक सेकेंड, एक सेकेंड।

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। कपिल जी, प्लीज बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : किसी भी क्लेरिफिकेशन का इस तरह से और इस प्रकार से और इतने उग्र माहौल में चर्चा करना मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस तरह से और इस प्रकार से और इतने उग्र माहौल में चर्चा करना मैं इसकी कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं। दूसरा इस सदन के समक्ष कितने स्थानों पर संविधान की खुली अवहेलना हो रही है जिसके बारे में पूरी सरकार मूक दर्शक हुई है क्यों नहीं चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट टेबल की जा रही कोर्ट के नोटिस के बाद भी ये स्पेशल सदन में क्या ये एन्शेयर किया जायेगा की कल सदन के पटल पर चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट लाई जायेगी। लोकायुक्त की नियुक्ति, जिस लोकपाल के कारण।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी ये विषय उठेंगे तो बहुत ज्यादा विषय उठ जायेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप सरकार छोड़कर गये लोकपाल का पद खाली पड़ा है उसके ऊपर इस सदन के अंदर कोई चर्चा नहीं हो रही है एक भी बैठक नहीं हुई हैं लोकपाल पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है वो लोकपाल कहां चला गया। लोकपाल आप लेकर आते तो कई लोगों पर कार्यवाही हो चुकी होती। चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू की जाये लोकायुक्त की नियुक्ति की जाये और जिन-जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही बनती है वो कार्यवाही की जाये धन्यवाद।

अध्यक्ष जी : श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह : माननीय अध्यक्ष जी मैं आज सुबह जब घर से निकला तो रेहड़ी-पटड़ी वाला बाजार में जो थोड़े पैसे कमाने वाला जो अपना गुजर-बसर करता है एक ऐसा दुकानदार मिला और उसने कहा कि आप ये रोजआना पूर्ण राज्य की मांग या एसीबी के चक्कर में पड़े हुए हो ये है क्या आप कम से कम इन दिल्ली पुलिस वालों को तो ठीक कर लो ये रोजआना हमसें बजार में हफ्ता वसूली करने के लिए आते हैं लेकिन जब उनको समझाया की उनको ठीक करने के लिए एंटीक्रप्शन ब्यूरों को कल माननीय हाई कोर्ट ने दिया है तो न जाने ऐसे कितने लोग दिल्ली के अन्दर हैं जिनको अपने अधिकारों का ही नहीं पता। अब उसको यह पता चला की वास्तव में एंटीक्रप्शन ब्यूरो एक ऐसी जांच एजेंसी है जो दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट आफिसर को भी अरैस्ट कर सकती है तो उसकी खुशी का ठीकाना नहीं रहा। ये बहुत ही गंभीर विषय है और जो कल फैसला आया है ये दिल्ली के ऐतिहासिक फैसलों में से एक है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे पूर्व भी सदन के माननीय सदस्यों ने दिल्ली को पूर्ण राज्य की बात कही है और चाहे 2003 में स्टैंडिंग कमेटी बनी थी उसमें माननीय एल के

आडवाणी जी ने व जिसके अध्यक्ष राष्ट्रपति माननीय प्रणव मुखर्जी उस समय थे उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था और समय-समय पर लोकसभा व राज्यसभा में भी इस बात पर प्रकाश डाला गया है। श्री पी. करूणाकरण ने, श्री महेन्द्रन ने और ए. एंटनी जी ने भी अपने वक्तवों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है उसके बाद अगर हम भाजपा के साथियों की बात करें तो भाजपा के दिग्गज गिने जाने वाले माननीय श्री गोपाल जी ने लोकसभा में 14 मार्च, 2004 में इस बात को अपने वक्तव्य में रखा है। दिल्ली को स्टेट हुड की बात करें तो भाजपा के ओर कई सारे दिग्गजों ने मदनलाल खुराना जिनमें से एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे और माननीय मदनलाल खुराना जी की मैं उस समय दी गई दो पंक्तियां जो उन्होंने अपने विचार रखे थे वो सदन के समक्ष जरूर रखना चाहता हूं। माननीय मदनलाल खुराना जी ने कहा था कि दिल्ली सरकार को केन्द्र सरकार का एक अधीनस्त शासन माना जा रहा है प्रत्येक स्तर पर केंद्र सरकार का रवैया असहयोग पूर्ण है दिल्ली को एक गलत किस्म की शासन व्यवस्था को झेलना पड़ रहा है। बल्कि यह कहना चाहिए की यह दो सरकारों का ही नहीं बल्कि कई सरकारों का मामला है केंद्र के पास कई तरह के अधिकार हैं जिम्मेदारी और अधिकारों का कोई वास्ता नही है इन सब बातों से शासन की कुशलता प्रभावित होती है लोगों की समस्याओं को हल करने में देरी होती है और विकास योजनाओं को लागू करने का काम लटक जाता है बहुत ही गंभीरतापूर्ण विचार करने के बाद मदनलाल जी ने ये बात कही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं की दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है उन्होंने यहां तक भी कहा कि दिल्ली की सभी बीमारियों का एक ही इलाज है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली सरकार के पास

अगर सारे अधिकार होते तो मैं एक उदाहरण बताता हूं की उसका क्या फायदा होता। पिछले 20 साल से डीडीए के अधीन जितनी भी कालोनियां दिल्ली कं अंदर हैं जिसमें से खास तौर से द्वारका है जिसमें करीबन पांच लाख लोग रहते हैं और पिछले 20 साल से डीडीए को उन द्वारका में रहने वाले सभी निवासियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी थी लेकिन डीडीए आज तब द्वारका में लोगों को पानी देने में असमर्थ दिखाई दिया। माननीय हाई कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद उन सभी फ्लैटस वालों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी अंत में दिल्ली जल बोर्ड को दी गई और मुझे इस बात पर गर्व है की हमारी सरकार ने पिछले डेढ़ महीने के अंदर द्वारका में एक-एक फ्लैट में पानी देने का कार्य किया है इसलिए मैं चाहता हूं की इस तरह के जो अध्यादेश निकाले जा रहे हैं उनका हम घोर विरोध करते हैं और मैं ये भी चाहता हूं कि इस विषय पर राजनीति से परे होकर इस सदन के 70 के 70 सदस्यों को सोचने की जरूरत है और इस सदन के पूरे ही सदस्यों को इस विषय को गम्भीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि जब एक सदस्य बोलता है तो दिल्ली के ढ़ाई लाख लोग बोलते हैं ढ़ाई करोड़ लोग बोलते हैं। ये बेहद गम्भीरता का विषय है और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सत्ता से किसकी यारी है आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है ये बहुत जरूरी है की आज केंद्र सरकार या केंद्र में भाजपा सरकार बैठी है कहीं ऐसा ना हो जोकि आज व्यतीत भी हो रहा है आज जो केंद्र में भाजपा सरकार को आज अपने वर्तमान की चिन्ता नहीं सता रही है बल्कि कहीं ना कहीं भविष्य की चिन्ता सता रही है इसलिए शायद इस तरह के नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। इसलिए मैं जो नोटिफिकेशन आया है उसका पुरजोर विरोध करता हूं। और अंत में एक बात तो जरूर कहूंगा की दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक म्यान में दो तलवार रखने का एक असंभव प्रयास किया जाता है ठीक ऐसी ही स्थिति दिल्ली में बनी हुई है और अंत में एक बात

विजेन्द्र जी के लिए और अपने साथियों के लिए जरूर कहना चाहता हूं कि विजेन्द्र जी आपकी मुस्कराहट से आपकी हंसी से लगता है कि आप राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन ऐसा ना समझें की ये 67 लोग भी बड़े अनाड़ी हैं जिन्होंने इन तीन महीनों में अच्छे अच्छों की हवा बिगाड़ी है बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाब सिंह जी ने बहुत कम समय में अपनी बात रखी धन्यवाद श्री गुलाब सिंह।

अध्यक्ष महोदय : सुरेन्द्र सिंह जी,

श्री सुरेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष साहब, आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आप सभी ने देखा होगा पिछले वक्त में सभी सरकार रही है कांग्रेस की सरकार रही है बीजेपी की सरकार रही है दिल्ली में रही है, सेन्ट्रल में रही है कभी कोयला घोटाला कभी कामनवेल्थ गेम घोटाला कभी टू जी घोटाला और दुर्भाग्य की बात तो ये है जो देश की सरहदों पर लड़ने वाले सैनिक उनके ताबूतों तक के घोटाले देश के अंदर हुए हैं। इन घोटालों से परेशान होकर देश के एक बुजुर्ग ने अनशन किया। 13 दिन तक वो अनशन पर बैठे रहे। पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज उठी और पूरे देश का युवा खड़ा हो गया। उसके बाद एक पार्टी का जन्म हुआ आम आदमी पार्टी के नाम से जिसे जाना गया। जिसे पूरी दिल्ली की जनता ने भरपूर बहुमत दिया और दिल्ली की सत्ता इनके हाथों में सौप दी। पर दुर्भाग्य है जो ये सरकार जो ये आम आदमी पार्टी के लोग ये राजनीति की बजाय दिल्ली की जनता को उनका हक दिलाने के लिये उनके एक-एक विषय के ऊपर काम करना शुरू किया तो राजनीतिक पार्टियों

को ये बात रास नहीं आयी। राजनीतिक नौकरशाह और सत्ता के दलाल इसके खिलाफ रचनाये रचने लगे और पार्टी जो दिल्ली की सरकार इसके काम करने के हर तरीके में टांग अड़ाने लगी। केन्द्र में बैठी भाजपा जो कहती कुछ है और करती कुछ है उसको लगता है अगर दिल्ली सरकार अपने सारे वादे मैनिफेस्टों के हिसाब से पूरे करेगी तो आने वाले चार पांच महीने के अन्दर जो चुनाव हो हैं उसमें बाकी स्टेटों की सरकार बनाने के लिए भी बाकी जनता इसी प्रकार की लोगों की चुनेगी। केन्द्र सरकार एक साल का काम पूरा किया और दिल्ली सरकार का 100 दिन पूरा हुआ। केन्द्र सरकार तो अपने वादों को भी जुमला कहने लगी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरेआम यह बात कह चुके हैं। केन्द्र सरकार के हर कदम पर दिल्ली सरकार के लिए बाधा उत्पन्न कर रही है चाहे वो राज्य की केन्द्रीय अनुदान का मामला हो चाहे पुलिस प्रशासन का मामला हो। दिल्ली पुलिस केन्द्र सरकार के आदेश के हिसाब से दिल्ली सरकार को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध नहीं करा रही, वो दिल्ली पुलिस के रैवये से साफ जाहिर है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 विधायक भरपूर बहुमत के साथ में। जनता को उनसे काफी आशाएं है और जनता बदलाव चाहती है परन्तु केन्द्र सरकार अपने निहित एजेन्डे के तहत दिल्ली पर अपना प्रभाव जमाना चाहती है। चुनी हुई सरकार की पावर जो संविधान ने दी है एनसीटी एक्ट आफ दिल्ली के तहत जो मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद को पावर है वो लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के जरिये केन्द्र सरकार चलाना चाहती है। एलजी केन्द्र सरकार के इशारे पर मनमाने तरीके से बिना मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह लिये केन्द्र सरकार का एजेन्डा लागू करने के लिये काम कर रहे हैं। केन्द्र सरकार की बौखलाहट जो कि केन्द्र सरकार का नतीजा जो एलजी मुख्यमंत्री के नीचे जो सीधा जो टकराव की स्थिति जो पैदा हो गयी है गृह मंत्री और पूर्ण मंत्री का एलजी को पूरा सहयोग मिल रहा है। संविधान

और कानून को ताक पर रखकर गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ा डर सता रहा है वो है एंटी करप्शन ब्यूरों का। जो भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए दिल्ली सरकार ने दुरुस्त किया था उस पर भी शिकंजा कसते हुए।

अध्यक्ष महोदय : सुरेन्द्र जी, कन्क्लूड करिये। प्लीज कन्क्लूड करिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह : सर मैं यहां एक बात करना चाहता हूं 2008 से 2013 तक एक सरकार ने यहां पर शासन किया क्योंकि काफी जनता के लिए एक शोक का विषय है। पांच साल के अन्दर सिर्फ 100 घंटे विधान सभा चली। यहां हम दिल्ली की जनता और उसके पैसे से या उसकी तनख्वाह से ऐश करने के लिए नहीं आये क्योंकि एक ऐसा विषय है, ये ऐसा कानून लाया जा रहा है जो अंग्रेजो के टाईम के अंदर ऐसे थोपा जाता था ठीक उसी प्रकार का ये कानून है आप आज हमें बोलने दीजियेगें। मैं अपने देश के लिए अपने देश की सरहदों के ऊपर गोली खायी है। देश की जनता के लिए खायी है। संविधान से बड़ा देश की जनता है और देश का एक सैनिक है वो देश के संविधान के लिये गोली नहीं खाता वो देश की जनता के लिये गोली खाता है। इसके लिये दिल्ली सरकार ने दुरूस्त किया उस पर शिकंजा कस दिया केन्द्र सरकार कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती इसलिये सरकार ने बड़े-बड़े वकीलों की लीगल ओपिनियन ली दिल्ली सरकार ने। जिसमें उन्होंने कहा केन्द्र सरकार का जो नोटिफिकेशन संविधान के प्रावधान का हनन करता है दिल्ली हाईकोर्ट ने भी नोटिफिकेशन के खिलाफ टिप्पणी की। केन्द्र सरकार हर कामकाज में दखलन्दाजी कर रही है उस समय वो समय आ गया है कि

इसके लिए जो दोगलापन है वो जनता के समकक्ष रखा जाये व दिल्ली सरकार के संविधान को करने की स्वतंत्रता के लिए विधान सभा में निर्णय लिया जाये। देश के प्रधान मंत्री जी व गृह मंत्री जी को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए परन्तु वो पार्टी की विचारधारा को लागू करने के लिए एलजी का सहारा ले रहे है वैसा ही है जैसे कि 1947 से पहले इंग्लैंड की महारानी आदेश पास कर देती थी और हिन्दूस्तान के अंदर गवर्नर जनरल उसे लागू करते थे। ऐसा इस देश में समय-समय पर होता रहा है कि गवर्नर का केन्द्र सरकार के ईशारे पर राज्यों की चुनी हुई सरकार या पार्टियों को सत्ता से अलग किया। जब भी ऐसा सरकार ऐसा हुआ है कि केन्द्र में सरकार किसी और की है और स्टेन में किसी और की सरकार बनी। यहां केन्द्र शासित चाहे कि बिहार का बूटा सिंह का मामला हो जहां पर एसेम्बली को 2005 में भंग कर दिया गया था या आंध्र प्रदेश में रामलाल जिन्होंने एन.टी. रामाराव की जगह पर एन. भाष्कर राव को शपथ दिलायी। रामेश भंडारी जी जो कल्याण सिंह को बाहर कर जगदम्बिका पाल को राजभवन में काजीवाक करवाया था या पूरे बहुमत होने के बाद हरियाणा में देवीलाल के समय पर।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज कन्क्लूड करिये। अभी दस लोगों को और बोलना है।

श्री सुरेन्द्र सिंह : चौधरी देवी लाल के समय पर चौधरी भजनलाल जी को शपथ ग्रहण करा, उनके विधायकों को तोड़ लिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : करिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंह : जो कि आप पार्टी के जो बीजेपी पार्टी है वो अपने

आप को बाकी पार्टियों से अलग पार्टी कहती है डिफ्रेन्ट पार्टी कहती है यानी कि वो उसे उसके तरीके से अलग हटके बताती है परन्तु वो भी सबसे अधिक असंवैधानिक हथकंडे अपनाने में माहिर है। दिल्ली की जनता द्वारा जो एक ऐतिहासिक जीत है 95 परसेंट जो सफलता यानी दी है उस पार्टी को संविधान के अनुरूप काम करने के लिये रोक रहे हैं। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस टकराव का हल निकाला जाये और केन्द्र सरकार की इस असंवैधानिक रवैये को जनता को रूबरू करवाया जाये। इसके लिये प्रस्ताव पारित कर 21-05-2015 के नोटिफिकेशन को रद्द किया जाये जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है।

अध्यक्ष महोदय : हो गया। कन्क्लूड बस। आपकी बात पूरी हो गयी।

श्री सुरेन्द्र सिंह : ये वादे पूरा किये जा सके इसके लिये साथ ही मैं माननीय अध्यक्ष साहब का धन्यवाद करता हूं और अपनी वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : गिरीश सोनी।

श्री गिरीश सोनी : धन्यवाद, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्म देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ करने के लिए हुआ है। जिसका समर्थन न केवल दिल्ली की जनता बल्कि पूरा भारत भ्रष्टाचार को खत्म करने करने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड रहा है। यह अधिसूचना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अंबानी और उनके दलाल को बचाने के लिए जारी किया गया। इसलिए मैं इस अधिसूचना को रद्द करने

की मांग करता हूं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने देंगे और दूसरी तरफ जिन लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए करोडों रुपये फूंके हैं उनको बचाने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। हमारा झगड़ा उपराज्यपाल से नहीं बल्कि केन्द्र में बैठी भाजपा सरकार से है। आज भ्रष्टाचार के नाम पर पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। नहीं क्या कह रहे हैं आप।

अध्यक्ष महोदय : आप जारी रखिए प्लीज, आप कुछ मत सोचिए, आप जारी रखिए।

श्री गिरीश सोनी : कोई भी अधिसूचना जो संविधान के विरुद्ध जारी किया जाए उसे उपराज्यपाल द्वारा रद्द किया जाना चाहिए नहीं तो उसे राष्ट्रपति को भेजकर रद्द किया जाना चाहिए। नहीं तो संविधान की रक्षा करने के लिए माननीय हाई कोर्ट इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाना चाहिए। जब तक इस अधिसूचना पर कोई फैसला नहीं हो जाता गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के यहां लम्बी लड़ाई की आवश्यकता है। अंत अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि अधिसूचना को हर हाल में जल्द से जल्द रद्द किया जाए। मैं वो मुख्य विषय पर आता हूं अधिसूचना जिस प्रकार से संविधान के विरुद्ध है। हम जानते हैं कि भारत में वर्तमान 29 राज्य हैं 7 केन्द्रशासित प्रदेश हैं उन प्रदेशों का मैं नाम मैं नहीं लूगा क्योंकि सभी जानते है उन 7 प्रदेशों को। दिल्ली का स्थान अन्य केन्द्रशासित प्रदेश से अलग है। संविधान में 69वां संशोधन 1991 दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 विधायक जनता चुनाव करती है मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक करते हैं। ये केवल तीन चीजों लोक व्यवस्था पुलिस और भूमि को छोड़कर अन्य सभी पर राज्य सरकार के अधिकार प्राप्त हैं। जिस अधिसूचना जारी करने के लिए संविधान में मिले

अधिकार को छीनना चाहते हैं। दिल्ली सरकार को भी केन्द्र सरकार के अधिकारों एवं राजनीतिक पदाधिकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज करने से रोक दिया गया। मुझे लगता है ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे रिलायंस के विरुद्ध चल रही एफआईआरवी जांच करने में रूकावट डाली जा सके। रिलायंस के अधिकारी हाई कोर्ट जा चुके हैं जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जैसा कि जांच समाप्त होगी रिलांयस के लोग जेल जायेंगे। इसके लिए अधिसूचना लाई गई है। यदि दिल्ली सरकार को दिल्ली में केन्द्र सरकार के अधिकारियों एवं राजनीतिक पदाधिकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज करने से रोक दिया गया तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खतरे में पढ़ सकता है हमारी पहचान भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाली पार्टी के रूप में हुई है इसलिए हम अंत तक लडेंगे। अधिसूचना में दिल्ली में लोक व्यवस्था पुलिस पर रोक लगाते हुए पुलिस को थाने में कार्रवाई करने पर रोक लगाई है। जबकि दिल्ली सरकार पुलिस का प्रयोग न कर दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की जा रही है। कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अधिसूचना जारी करते हुए बी.जे.पी. सरकार ने कपट की नीति का प्रयोग किया है इसमें बहुत जल्दी कोर्ट में अधिसूचना को रद्द न किया जा सके इसलिए कोर्ट में जाने से पहले बी.जे.पी. को जनता के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। जरा आप जरा अधिसूचना पर ध्यान दें "The Anti corruption Bureau Police Station Shall not take any cognizance of offences against Officers, employees and functionaries of the Central Government." जबकि दिल्ली में सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कार्रवाई की जा रही है न की किसी पुलिस स्टेशन द्वारा। इसीलिए अधिसूचना राजनीतिक अधिक है न की किसी स्पष्टीकरण के लिए जारी किया जा रहा है। सब जानते हैं कि उपराज्यपाल संविधान के अनुसार प्रशासक हैं उनका काम है कि संविधान

के अनुसार हो रहे कार्यों को देखे। यदि कोई विवाद पैदा होता है तो उसे राष्ट्रपति जी के पास भेजें। राष्ट्रपति जी संविधान के संवैधानिक विशेषज्ञ से राय लेकर अपना फैसला सरकार के संवैधानिक विशेषज्ञ के.के. वेणुगोपाल, पूर्व सोली सीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम दोनों ने महसूस किया है कि अधिसूचना संविधान के प्रावधानों और स्थापित नियमों के विरुद्ध है। मशहूर वकील तुलसी राम जेठमलानी, राजीव धवन और इन्द्रा जयसिंह जी ने भी यही कहा है। अभी तक राष्ट्रपति का अधिसूचना पर कोई राय नहीं आई। राष्ट्रपति भी संविधान से ऊपर नहीं है। यदि हमारी सरकार को अधिसूचना को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट भी जाना पड़े तो जाना चाहिए विषय हमारे आंदोलन से मोदी सरकार को बेनकाब करने का मौका मिलेगा। अधिसूचना जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि जैसे हम राज्यपाल, उप राज्यपाल के उस अधिकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं जैसे हम सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर करने के मूल अधिकार को रोकना चाहते हैं बल्कि जब अधिकार दिल्ली सरकार के पास भेज दिये जाते हैं तो।

अध्यक्ष महोदय : सोनी जी, कनकलूड करिए प्लीज। कनक्लूड करें।

श्री गिरीश सोनी : बस, अधिकारियों को किस जगह क्या काम साकार को लेना है उसपर दिल्ली सरकार का पूरा अधिकार है। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में ओम प्रकाश पाहवा के केस में संविधान की व्यापक व्याख्या कर चुके जिसमें न केवल उप राज्यपाल को तीन चीजों के अलावा दिल्ली सरकार का कहना मानना पड़ेगा बल्कि उन आदेश पर उनपर आदेश बाइंडिंग होगा क्योंकि दिल्ली की सरकार चुनी हुई सरकार है यदि कोई विवाद दिल्ली सरकार उप राज्यपाल का हो तो उप राज्यपाल उस विवाद को राष्ट्रपति के पास भेजने में

स्वतंत्र है। राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। कोई भी पक्ष संविधान के विरूद्ध किसी भी आदेश को हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज कर सकते हैं। यह अधिसूचना पूरी तरह सुनवाई के दौरान सदन आदेश भी जारी कर सकता है। इसलिए हमें बहुत जल्दी नहीं है। हमें तो दो स्तर पर लड़ना है। केन्द्र सरकार में बैठी बी.जे.पी. की सरकार के विरुद्ध सभी को एकमत होकर जनता को समझाना है और अधिसूचना को रद्द करवाना है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह अधिसूचना राजनैतिक अधिक है इसलिए मैं आपसे अधिसूचना को रद्द करने की मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, पेरे पास श्री सोमनाथ भारती जी की ओर से प्रस्ताव आया है अंडर रूल 293। मैं उनको कहता हूं अपना विषय रखे।

Sh. Som Nath Bharti: Honourable Speaker, Sir, I thank you for this opportunity and agreeing to allow me to move this Resolution. I would like to move a Private Members' Resolution. Since this is a matter of urgent importance, I would request you to kindly grant me this permission for the same in exercise of powers available to you under Rule 293 read with other provisions or Rules of Procedures and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi,1997.

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी ने जो विषय रखा है अंडर रूल 293 वैसे तो मुझे अधिकार है, रिलेक्सेशन देने का इसमें लेकिन फिर भी मैं सदन के सामने रखता हूं। it is for consideration of this House that the

Private Members' Resolution moved by Sh. Som Nath Bharti be granted permission to move this Private Members' Resolution in relaxation to 12 days' prior notice requirement prescribed by Rule 89 of Rules of Procedure & Conduct of Business in the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi,1997. Those who are in favour of this may say 'yes', those against the permission of this Resolution may say 'No'. हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, मैं सोमनाथ भारती जी से यह प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अपना रिजोल्यूशन रखें।

Sh. Som Nath Bharti: Honourable Speaker, Sir, I would like to express my heart-felt thanks to your, Sir and this August House for granting me the permission to move the following Resolution:

> "The Ministry of Home Affairs has issued a Notification No. S.O.1368(E) dated 21st May, 2015 through which it has sought to add Entry No.41 of the State List to the list of reserved subjects.

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड सोमनाथ जी। आपने रूल पढ़ लिया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग नियम 293 में दी है। रेज़ल्यूश्न तो नियम 89 में मूव किया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है। एक सेकेंड, आप उस समय अनुपस्थित थे। समझ लीजिए।

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड, सोमनाथ जी, मैं समझा देता हूं। वे बाहर थे। उन्होंने रेजल्यूशन नियम 293 में रखा है। आप समझ लीजिए एक बार पूरी तरह से

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : अब यही तो दिक्कत है। मैंने सदन के सामने रखा है नियम 293 में। मुझे राइट है।आप पढ़ लीजिए। किसी भी सदस्य के ... **(व्यवधान)** मैं उसकी अगली बात नहीं कर रहा हूं मैं पहली बात कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, देखिये, Noitce of Resolution by Private Members.

अध्यक्ष महोदय : बात सुन लीजिए एक बार, पूरी बात सुन लीजिए फिर आप उसके बाद कह लीजिएगा, मैं उसको समझूंगा उन्होंने रिजोल्यूशन जो मुझे दिया है यह रखा है अंडर रूल 293 में ठीक है इस 293 के रूल को मैंने व्यवस्था दी है कि मैं हालांकि इसको एक्सेप्ट कर सकता हूं, रूल 89 में यह 12 दिन पहले आना चाहिए था मैंने यहां पूरा पढ़कर सुनाया है और उस पर फिर वोटिंग मांगी है कि सदस्य अगर सहमत हैं तो इस पर 'येस' या 'नो' कहें एक सेकेंड पूरी बात समझ लीजिए। रूल 293 एक बार आप पढ़ लें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, रूल 293 भी पढ़ लिया और 89 भी पढ़ लिया। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से उन्होंने रूल 89 में...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 293 में मांगा है 89 में बोला ही नहीं हैं. ..**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, 89 में मूव किया है ना।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 293 में मूव किया है। आप समझ नहीं रहे बात को।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आप तो वकील हो, मैं तो वकील भी नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप समझ नहीं रहे बात को। उन्होंने 89 बोला ही नहीं है। मैंने बोला है 89...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं तो सिम्पल सा सदस्य हूं सदस्य का, आप रूल बुक निकालिये अपने 89 में मूव किया है।

श्री सोमनाथ भारती : विजेन्द्र जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है आप एक्स्ट्रा कमेंटस न करें, कृपया करके। यह माननीय अध्यक्ष महोदय का अपमान भी है और पूरे सदन का भी अपमान है। अगर आपने ठान ही रखा है यह करना।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है कि यह प्राइवेट रिजोल्यूशन रूल 89 में आ सकता है 12 दिन पहले। यह बात समझ लीजिए। लेकिन उन्होंने मुझसे मैं बता रहा हूं...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, यह तो आपने अपनी पावर यूज की है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी पावर यूज नहीं की है। पहले पूरी बात सुन लीजिए। उनका लिखित नोट है कि आपसे मेरी प्रर्थना है अध्यक्ष जी से कि रूल 293 के अंतर्गत मुझे इसकी परमिशन दे दी जाये। उन्होंने मुझे यह बात कही है और मैंने रूल...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आपका अधिकार है उन्होंने 89 में रिजोल्यूशन मूव किया, हमने विरोध किया। आपने अपनी रूलिंग दे दी 293 में। यह इशु है और आपने 293 बिना विरोध के पहले ही दे दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले नहीं दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं जब अंदर आया हूं तो आपने... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती : हाउस के अंदर वोटिंग हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप वोटिंग के समय थे नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं अपना विरोध दर्ज करवा रहा हूं आप अपनी रूलिंग दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी रूलिंग दे दी आपके एबेसेंस में दी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं वही कह रहा हूं 89 में उन्होंने रिजील्यूशन मूव किया है, हम इस पर अपनी dissent नोट करा रहे हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। टेबल पर पिछली बार मंत्री जी लाये थे, इस बार सदस्य ला रहे हैं आप सर्कुलेट करें रिजोल्यूशन को, हम लेजिस्लेचर है यहां पर लेजिस्लेटिव पूरी प्रक्रिया होती है, इस तरह टेबल पर चीजें ला-लाकर यह अनडेमोक्रेटिक है।

श्री सोमनाथ भारती : यह ऑनरेबल स्पीकर का discretion है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है चलिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, हमारी इस पर dissent note की जाये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, सोमनाथ जी, आगे बोलिये।

All the reserved subjects i.e. subjects which are beyond the legislative competence of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, are explicitly mentioned in Article 239AA (3)(a), (b) and (c) and do not give any powers to the Central Government to add any entries to the list of reserved subjects through notification.

The Ministry of Home Affairs has attempted to add entry No.41 to the list of reserved subjects without seeking the approval of the Parliament of India.

The Ministry of Home Affairs has passed this notification without any jurisdiction to do so. Therefore, it is an illegal and invalid exercise of powers on the part of the Ministry of Home Affairs which in Constitution is called 'colourable act'

The said notification, without any doubt, is contrary to and is violative of the provisions of the Constitution of India.

This House finds this act of Ministry of Home Affairs as an attempt on the part of the Central Government to encroach upon the Legislative Powers of this August House conferred by the Constitution in a completely unconstitutional and illegal manner by bypassing the Parliament and thereby even grabbing the powers of the Parliament itself.

Therefore, this House declares this notification as unconstitutional and invalid.

I would also like to bring to the kind notice of this August House the opinions received from the Constitutional experts and legal luminaries like :

1. Sh. Gopal Subramaniam
2. Sh. K.K. Venu Gopal
3. Sh. Rajeev Dhawan
4. Ms. Indira Jai Singh
5. Sh. Bishwajit Bhattacharya
6. Sh. Vivek K. Tankha

All of them, in complete unison, have very emphatically stated that the said notification is unconstitutional and illegal.

In a democracy, the Parliament of India through its Hon'ble Members of Parliament is Supreme and the honourable Members of Lok Sabha and Rajya Sabha are the only authorized persons empowered under the Constitution of India to make changes in the Constitution under Article 368 of the Constitution of India . Therefore, the Central Government has sought to encroach upon the powers of Parliament also through this notification.

Recently, the Hon'ble High court of Judicature at Delhi, in its recent order in the bail matter of Anil Kumar Vs. GNCT of Delhi, pronounced on 25th May,2015, has given a landmark judgement on the relationship between the Hon'ble Lt. Governor and his Council of Ministers. The copy of the said judgement is being presented to this August House for information of Hon'ble Members of this Legislative Assembly. In particular, I would like to quote the following from the decision of the Hon'ble High Court:-

"Para 65. Thus, it appears to me that Union Government could not have issued the notification dated 23rd July, 2014 thereby seeking to restrict the executive authority of the GNCTD acting through its Anti Corruption Branch to act on the complaints under the Prevention of Corruption Act only in respect of Officers and employees of the GNCTD. By an executive fiat, the Union Government could not have exercised the executive power in respect of a matter falling within the legislative competence of the Legislative Assembly of the NCT

of Delhi, since the law made by Parliament viz. the GNCTD Act ready with Article 239AA put fetters on the executive authority of the President.

Para 66 of the same judgement. After the judgement was reserved in the present application, the Ministry of Home Affairs has issued a notification bearing No.S.O.1368(E) on 21.5.2015 thereby further amending the notification dated 08.11.1993 and, inter alia providing that "ACB Police Station shall not take Any cognizance of the offences against Officers, employees and functionaries of the Central Government." In my view, since the Union lacks. I repeat, in my view, since the Union lacks the executive authority to act in respect of matters dealt with in the Entries 1 and 2 of List III of the Seventh Schedule, the further executive fiat issued by the union Government on 21.05.2015 is also suspect."

This House strongly condemns such attempt on the part of the Central Government and finds it an assault on the federal structure of our country as enshrined in the Constituion of India.

Therefore, This House resolves to ignore this notification of the Ministry of Home Affairs and directs the Govt, of NCT of Delhi and its employees to ignore it and to function as if this notification never existed.

Further, this House urges His Excellency, the President of India to invoke his powers under Article 143 of the Constitution of India and to make a reference to the Honourable Supreme Court of India to clearly define the powers and responsibilities of the elected Government of National Capital Territory of Delhi, the Honourable Lt. Governor of Delhi and Central Government with respect to legislative and executive functions of NCT of Delhi to prevent re-occurrence of any such incident in future.

I would further urge this House to write to all honourable Members of Parliament of Lok Sabha as well as Rajya Sabha about the unconstitutional act of Ministry of Home Affairs, Govt, of India. That is my Resolution which I am moving for this Honourable House to consider."

Honourable Speaker, Sir, I would just say a couple of things. विजेन्द्र जी, बहुत तकलीफ होती है आपको जब भी हम करप्ट और करप्शन के खिलाफ बात करते हैं।

श्री सोमनाथ भारती : Honourable Speaker, Sir, I would just say a couple of things. विजेन्द्र जी, बहुत तकलीफ होती है आपको जब भी हम corrupt corruptiom के खिलाफ बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए। सोमनाथ जी, पूरा हो गया?

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कह सकता हूं इसके बाद? या..

अध्यक्ष महोदय : अभी कुछ और सदस्य बाकी रह रहे हैं, जिनको बोलना है।

श्री सोमनाथ भारती : Honourable Speaker, Sir, this is what is important today, this Resolution अगर इस पर बात, पूरी चर्चा हो जाए, दो चार बात मैं रख दूं। उसके बाद फिर कल भी इस पर चर्चा होनी है।

अध्यक्ष महोदय : हां कल भी चर्चा होगी।

श्री सोमनाथ भारती : तो मैं अपनी दो चार बातें रख देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : रखिए, रखिए।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, इसमें चूंकि समय बहुत कम है। एक बहुत ही इम्पोर्टेण्ट, क्यों जो दिल्ली की यात्रा रही है, बड़ी इन्ट्रेस्टिंग यात्रा रही है दिल्ली की अब तक की। जब 1952 में दिल्ली को Legislative Assembly और Council of Ministers as one of the Part-C State, under the Part-C States Act मिला था। उस वक्त before independence की बात है। Before independence में Governor General हुआ करते थे। तो Governor General से लेकर Lt. Governor तक की यात्रा इसने तय की है। Unfortunately अभी भी Lt. Governor साहब कहीं न कहीं Governor General के colour में काम करना चाहते हैं। जो कि democeracy के लिए घातक भी है और दिल्ली वासियों की जो अथाह आकांक्षाएं हैं इस सरकार से, उन्हें

पूरा करने में हमें बहुत तकलीफ होगी। 1952 के बाद 1956 में Delhi had ceased to be a Part-C State उसके बाद फिर Union Territory बना और फिर 1956 में जाकर parliament ने पास किया Delhi Administration Act और Delhi Administration Act ने Delhi को एक Metropolitan Council बनाया और एक deliberatory body भी दिया और एक Executive Council भी दिया। इसमें जो बड़ी interesting सी बात है चूंकि ये बहुत सारी clarity लेकर आ जायेगा। जो Executive Council है that used to assist the administrator in the exercise of his functions in all matters except in certain reserved subjects such as Law & Order, Police, Land & Building and Services. तो उस एक्ट के अनुसार भी Services उस वक्त excluded था। जब 1991 में एक्ट पास हुआ और इसके अंतर्गत Legislative Assembly आई। उसमें exculsion में सिर्फ Law & Order, Poilce और Land रहा। तो जब ये promoption हो गया कि Delhi Legislative Assembly को Services उसमें exclude करने से Services इसके पास आ गया। जैसा कि Constitutional Experts और मेरे साथियों ने आज इस सदन में बड़े साफ शब्दों में आज की जो डिबेट है यह बड़ी ऐतिहासिक है और इसे स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। मैं अपने साथियों को इसके लिए मुबारक बाद देता हूं और माननीय मुख्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री को तहेदिल से धन्यवाद करता हूं कि यह बहुत बड़ा, चूंकि ये सब कुछ corruption के साथ जुड़ा हुआ है। हम क्यों Services के ऊपर जोर दे रहे हैं। Services नहीं रहा। तो वह जो माननीय उपमुख्यमंत्री ने अपने बयान में भी और पहले भी कहा कि Trensfers and Postings ये जो काला धंधा चल रहा था, उस पर रोक कैसे लगेगी। अगर Services उनके पास होगा, ये अलग मुद्दा है कि ये unconstitutional है। जैसा बहुत सारे experts ने भी कहा। लेकिन हमारा जोर तो core issue पर है जिस पर हम, जिसके कारण

ओर जिसके around हम exist करते हैं। तो Services इसीलिए important है। तो जैसा मैंने बताया कि 1991 के अंदर जो एक्ट बना और उसके बाद 1993 में rules बना और हमारा संविधान, हम सब का प्यारा संविधान कहीं भी Services का कोई mention नहीं है। तो आज जो चर्चा चल रही है अपने सदन में। इसको दो हिस्सों में देखना पड़ेगा। एक तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अधिकार हमारे पास है और वह हम से छीना जा रहा है। और जो पूर्ण राज्य की बात है, वह हम मांग कर रहे हैं। तो जो मेरे पास है, जो सदन के पास है, जो दिल्ली के लोगों के पास है। ये चुनी सरकार के पास है। Services उससे छीनकर के ये जो असंवैधानिक कृत्य किया जा रहा है। उसकी हम घोर निन्दा करते हैं। जैसा कि मैंने अपने Resolution में भी कहा। Sir, जिस तरह का जो हमारा देश है। एक Federal Structure. Federal Structure इस देश का, हमारे संविधान का basic tenet का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Federalism जो कि pre 1976 में बहुत कम ही चर्चा होती थी। क्योंकि उस वक्त केन्द्र में भी और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें। तो राज्यों के जो Contitutional Rights हैं। उसके ऊपर कम ही चर्चा हुई पहले। लेकिन Post 1976 और जब ये emergency लगा उसके बाद श्री एस.आर. बोम्मई जो बहुत ही celebrated judgement है Honourable Supreme Court का। उसमें साफ साफ कहा गया कि एक चुनी हुई सरकार under Article 352 और Article 356 Honourable President, by a proclamation, cannot deny elected Government from functioning and dismissal of any Government under Article 352 and 356 were duly debated in that judgement. A similar analogous of that what we are discussing today in our situation. यहां पर चुनी हुई सरकार है। Democratically means के द्वारा ये

चुनी हुई सरकार किसी कारण से आई है। हम में से सभी लोग, अधिकांश लोग अपने अपने जीवन में कहीं न किसी काम में किसी Profession में, किसी business में लगे हुए थे। सब कुछ को त्याग कर हमने politics को अपनाया। हम कोई दरिंयां उठाने यहां पर नहीं आये। ऐतिहासिक रूप में आपकी अध्यक्षता में हमने भगत सिंह, राज गुरू और सुखदेव की मूर्तियां भी लगाने का फैसला किया है। तो कोई इस गलती में न रहे कि ये सरकार चुप बैठेगी। ये पुराने रीति रिवाज से चलते हुए लोग इनको क्या पता कि जब ये ऐसे लोग विधान सभा में बैठेंगे तो क्या करेंगे। इनको अभी भी लग रहा है कि जो पुराने तौर तरीके थे, इनके काम को उसको हम चलने देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। जिसको सुनना है, सुन ले जिसको समझना है, समझ ले। ये सरकार किसी भी status quo को maintain नहीं करने वाली। जब जब हमें लगेगा कि जिन कारणों से हम चुनकर आये हैं, उन कारणों की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो हम सब कुछ चैलेंज कर सकते हैं और करते रहेंगे।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह इमरजेंसी लगी थी उसमें एक शब्द था अर्टिकल 352 में इंटरनल डिस्टबेंस जिसको मिस-यूज करके मैडम गांधी ने इमरजेंसी लगवा दी आधी रात को सिग्नेचर करवाया होनरेबल प्रेजीडेंट उस वक्त जो थे और 44th अमेंडमेंट जो fortunately और interestingly उस वक्त की जनता पार्टी सरकार जो होनरेबल मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी उसमें specifically replace किया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस का armed rebellion से, क्योंकि internal disturbance was prone to wrong interpretation and vitiated interpretation तो बहुत ही लम्बी यात्रा रही है हमारे संविधान की और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, यह कोई नोटिफिकेशन के जरिये

आप Contitutional Right को deny कर सकते हैं इससे घृणित बात नहीं हो सकती। एक तरह संविधान का अमेंडमेंट किया जा रहा है और बिल्कुल अर्टिकल 239AA में लिखा है बाकायदा कि होनरेबल पार्लियामेंट अगर चाहे तो भले ही एक मोशन के जरिये, कान्टिट्यूशन को अमेंड करके हमारे राइट्स को छीन सकती है लेकिन executive competence does not empower any Government to take a right guaranteed by the Constitution to us and that is what is in discussion today. I surpised and amazed and shocked that members of BJP, there are all एक को तो आपने निकाल दिया, बाकी दो अपने आप चले गये। लेकिन यह एतिहासिक क्षण में उनको यहां होना चाहिए था चूंकि उन्होंने भी चुनावी वायदा तो किया ही है माना कि सारे वायदे में यू-टर्न उन्होंने मारा है इसमें भी मार रहे हैं कि भई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, हमारे साथियों ने कहा लेकिन वो स्टेप-2, हम तो स्टेप-1 की बात कर रहे हैं कि जो हमारे अधिकार हैं उसको तो कम से कम मत छीनो। अगर तुम कुछ दे नहीं पा रहे हो, तो कुछ छीन क्यों रहे हो और होनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ-साफ कहा, अब क्या रह जाता है ये बार-बार चिल्ला रहे थे, स्पीकर महोदय, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पब्लिक फोरम में जाकर चिल्ला रहे थे कि जाओ ना कोर्ट जाओ। हम कोर्ट जायें, कहा था ना कि वो अरविंद जी ने कल सीपी वाले अपने भाषण में कहा था कि if God is with you, you have not to worry who is opposing you. यह God sent था Honourable Hight Court, on its own motion, pick कर लिया इस मैटर को और वो, जो उनके दोनों नोटिफिकेशन्स थे, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि होनरेबल हाई कोर्ट ने कह दिया कि यह suspect है अब भी, अब तो मान जाओ लेकिन अभी भी मानने वाले नहीं हैं। यह पहले हमें कहे रहे थे कोर्ट जाओ अब परमात्मा इनको कह रहा है कि तुम कोर्ट जाओ। यह

जो सच का साथ, जो सबसे बड़ा साथ किसी का होता है, मैं तहेदिल से आभार प्रकट करता हूं अपने मुख्यमंत्री महोदय का कि जिस तरह से उन्होंने यह यात्रा तय करवाई है हम सब की, यह ऐतिहासिक है और इसी घबराहट में चूंकि पूरा का पूरा जो तंत्र है उसमें एक हिस्सा यह पूरा चक्रव्यूह जो है उसमें एक हिस्से ने फैसला कर लिया कि मुझे अब ईमानदार रहना है। अब उस ईमानदार नीति से, ईमानदार attitude से जो बाकी सारे करप्ट जिनकी दुकान बंद हो रही है, जिनके पेट पर लात लग रही है, उन सब में बहुत बेचैनी है तो मैं अपने साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तो कुछ भी हमें सामना करना नहीं पड़ा है पता नहीं क्या-क्या आगे आने वाला है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर यह अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि जो संविधान में है वो गवर्नमेंट आफ एनसीटी दिल्ली एक्ट में है और जो Transaction of Business Rules में दो है इन सब के violation में बातें करी गई हैं और वही दोनों bone of contention है। एक तो यह कि तीन चीजें जा reserved catetories में थी लैंड, ला एंड आर्डर और पुलिस उसमें चौथी इन्होंने जो अपने आप एक Executive Order से जोड़ा और जिसको होनरेबल हाई कोर्ट ने on its own बगैर हमारे एप्रोच किए, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूं, होनरेबल हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी फाइंडिंग दे दी और फाइंडिंग में साफ-साफ कह दिया कि यह unconstitutional है। इन तीन विषयों के ऊपर भी जो रूल 49 है जो 23(5)(a) है इन तीन विषयों के ऊपर भी Honourable Lt. Governor will consult Honourable Chief Minister और यह होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन में भी है उनके वेबसाइट पर है कि होनरेबल चीफ मिनिस्टर के बगैर कंसल्टेशन के दिल्ली पुलिस कमिश्नर की appointment तक नहीं हो सकती दिल्ली के अंदर तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, क्या सपने देख रहे हैं ये। तो दोनों बातें क्लियर हो गई कि इन तीन विषयों पर होनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर

कंसल्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर को और बाकी विषयों पर होनरेबल चीफ मिनिस्टर जब कुछ फैसला करेंगे और भेजेंगे होनरेबल एलजी को तो होनरेबल एलजी अगर नहीं राजी होते हैं उससे तो सिर्फ उनके पास एक ही अधिकार है कि वो उस मैटर को होनरेबल प्रेजीडेंट के पास ले जाए। इस मामले में होनरेबल प्रेजीडेंट के पास मामला आखिरकार पहुंचा लेकिल इसके पहले कि होनरेबल प्रेजीडेंट अपनी फाइंडिंग देते या मैटर Presidential reference के माध्यम से under Article 143 सुप्रीम कोर्ट पहुंचता आनन-फानन में बहुत गहरा विषय है कि किसको बचाने का प्रयास चल रहा था, आनन-फानन में एक नोटिफिकेशन जारी हो गया 21 मई को यह सर्विसेस भी आपसे ली जाती है और यह भी कहा गया कि एसीबी के दायरे में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाईज नहीं आयेंगे। इससे भद्दी और इससे शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है कि करप्ट को और करप्शन को बचाने की कवायद चल रही है दिल्ली में लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहता हूं भाजपा के साथियों को भी और केंद्र सरकार को भी कि यह सरकार किसी और मिट्टी की बनी हुई है। यह भाजपा और कांग्रेस नहीं है इसने जो फैसला कर लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने जो फैसला कर लिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो फैसला कर लिया वो बदलने वाला नहीं है तो यह लड़ाई हम जारी रखेंगे। मैं आपके माध्यम से फिर एक प्वाइंट जो विजेंद्र गुप्ता जी बार-बार, बार-बार कह रहे थे, उनको तो बोलने की आदत हो गई है कि नोटिफिकेशन नहीं है भईया मैं पढ़कर बताना चाहता हूं उसमें जो लिखा था उसमें लिखा है नोटिफिकेशन। वो कह रहे थे नहीं यह क्लेरिफिकेशन है कह देते अपनी सरकार को इसमें लिखा है अधिसूचना। यह तो नोटिफिकेशन लिखा है तो इस तरह की बातें सदन में करना न तो उचित है उनके लिए, न दिल्ली की जनता के लिए फायदेमंद है। एक बात और एक और ऐसा राज्य है अपने देश में उसका नाम है पांडिचेरी, पांडिचेरी में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ऐसे कई बार मतभेद उजागर होकर आए और वहां की सरकार ने भी एक पत्र के माध्यम से यह बात कही।

कि Honble LG जी के पास Officers without consent of Chief Minister appointment करना राईट नहीं है तो ये तो कोई जो हम फेस करते हैं, कर रहे हैं हमारा मकसद भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को बहुत बार वो कहते हैं लोकपाल नियुक्त नहीं किया एक तो एसीबी से घबरा रहे हो, एंटीक्रप्शन ब्रांच की ताकत को तो कम करना चाहते हैं, जिस दिन लोकपाल आ गया तो पता नहीं क्या करोगे लोकपाल आ गया तो कौन-कौन अंदर जायेगा अभी थोड़े दिन बाहर रह लो फिर पता नहीं कौन-कौन अंदर जायेगा तो खुली हवा में सांस लेना चाहते हो हम दे रहे हैं जीने के लिए जो भ्रष्ट हैं भ्रष्टाचारी हैं क्यों इतनी जल्दी दिखा रहे हो लोकपाल भी आ जायेगा तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये resolution हाउस के सामने रखके इस पर विस्तार से चर्चा की जाये और जो मैंने उसमें prayers डाले हैं उस पर गहन से चर्चा करके आप इसको forward करने की कृपा करें। धन्यवाद जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदय : आज कुछ समय का अभाव है कुछ सदस्य रह गये हैं माननीय सदस्य एन.डी. शर्मा जी, बहन वंदना कुमारी जी, राजेश ऋषि वेद प्रकाश, श्री महेन्द्र गोयल जी, श्री जगदीप सिंह जी, श्री विशेष रवि जी और जगदीश प्रधान जी ये 7-8 सदस्यों को मैं आज बुलवा नहीं सका कल हम इस पर चर्चा करेंगे। मीडिया के सभी साथियों का मैं बहुत-बहुत आभारी हूं तथा आभार व्यक्त करता हूं आपका सहयोग रहा और सभी अपने साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। कल दो बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 27.5.2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)